लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[छटा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 1 to 10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची CONTENTS

अंक 6 मंगलवार, 21 नवम्बर, 1972/30 कार्तिक, 1894 (शक)

No. 6 Tuesday, November 21, 1972/Kartika 30, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ता० प्र० संख्या/S. Q. Nos.	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
101. हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिकस द्वारा तीन नई औषधियों का उत्पादन	Production of three New Drugs by Hindustan Anti Biotics	1—2
102. बेरोजगार हरिजन स्नातकों को पेट्रोल पम्प तथा खाना बनाने के काम आने वाली गैस की एजेन्सियां देना	Allotment of Petrol Pump and Domestic Gas Agencies to Unemployed Harijan Graduates	2—5
103. कुवैत द्वारा यूरिया तथा तरल अमोनिया की सप्लाई	Supply of Urea and Liquid Ammonia by Kuwait	5—7
105. सिंचाई के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलन	Regional Imbalance in Irrigation	7—12
107. फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड और गोरखपुर संयंत्र के विस्तार के लिये अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेंन्सी से ऋण	Loan from IDA for expansion of Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., and Gorakhpur Plant	12—13
108. श्रीसाइलम जल विद्युत परियोजना की ऊंचाई	Height of Srisailam Hydro Electric Project	13—15
110. हल्दिया में अथवा उसके आसपास समेकित पेट्रो रसायन उद्योग समूह	Integrated Petro-Chemical Complex in or around Haldia	15—16
111. डाकुओं द्वारा 4 डाउन आसाम मेल को रोक लेना	Holding up of the 4 Down Assam Mail by Dacoits	16—18
113. कलकत्ता और अन्य बड़े नगरों में भूमिगत रेल व्यवस्था	Underground Railway System for Calcutta and other big cities	18—19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या/S. Q. Nos.		
104. पांचवीं योजना में अपर कृष्णा परियोजना का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Upper Krishna Project in Fifth Plan	19
106. गुजरात राज्य में नमक उद्योग के लिये माल डिब्बे	Wagons for Salt Industry in Gujarat State	20
109. उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Electricity Workers in Uttar Pradesh	20
112. कम पेट्रोल का उपयोग	Use of Less Petrol	21
114. जाम नगर से बेड़ी तक नई रेलवे लाइन	New Line to connect Jamnagar with Bedi	21
115. बिजली पैदा करने सम्बन्धी तकनीक के बारे में भारत रूस करार	Indo Soviet Agreement on Power Generation Technique	21—22
116. रेलवे में फिजूल खची को समाप्त करने के लिये उठाये गये कदम	Steps taken to eliminate Wasteful expenditure on Railways	22
117. बंगला देश के क्षेत्र से हो कर गुजरने वाली कोरीडोर रेल सेवा	Corridor Train Service running through the territory of Bangladesh	23
118. भारी वर्षा होने के कारण बीना और गंगापुर तथा सीकर और आगरा के बीच रेलवे लाइनों को क्षति	Damage to Railway lines between Bina and Gangapur and Sikar and Agra due to heavy rains	23
119. भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कुवैत में एक परियोजना की स्थापना	Setting up of a Project by FCI in Kuwait	23
120. नन्दड़ा तथा सांगले रेलवे स्टेशनों के बीच हाल्ट	Halt between Nandra and Sangle Railway Stations	23—24
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. Nos.		
1001. उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले	Cases pending in High Courts and Supreme Court	24—25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या/U.S. Q. Nos.		
1002. ब्यास बांध क्षेत्र में पानी से चलने वाली आटा मिलों के मालिकों को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to Owners of Water Flour Mills in Beas Dam Area	25
1003. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्व जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया आदि से आयात किये गये जेनेरेटिंग सैट	Generating Sets Imported by Punjab State Electricity Board from East Germany, Czechoslovakia etc.	26
1004. मध्य प्रदेश में सिंचाई	Irrigation in Madhya Pradesh	26
1005. कृषि योग्य असिंचित भूमि का सर्वेक्षण	Survey of Unirrigated Cultivable Land	27
1006. दिल्ली क्षेत्र में उत्तर रेलवे तथा महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) में दैनिक मजदूरों में मजूरी तथा मजूरी सहित विश्रम दिवस में समानता	Parity in Wages and paid Rests to Daily Rated Labour of Northern Railway and M.T.P. (Railway) in Delhi area	27
1007. सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों (उत्तर और दक्षिण रेलवे) के लिये मानदण्ड	Standard Yard Stick for Staff of Signal and Telecommunication Staff (Northern and Southern Railway) ..	27—28
1008. सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में निर्मित औषधियों की तुलनात्मक लागत	Comparative Costs of Pharmaceutical Products being produced in Public and Private Undertakings ..	28—30
1009. विदेशी सहयोग प्राप्त भेषज कम्पनियों द्वारा दुगुने मूल्यों का लिया जाना	Charging of Double Prices by Pharmaceutical Companies with Foreign Collaboration	30—31
1010. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजे जाने वाले धन का रोका जाना	Freezing of Remittances by Foreign Oil Companies	31
1011. राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य	Target for Rural Electrification in Rajasthan	32
1012. बुन्देलखंड में अन्तराजीय सिंचाई परियोजनाएं	Inter State Irrigation Project in Bundelkhand	33—34
1013. दिल्ली से ओखा तक सीधी रेलगाड़ी	Direct Train from Delhi to Okha	34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. Nos.		
1014. नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के व्यय में कमी	Reduction of Expenditure in National Project Construction Corporation ..	35
1015. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (न्यायिक) सदस्य के पद के लिये चयन	Selection for the post of Member (Judicial) Income Tax Appellate Tribunal	35—36
1016. मान्यता प्राप्त रेलवे संघों की सदस्यता की जांच	Verification of Membership of Recognised Unions	36
1017. भारतीय तेल निगम के प्रबन्ध निदेशक (विपणन) के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Medical Expenses to Managing Director (Marketing) Indian Oil Corporation ..	37
1018. अशोधित तेल के उत्पादन के लिये पांचवर्षीय कार्यक्रम	Five Year Programme for production of Crude Oil	37—38
1019. भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गोष्ठी	Seminar Organised by FICCI at New Delhi	38—39
1020. सिंचाई तथा बिजली उत्पादन में प्रयोग किये जाने वाले पानी के लिये हिमाचल प्रदेश को रायल्टी के सम्बन्ध में आल इण्डिया हिमाचल सोशल बोडीज फेडेरेशन से ज्ञापन	Memorandum from All India Himachal Social Bodies Federation re. Royalty from Himachal Pradesh Waters used for Irrigation and Power Generation purposes ..	39—40
1021. औद्योगिक एककों को ऐलकोहल की सप्लाई	Supply of Alcohol to Industrial Units ..	40
1022. दिल्ली के न्यायालय में यातायात नियमों के उल्लंघन के निर्णयाधीन मामले	Cases of violation of Traffic Rules pending with Courts in Delhi	40—41
1023. रूस के सहयोग से पैट्रो रसायनिक उद्योगों का विकास	Development of Petro-Chemical Industries with the help of USSR ..	41
1024. मेंथाल तेल के मूल्य में गिरावट	Decline in price of Menthol Oil	41—42
1025. ग्वालियर रेयन के लिये बुक हुए माल डिब्बों का नागदा जंकशन पर खाली किया जाना	Unloading of Wagons at Nagda booked for Gwalior Rayons	42

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. Nos.		
1026. मध्य प्रदेश में कृषकों को बिजली सप्लाई करने के लिये कृषकों से अभ्यावेदन	Representation from Farmers for Supply of electricity to farmers in Madhya Pradesh	42—43
1027. पश्चिम रेलवे के स्कूलों के अध्यापकों को स्थायी बनाना	Confirmation of Teachers of Schools on Western Railway ..	43
1028. कानपुर सैंट्रल गुड्स शैड जूही और फजल गंज में माल उतारने-चढ़ाने का ठेका देने के लिये टेंडरों को अन्तिम रूप देना	Finalisation of tenders for goods handling contract at Kanpur Central Goodshed, and Juhi including Fazalganj ..	43
1029. हाल्दौर और बिजनौर रेलवे स्टेशनों के बीच गोली से मारे गए दो रेलवे यात्री	Rail Passengers shot dead between Haldaur and Bijnor Railway Stations	44
1030. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्मिक संघ और प्रबंधकों के बीच वार्त्ता	Negotiations between Workers' Union and Management of ONGC	44—45
1031. कर सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही	Drastic action against tax offences ..	45
1032. आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines in Andhra Pradesh ..	45—46
1033. उपभोक्ताओं की ओर से मेरठ शटल में अधिक यात्री डिब्बे तथा डीजल इंजन जोड़ने संबंधी अभ्यावेदन	Representation from commuters for attaching more coaches and diesel Engine to the Meerut Shuttle ..	46—47
1034. भटिंडा तापीय बिजली घर का निर्माण	Construction of Bhatinda Thermal Project ..	47
1035. भारतीय तेल निगम के शेयरों की जनता को बिक्री	IOC share for public subscription	47
1036. गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में उर्वरक रिएक्टर में कथित तोड़ फोड़	Alleged sabotage in Fertilizer Reactor of Fertilizer Plant, Gorakhpur	48
1037. पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्व तथा मध्य रेलों में रेल यात्रीयों की कमी	Fall in Railway Traffic on North Eastern, South Eastern and Central Railways	48

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अत० प्र० संख्या/U. S. Q. Nos.		
1038. ओखला, दिल्ली सफदरजंग और हजरत निजामुद्दीन में रेस्ट गिवर इलैक्ट्रिकल सिंगनल मेनटेनर	Rest Giver Electrical Signal Maintainers at Okhla Delhi Safdarjung and Hazart Nizamuddin	48—49
1039. दिल्ली में नई रेलवे लाइनें/स्टेशन	New Railway lines/Stations in Delhi ..	49
1040. रेलवे में अपराध रोकने के लिये रेलवे सुरक्षा बल के गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव	Changes proposed in the set up of R.P.F. to combat crime on Railways	49—50
1041. राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Irrigation and Power Ministers	50—51
1042. अतिरिक्त बिजली वाले राज्यों से बिजली की सप्लाई को अन्य राज्यों में भेजना	Diversion of Power Supply from Surplus States	51—52
1043. न्यायाधीशों के लिये बेहतर पेंशन	Better Pension for the Judges	52
1044. दक्षिण मध्य रेलवे के सफाई विभाग के कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई	Supply of uniforms to workers of Sanitary Department (South Central Railway)	52—53
1045. भारतीय उर्वरक निगम के विपणन प्रभाग में बट्टे खाते का धन	Bad debts in Marketing Division of FCI	53
1046. भारतीय खाद्य निगम के विपणन के प्रभारी निदेशक के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the Director incharge of Marketing FCI	53
1047. धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के दमकल विभाग द्वारा आग बुझाने से इन्कार	Refusal by Railway's Fire brigade for putting out fire at Dharamnagar ..	54
1048. राजस्थान नगर के निर्माण कार्य को सरकारी अधिकार में लिया जाना	Taking over of construction work of Rajasthan Canal	54

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. Nos.		
1049. विभिन्न भाषाओं में कानूनी शब्दावली तथा वाक्यांशों के शब्दकोषों का प्रकाशन	Publication of Dictionaries containing legal terms and phrases in various languages	54
1050. मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई	Irrigation of Cultivable land in Madhya Pradesh	54—55
1051. सौराष्ट्र मेल और त्रिवेणी मेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की असुविधा	Inconvenience to passengers travelling in Saurashtra and Triveni Mail ..	55
1052. मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनाएं	Centrally sponsored irrigation Projects in Madhya Pradesh	55—56
1053. नंगल उर्वरक संयंत्र के विस्तार के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for the Expansion of Nangal Fertilizer Plant	56
1054. उड़ीसा द्वारा आन्ध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Andhra Pradesh by Orissa	56—57
1055. बंगला देश दर्शना स्टेशन पर एक भारतीय रेलगाड़ी का रोका जाना	Holding up of an Indian Train at Darshana Railway Station in Bangladesh	57
1056. रेलगाड़ी लेट होने पर किराये के कुछ भाग की वापसी	Refund of a portion of fare in case a Train is late	57—58
1058. राष्ट्रीय राजपथों पर विद्युत प्रजनन और मुख्य पारोषण लाइनों के संचालन के लिये चहुमंखी संगठन	Setting up of a Four tier Organisation for Power Generation and Operation of Major Transmission Lines on National Highways	58
1059. एस्सो कम्पनी द्वारा अपना व्यापारिक हित बेचने का प्रस्ताव	Esso's offer for sale of its business interest	58—59
1060. अपर कृष्णा परियोजना	Upper Krishna Project	59
1061. महाराष्ट्र से मैसूर को पानी दिया जाना	Release of water from Maharashtra to Mysore	59—60
1062. भारतीय रेलवे के सिगनेलिंग व टेलीकम्यूनिकेशन विभाग के कर्मचारियों के कार्य का विश्लेषण (जांच एनेलेसिस)	Job Analysis of Staff of signalling and Telecommunication Department of Indian Railways	60

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या/U. S. Q. Nos.		
1063. सिग्नल और टेलीकम्यूनिकेशेन विभाग में से मशीनों की चोरी	Theft of Machines in the Signal and Telecommunication Department ..	60—61
1064. उत्तर प्रदेश में विद्युत की सप्लाई	Supply of power in U.P.	61
1065. नये विद्युत जोन की स्थापना	Formation of a new power zone	61
1066. मध्य प्रदेश में अधिक शक्ति वाले तापीय बिजलीघर की स्थापना	Setting up of Super Power Thermal Station in Madhya Pradesh	62
1067. वर्ष 1972 के दौरान रेलवे की आय	Earnings from Railways during 1972	62—63
1068. पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युत योजनायें	Rural Electrification schemes in West Bengal	63—64
1069. पश्चिम बंगाल में ग्रामों तथा नल कूपों का विद्युतीकरण	Electrification of villages and Tube wells in West Bengal	64
1071. सरकारी क्षेत्र में माल डिब्बा निर्माण कारखाना	Wagon Building Plant in Public Sector ..	64
1072. न्यायाधीशों के वेतनमानों का पुनरीक्षण तथा उनकी सेवा शर्तों में सुधार	Revision of Pay Scales and Improvement in the condition of Service of Judges	65
1073. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में रेलवे लाइनें	Railway lines in Orissa during 5th Five Year Plan	65
1074. गांवों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Villages	66
1075. अपर कृष्णा परियोजना का पूरा न होना	Completion of Upper Krishna Project	66—67
1076. मैसूर में कालिदी विद्युत परियोजना	Kalinadi Power Project in Mysore	67—68
1077. रेलवे खान पान व्यवस्था के स्तर में गिरावट	Deterioration on Standard of Railway Caterings	68—69
1078. चौथी योजना में विद्युत उत्पादन के लक्ष्य में कमी	Shortfall in target for power production in 4th Plan ..	69—70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1079. भारतीय तेल निगम के मार्केटिंग डिवीजन में भ्रष्टाचार के कथित मामले	Alleged cases of corruption in Marketing Division of I.O.C.	70
1080. नेपाल के सीसापानी और बराहक्षेत्र में बाढ़ की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था	Flood forecasting arrangements at Sisapani and Barahaksetra in Nepal	70-71
1081. नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देना	Recognition to North Eastern Railway Mazdoor Union	71
1082. झंझरपुर से लोकाहा तक लाइन का विस्तार तथा समस्तीपुर से, बरास्ता दरभंग रकसौल तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना	Extension of Line from Jhanjharpur to Laukaha and Conversion to Broad Gauge from Samastipur to Raxaul via Darbhanga	71-72
1083. ठीक समय पर आने जाने वाली रेलगाड़ियों की प्रतिशतता	Percentage of Punctual Trains	72
1084. बोनस की अदायगी के लिये रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threat of strike by Railway Employees for payment of Bonus	73
1085. बर्मा शैल को पुनर्गठित करने संबंधी मार्गदर्शी निदेश	Guidelines on Re-structuring Burmah Shell	73-74
1086. वर्ष 1972-73 में रेलवे माल भाड़ा यातायात में कमी	Shortfall in Railway Freight Traffic in 1972-73	74
1087. रेलवे कालोनी, किशनगंज, दिल्ली में, नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था हेतु ज्ञापन	Memorandum for providing Civic Amenities in Railway Colony, Delhi Kishanganj ..	74
1088. मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) के वरिष्ठता सम्बन्धी नियम	Seniority Rules in Metropolitan Transport Project (Railways) ..	74-75
1089. दोहद, धार और झाबुआ से होकर इंदौर और बड़ौदा के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Indore and Baroda via Dohad, Dhar and Jhabua ..	75

2—1 LSS/ND/72

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1090. बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं द्वारा क्षेत्रों की सिंचाई	Irrigation of areas by Major and Medium Irrigation Projects	75-76
1091. राज्यों में सिंचाई के लिये पानी की कमी	Scarcity of Water for Irrigation in States	76-77
1092. चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत परियोजनायें	Power Projects in Fourth Plan	77
1093. मध्य प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Madhya Pradesh	77-78
1094. कोलाबा और रत्नगिरि जिलों को जोड़ने के लिये पश्चिम तट रेलवे	West Coast Railway to Connect Kolaba and Ratnagiri Districts	78
1095. बिजली घरों का नियंत्रण	Control of Power Units	78-79
1096. पश्चिम क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Central Power Generation Stations in Western Region	79
1097. कोलफील्ड एक्सप्रैस 309 अप तथा 310 डाउन का पानागढ़ पर रुकना	Stoppage of 309 Up and 310 Dn Coalfield Express at Panagarh	79
1098. पश्चिम बंगाल में मार्टिन लाईट रेलवे का पुनः चालू किया जाना	Re-opening of Martin Light Railway in West Bengal	80
1099. उड़ीसा सरकार की रेंगाली तथा भीमकुंड परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को किये गए प्रतिवेदन	Orissa Government's Reports on Rengali and Bhimkund Projects to Central Water and Power Commission	80
1100. कटक रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी रेलवे पुल	Railway Over bridge at Cuttack level Crossing	80
1101. कटक और पारादीप के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Cuttack and Paradip	81
1103. पश्चिम बंगाल में विद्युत सप्लाई के प्राइवेट लाईसेंस धारियों के लाइसेंस समाप्त करना	Eliminating of Private Licences of Electric Supply in West Bengal	81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1104. उत्तर भारत को कोयले की ढुलाई करने के लिये रेलवे वैगन	Railway Wagons for Transporting coal to Northern India	81-82
1105. राजस्थान नहर का निर्माण	Construction of Rajasthan Canal	82-83
1106. वर्ष 1972 में यात्रियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Passenger Traffic during 1972	83
1107. बिजली घरों के रख रखाव के लिये कार्यदल की नियुक्ति करना	Setting up of a Task Force for Maintenance of Power Stations	83-84
1108. तेल के मामले में रियायत के लिये भारत की ईराक को पेशकश	India's Offer for an Oil Concession to Iraq	84-85
1109. बरौनी में पेट्रो रसायन उद्योग समूह	Petrol Chemical Complex at Barauni ..	85
1110. निर्मली में सरायगढ तक पुरानी लाइन का पुनः चालू किया जाना	Re-Opening of Oil Line between Nirmali and Saraigarh	85
1111. सरायगढ से राधोपुर तक गई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण	Survey for New Line from Saraigarh to Radhopur	85-86
1112. राजस्थान से नमक की ढुलाई के लिये माल डिब्बें	Wagons for Transportation of Salt from Rajasthan	86
1113. रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to make Railways Safer	86-87
1114. रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to ease Congestion on Railways	87
1115. रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने और उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए गठित समिति में कर्मचारों के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाना	Worker's Representatives on Committee for Improvement and Efficient Working of Railways	87-88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1116. तीन वर्षों की सेवा के बाद तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी दर्जा दिया जाना	Permanent Status to class III and IV staff after 3 years' service ..	88
1117. धनबाद डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में कथित गोलमाल और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये समिति	Committee to probe into alleged scandals and corruption in Dhanbad Division (Eastern Railway) ..	88-89
1118. रेलवे कार्यालयों (पूर्वी रेलवे) में लेख सामग्री की कमी	Shortage of stationery in Railway Offices (Eastern Railway)	89
1119. विदेशी तेल कम्पनी का उनकी साम्य पूंजी में सरकार द्वारा भाग लिये जाने का प्रस्ताव	Proposal of Foreign Oil Company for Government's participation in its equity capital ..	89-90
1120. भाकड़ा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पंजाब को बिजली और सिचाई जल की सप्लाई	Supply of power and irrigation water to Punjab by Bhakra Management Board ..	90
1121. शयन डिब्बों (स्लीपर्स कोच) की कमी	Shortage of Sleeper Coaches	91
1122. बाबूगढ रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद मालगाड़ी के गार्ड की हत्या	Killing of a Guard of Moradabad Ghaziabad Goods Train at Babugarh Railway Station	91
1123. अरुणाचल में पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली का उत्पादन	Generation of power by Hydel Project in Arunachal	91-92
1124. तेजपुर से भोमोरागुड़ी घाट (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) तक रेल लाइन का बढाया जाना	Extension of line from Tezpur to Bhomoraguri Ghat (Northeast Frontier Railway) ..	92
1125. पांचवी पंचवर्षीय योजना में देहातों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था	Rural power in 5th Plan ..	92-93
1126. बिहार के देहातों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to villages of Bihar	93

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Page
1127. बीकानेर जयपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Bikaner Jaipur line into broad gauge	93
1128. अन्तर्राज्यीय नदियों के लिये स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना	Setting up of an Autonomous board for inter-state rivers ..	93-94
1129. वैगन निर्माताओं के लिये प्रोत्साहन	Incentive for wagon manufacturers	94
1130. फ्रांस की फर्म के सहयोग से कम घनत्व की पोलीथिलीन का निर्माण	Manufacture of low density polyethylene in collaboration with French firm	94-95
1131. हिन्दी रेलवे समय सारणी के प्रकाशकों को सुविधाएं	Facilities to Publishers of Hindi version of Railway Time Table	95
1132. रेलवे समय सारणी के हिन्दी संस्करण के समय पर प्रकाशन में बाधाएं	Hurdles in Timely Publication of Hindi version of Railway Time Table	95-96
1133. उत्तर रेलवे के दिल्ली मुरादाबाद, व फिरोजपुर मंडलों के संकेत वदूर संचार विभाग के दैनिक मजूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Daily Wages Employees of S & T Department, Delhi Moradabad and Ferozepore Division (Northern Railway)	96-97
1134. उत्तर रेलवे के फार्मासिस्टों के साथ भेदभाव	Differential Treatment to Pharmacists on Northern Railway	97
1135. रेलवे सैलून सुविधा प्राप्त अधिकारियों को दैनिक भत्ते का भूगतान	Payment of Daily Allowance to Officers and provided with Railway Saloons	97-98
1136. उर्वरक संयंत्रो में अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन करना	Achieving the Installed Capacity of Fertilizer Plants	98
1137. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राजस्थान में मंजूर की गई योजनाएं	Schemes sanctioned in Rajasthan by Rural Electrification Corporation ..	98-99
1138. विदेशी तेल कम्पनियों का दबाव डालने का अभियान	Pressure Compaign by Foreign Oil Companies	99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1139. कानपुर में दो और ऊपरी पुलों का निर्माण	Construction of two more over-Bridges in Kanpur	100
1140. राजधानी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में संसद सदस्यों के लिये आरक्षित कोटा	Reservation Quota for Members of Parliament in Rajdhani Express Trains	100
1141. जालन्धर सिटी रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालय में रिटाइरिंग रूप बनाना	Conversion of I Class Waiting Room into Retiring Room at Jullundur City Railway Station	100-101
1142. विद्यार्थियों द्वारा जंजीर खींचने के कारण हिमाचल एक्सप्रैस का देर से चलना	Late running of Himachal Express due to Chain Pulling by Students	101
1143. शरावती, पनबिजली परियोजना मैसूर के लिये उपकरण का आयात	Import of Equipments for Sharavathi Hydel Project, Mysore	101
1144. अहमदाबाद के लिये महानगरीय परिवहन व्यवस्था	Metropolitan Transport System for Ahmedabad	102
1145. बिहार को सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता	Assistance to Bihar for Irrigation Schemes ..	102
1146. बिहार में बाढ नियंत्रण के लिये नई योजनाएं	New Flood Control Scheme in Bihar ..	103
1147. प्रथम श्रेणी के डिब्बों में कोरीडोर	Corridors in First Class Coaches	103-104
1148. देहरी आन सोन बरवाडीह लाइन पर यात्रा गाड़ियों का लूटा जाना	Looting of Passenger on Dehri-on-Sone Barwadih line ..	104-105
1149. लूटपाट और डाकाजनी की घटनाओं में वृद्धि	Increasing incidents of Looting and Robbery ..	105
1150. क्लोरोटट्रासाईक्लाइन की अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन	Installed capacity and Output for Chlorotetracycline	105
1151. जल के भूमिगत संग्रह के लिये डीप एक्वीफरस की खोज	Search for Deep Acquifers for underground Storage of Water	106
1152. भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिये गये डिप्लोमाओं को मान्यता देना	Recognition of Diploma awarded by the Indian Law Institute	106-107

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1153. न्यायाधीशों को सेवानिवृति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने से रोकने के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution to Bar Judges from Starting practices in Supreme Court after retirement	107
1154. भारत ईराक संयुक्त तेल शोधक कारखाना	Indo Iraqi Joint Oil Refinery	108
1155. समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा जयनगर तक बड़ी लाइन का बिछाया जाना	Broad gauge line from Samastipur to Jayanagar via Darbhanga	108
1157. भारतीय उर्वरक निगम को होलिडग कम्पनी बनाना	Formation of Holding Company of FCI	108-109
1158. मैसूर राज्य में कपिल और तराका परियोजनाओं का निर्माण	Construction of Kapila and Taraka Projects in Mysore	109
1159. भारतीय तेल निगम ईरान से शोधित तेल का आयात	Import of crude oil from Iran by I.O.C.	109-110
1160. भारतीय उर्वरक निगम के विपणन निदेशक की नियुक्त	Appointment of Director (Marketing in FCI)	110
1161. श्रीनगर में राज्यों की सिचाई और विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Irrigation and Power Ministers at Srinagar	110-111
1162. आन्ध्र प्रदेश में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Railway Gauge in Anohra Pradesh	111-112
1163. बिहार में गंगा के उत्तरी किनारे पर बांध बनाना	Construction of a Dam on Northern Bank of Ganga in Bihar	112
1164. भारतीय स्वतन्त्रता की पच्चीसवीं वर्षागांठ पर हरिजनों के गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Harijan Villages during Silver Jubilee year of India's Independence	112-113
1165. लघु एककों को बढिया किस्म के पोलिथिलीन का वितरण	Distribution of High Density, Poly-ethylene to Small Scale Units	113-114
1186. चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Fourth Plan	114
1167. चिचाकी तथा चौधरी बांध रेल स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of Goods Train between Chichaki and Chaudhari Bandh Stations	114-115

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1168. ग्रामीण बिजली निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification by Rural Electrification Corporation	115
1169. रेलवे परियोजनाओं के लिये भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और तकनीशियनों को भेजने का विदेशों द्वारा अनुरोध	Request for Indian Engineers and Technicians for Railway Projects in foreign countries	116
1170. बंगला देश में रेल व्यवस्था के पुन: संचालन के लिये भारतीय सहायता	Indian Assistance for Rehabilitating Bangladesh Railways	116
1171. रेलवे में यात्री यातायात से होने वाली आय तथा यात्री सेवाओं के सुधार पर किया गया व्यय	Revenue from passenger Traffic Railways and Money spent on improving Passenger Services	116-117
1172. देश में बिजली का उत्पादन	Generating of Power in the country	117
1173. पांचवीं योजना की अवधि के लिये माल डिब्बों की आवश्यकता	Requirement of Wagons for Fifth Plan period	118
1174. ईंधन तेल के मूल्य में कमी	Reduction in the price of Fuel Oil	118-119
1175. बिजली केन्द्रों का कार्यकरण	Working of Power Stations	119-120
1176. पांचवी योजना में बिजली की मांग	Demand for Power in Fifth Plan	120
1177. उर्वरक के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Fertilisers	121
1178. रेल भाड़ा पद्धति में संशोधन	Change in Railway Freight Structure	121
1179. बिजली की कमी का रेल सेवा के विद्युतीकृत सैक्शनों पर पड़ने वाला प्रभाव	Effect of Power shortage on Train Service on Electrified Sections	121-122
1180. रूस द्वारा भारत में उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Fertiliser Projects in India by Soviet Union	122
1181. प्रमुख शहरों के लिये बड़े रेल स्टेशन	Large Stations for Major Cities ..	122-123
1182. उत्तर बिहार में मुज़फ्फरपुर में तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना	Setting up of Thermal Power Plant at Muzzaffarpur in North Bihar	123

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1183. अणुशक्ति से विद्युत उत्पादन	Generation of Power from Atomic Energy	123
1184. केरल में नई दोहरी रेल लाइनें बिछाना	Laying of New Double Railway Lines in Kerala ..	123-124
1185. केरल में कालोडा नदी घाटी परियोजना का निर्माण	Construction of Kalloda River Valley Project in Kerala	124-125
1186. अधिक बिजली के उत्पादन के लिये केरल में परियोजनाओं को स्वीकृति देना	Clearance of Projects for Generation of more Electricity	125
1187. योजना आयोग में विचाराधीन पड़ी केरल सरकार की बिजली और सिंचाई योजनाएं	Kerala Government's power and irrigation Schemes pending with Planning Commisssion	126
1188. दिल्ली तथा उपनगरों में बिजली फेल हो जाना	Power Failures in Delhi and Suburbs	126
1189. कोचीन तेल शोधनशाला में तकनी की जानकारी का उपयोग करने के लिये फिलिप्स कम्पनी को किया गया भुगतान	Amount paid to Phillips Company for the use of their Technical Know-how in Cochin Oil Refinery	127
1190. कोचीन तेल शोधन्शाला प्रबंध द्वारा समझौते को लागू न करना	Non implementation of agreement by the management of Cochin Oil Refinery	127
1191. पोंग बांध क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में अधिगृहीत भूमि के लिये मुआवजा देना	Compensation for Land acquired in Pong Dam Area (Madhya Pradesh)	127-128
1192. बम्बई तथा कोचीन के बीच रेल सेवा	Train between Cochin and Bombay	128
1193. हल्दिया शोधनशाला के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति	Achievement of Target of Production in Haldia Refinery	128
1194. मुस्लिम वैयक्तिक विधि के बारे में जस्टिस वी० खालिद की टिप्पणी	Observation made by Mr. Justice V. Khalid Regarding the Muslim Personal Law ...	129
1195. सिविल प्रक्रिया संहिता का पुनरीक्षण	Revision of Code of Civil Procedure ..	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1196. राज्य की नीति निदेशक के तत्वों का क्रियान्वयन	Implementation of Directive Principles of State Policy	129-130
1197. हिन्दी में अनुदित कानून की पुस्तकें	Law Books Translated in Hindi	130
1198. केन्द्रीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद	Translation of Central Laws in Regional Languages ..	131-132
1199. श्रीलंका में एक तेल शोधक कारखाना की स्थापना	Setting up of an oil Refinery in Sri Lanka	132
1200. सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों के कार्यकाल को आगे बढाया जाना	Extension beyond Tenure Period to Staff on Deputation to Vigilance Department	132-133
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	133
आन्ध्र प्रदेश में मुल्की कानूनों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement on Mulki Rules in Andhra Pradesh	133-141
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inder Jit Gupta ..	133, 135-36, 137
श्री रामनिवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha ..	133, 134, 137, 138
बालयोगेश्वर के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में	Re. Statement about 'Balyogeshwar' ..	141-142
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	142
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
18 वां प्रतिवेदन	Eighteenth Report	143
विमान वहन विधेयक पुन:स्थापित	Carriage by Air Bill-Introduced	143-144
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1969–70 सम्बन्धी 19 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Nineteenth Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1969-70 ..	144-162

श्री के मारक	Shri K. Marak	144-145
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R.D. Bhandare ..	145-147
श्री बी० एस० मूर्ति	Shri B.S. Murthy	147-149
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	149-151
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	151-152
श्री एस० एम० सिद्दय्या	Shri S.M. Siddayya	152-154
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	154
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram	154-155
श्री पन्नलाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal	155-156
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	156-157
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	157-159
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	159-160
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	160-161
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	161-162

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 21 नवम्बर कार्तिक, 1894 (शक)
Tuesday, November 21, 1972/Kartika 30, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Production of Three New Drugs by Hindustan Antibiotics

***101. Dr. Laxminarain Pandey**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) Whether three new drugs have been produced by Hindustan Antibiotics and if so, the names thereof;

(b) Whether Hamycin ointment among these three new drugs has been very popular abroad; and

(c) the time by which it would be put up for sale in India?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखेले): (क) जी हां। ये औषधियों हेमाइसीन एण्टामोयबिन और आरो-प-यूजिन हैं।

(ख) और (ग): हेमाइसीन आधारित दो सूत्रयोगों (फारमूलेशन्स) की पहले ही बिक्री हो रही है। हेमाइसीन मरहम को बिक्री भारत में दिसंबर, 1972 से आरंभ किये जाने की आशा है। इस औषध की बिक्री अभी विदेशों के बाजार में प्रारंभ नहीं हुई है।

Dr. Laxmi Narain Pandey: For which diseases this drug has proved effective? Is it a fact that Hamycin is an effective Drug for skin diseases? Why this drug has not so far been released in the market though tests and experiments have been going for one year?

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक हेमाइसिन का संबंध है, उस औषध को बच्चों के कण्ठ रोग और "वेगिनज मोलनिलाइसिस" जैसे रोगों में प्रभ्वोत्पादक पाया पया गया है।

इस औषध से तीन सूत्र योग (फार्मुलेशन्स) तैयार होते हैं। उनके नाम हैं :— एलीसरीन घोल में हेमाइसिन, हेमाइसिन वेगिनल टेबलेट्स और हेमाइसिन मरहम। पहली दो औषधयां सितम्बर 1963 से भारत के बाजारों में बिक रही हैं। हेमाइसिन मरहम को औषध अधिकारियों ने हाल ही में पास किया है और उस को बिक्री भारत के बाजारों में दिसम्बर, 1972 से आरंभ होने की संभावना है।

Allotment of Petrol Pump and Domestic Gas Agencies Unemployed Harijan Graduates

***102. Shri Ishwar Chaudhry**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** पैट्रोलियम और रसायन मंत्री be pleased to state:

(a) the criteria followed by Government in alloting Petrol Pump and domestic gas agencies;

(b) whether Government propose to give such agencies to unemployed Harijan graduates; and

(c) if so, the time by which Government propose to give such agencies to them?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के पश्चात् तत्काल ही सरकार ने निर्णय लिया था कि भारतीय तेल निगम के द्वारा प्रारंभ में 28-12-1971 से एक वर्ष की अवधि के लिए अग्रता के क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों को अपनी सभी व्यापार एजेंसियां तरजीही आधार पर दी जानी चाहिए :—

(1) रक्षा मंत्रालय और सीमा सुरक्षा दल के बिकलांग व्यक्ति

(2) युद्ध में मारे गये अथवा लापता हो गये सैनिकों की विधवाएं/आश्रित।

(3) भूतपूर्व सैनिक।

तदनुसार रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशक की सिफारिशों के अनुसार भारतीय तेल निगम उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को तरजीही आधार पर एजेंसियां दे रहा है। जब पुनर्वास महानिदेशक एक निर्धारित स्थान के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने के कारण किसी व्यक्ति की सिफारिश करने में असमर्थ होता है तब भारतीय तेल निगम उस एजेंसी के लिए विज्ञापन (समाचार पत्र में) देता है और उन अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) में से जो विज्ञापन के उत्तर में प्रार्थना पत्र भेजते हैं। कम आय वाले परिवारों के बेरोजगार इंजीनियरों/स्नातकों को प्राथमिकता दी जाती है। सभी शर्तें समान होने पर अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

Shri Ishwar Chaudhry: It has been stated by the Hon. Minister to his reply that preference is given to unemployed engineers' graduates from low income group families and scheduled castes/tribes. May I know how many applicants of the above categories have been able to get agencies?

श्री एच० आर० गोखले: मेरे विचार से इस बारे में कोई गलतफहमी है अपने उत्तर में मैं ने प्राथामिकताओं का उललेख किया है। प्राथमिकता सूची में, सब से पहले स्थान

पर रक्षा सेनाओं और सीमा सुरक्षा दल के विकलांग सैनिक आते हैं। यह 1971 के युद्ध के पश्चात से किया गया है। उसके पश्चात् युद्ध में हत हुए सैनिकों की पत्नियां हैं और उसके बाद और लोग। अत: इस प्रकार की प्राथमिकता सूची है। जहां जहां पर आवेदकों को स्थान स्वीकार्य थे और पुन: स्थापन विभाग ने उनके नाम की सिफारिश की थी, उनको एजेंसियां दी गई हैं।

इस प्रकार बेरोज़गार स्नातकों आदि को दूसरी प्राथमिकता प्राप्त हैं। अब हरिजनों अथवा अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए कोई विशेष प्राथमिकता नहीं है। परन्तु स्नातकों के मामले का विचार करते समय, अन्य बातों में समानता होने की स्थिति में हरिजनों अथवा अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता दी जा रही है। परन्तु, दुर्भाग्य से, स्थिति यह है कि जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं—मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं—एजेंसियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं अर्थात, सबसे पहले स्नातक होना जरूरी है, तब बेरोजगार इंजिनीयर होना, आदि आदि, बहुत ही कम आवेदकों की थी। मेरे पास जो सामान्य आंकड़े हैं.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्या पेट्रोल पम्प चलाने के लिए वे किसी का स्नातक होना आवश्यक समझते हैं?

श्री एच० आर० गोखले: प्राथमिकता बेरोजगार स्नातकों के लिए है। प्राथमिकता का आधार यह था कि बेरोजगार स्नातकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। उनमें, कुछ आवेदक, यदि वे अनुसूचित जातियों और जन जातियों से हो; तो अन्य बातें एक समान होने की स्थिति में, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। वास्तव में, व्यवहारिक रूप में, प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में इस प्रकार के आवेदक बहुत ही कम है;

Shri Ishwar Chaudhry: It is now clear that no unemployed Harijan has been given the agency. All the announcements and declarations being made by the Government are misleading and farce. How many disabled or missing Harijan Jawans of armed forces have been given agencies?

Mr. Speaker: You asked about the criteria. If you wanted the number, you should have mentioned that also in the question.

Shri Ishwar Chaudhry: Has our Government succeeded in providing agencies to disabled or missing Harijan Jawans?

श्री एच० आर० गोखले: मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं और आपकी अनुमति से मैं इन्हें प्रस्तुत करता हूं क्योंकि मूल प्रश्न के दो भाग हैं। प्रथम, युद्ध में अपंग आदि होने वालों में भी हरिजन हो सकते हैं। उनके मामले में स्नातक होने की शर्त लागू नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, रक्षा सेनाओं के अपंग आदि लोगों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की पहले रक्षा मंत्रालय के पुन: स्थापन अनुभाग द्वारा जांच की जाती है। जहां तक हमारे मंत्रालय का संबंध है, हम उनके द्वारा सुझाए गए नामों को ही स्वीकार करते हैं।

जहां तक यह प्रश्न है कि क्या इन श्रेणी में हरिजन अथवा अनुसूचित जातियों के व्यक्ति भी हैं, इस बात की मैं रक्षा मंत्रालय से जांच करूंगा। मैं यह सूचना माननीय सदस्य को उपलब्ध कराने को तैयार हूं। प्रश्न के अन्य भाग के संबंध में मेरे पास कुछ जानकारी उपलब्ध है, प्रश्न के अन्तिम भाग का संबंध दूसरे प्राथमिकता वर्ग अर्थात् बेरोजगार स्नातक आदि से है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, परंतु मैं नहीं समझता कि उन्हें पढ़ने में समय लगाया जाये। मैं उसे सभा पटल पर रखने को तैयार हूं। परंतु मैं हरिजनों की संख्या बताना चाहूंगा, जो कि मूल प्रश्न था। दूसरे प्राथमिकता वर्ग में, सितम्बर, 1972 तक, 2 व्यक्तियों को 'रिटेल आउटलेट' 3 व्यक्तियों को एस० के० ओ० व एक को इन्डेन की एजेन्सी (कुल 6) दी गई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न आवेदकों को मिलाकर, उस आवेदकों की संख्या बहुत अधिक थी। आपकी अनुमति से मैं यह विवरण सभा पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : सरकार द्वारा रक्षा सेनाओं के जवानों, युद्ध में हत हुए सैनिकों की विधवाओं आदि को प्राथमिकता देने का निर्णय बहुत उचित है। इस संबंध में, जो धोषणा हो रहा है, मैं उसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान अर्कषित करना चाहता हूं। यदि किसी मृत सैनिक की पत्नी को, जो राजस्थान में रहती है, आन्ध्र प्रदेश अथवा तमिल नाडु में एजेन्सी दी गई, जिससे 500 अथवा 1000 रुपये की आय होगी, तो वह स्त्री वहां पर जाकर कार्य करने को तैयार न होगी। असामाजिक तत्व इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। क्या सरकार यह सावधानी बरती है कि इस प्रकार की घटनाएं न हों? यदि उन क्षेत्रों में किसी भी मृत सैनिक की पत्नी नहीं रहती, तो वहां पर स्नातक इंजीनियर, अथवा हरिजन को अवसर दिया जाना चाहिए। हर स्थिति में एक ही मानदंड की पालन नहीं होना चाहिये क्योंकि इससे कदाचार बढ़ता है।

श्री एच० आर० गोखले : यह मानदंड मुख्य रूप से पिछले युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण अपनाया गया था। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को इस मान-दंड पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि, माननीय सदस्य के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में इसका दुरुपयोग होता है, क्योंकि यदि किसी राजस्थान निवासी को किसी अन्य राज्य में पेट्रोल पम्प की एजेन्सी दी जाती है जहां वह नहीं जा सकता तो दिलचस्पी रखने वाले अन्य पक्ष इस अवसर की दुस्प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में नहीं लाया गया है। परन्तु मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और इसकी जांच करुंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि कितने बेरोजगार स्नातकों अथवा इंजीनियरों को पेट्रोल पम्प की एजेन्सियां दी गई हैं?

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने कहा कि मूल प्रश्न आंकडों के संबंध में नहीं है, तो मंत्री महोदय ने स्वयं कुछ आंकडे बता दिये। अब मैं इस प्रश्न को नहीं रोक सकता।

श्री एच० आर० गोखले : मेरे पास आंकडे तो हैं परंतु राज्य-वार आंकडे नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा। मैं उन्हें पढ देता परंतु उस में काफी समय लगेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें केवल 2 मिनट का समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : वह उसे सभा पटल पर रख देंगे। यह सूची बहुत लम्बी है।

श्री एच० आर० गोखले : मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री महोदय को राज्य-वार आंकड़े भी बता देने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वैसे तो यह प्रश्न के विस्तार से बाहर हैं परंतु यदि मंत्री महोदय तैयार है, तो वह इसे सभा पटल पर रख दें।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें भूतपूर्व सैनिकों अथवा बेरोजगार स्नातकों को अलाट किए गए पेट्रौल पम्प फिर से इंडियन ऑयल कारपोरेशन को लौटाये गए हों और उसने इन्हें वाणिज्यिक आधार पर दूसरों को दिया हो ?

श्री एच० आर० गोखले : मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह गत दो प्रश्न के विस्तार से बहुत ही परे है यदि मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में हैं तो उत्तर दे दें। वह आप के दल के हैं। आप उनसे निजि तौर पर भी पूछ सकते हैं।

Shri Ramavatar Shastri: The Hon. Minister has not included Scheduled Castes and Scheduled Tribes in his criteria, though reservation is made for them in other spheres. Why the reservation has not been done in this case and is there any difficulty in this regard? Does the Government propose to make reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of Petrol Pumps and agencies of cooking gas?

श्री एच आर० गोखले : सरकार इस प्रश्न की जांच करेगी, परंतु, प्रत्यक्षतः, यह प्रतीत होता है कि इसमें कुछ कानूनी कठिनाइयां हो सकतीं हैं, क्योंकि—यह तथाकथित भेदभाव नहीं है। कुछ मामलों में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को प्राथमिकता संविधान के अन्तर्गत भी स्वीकार की गई है; परंतु मैं कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा और देखूंगा कि इस नीती को कार्यान्वित किया जा सकता है अथवा नहीं।

कुवैत द्वारा यूरिया तथा तरल अमोनिया की सप्लाई

*103. **श्री के लक्कप्पा** † :

श्री पी० गंगा देव :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** भारत और कुवैत के अमोनिया के मूल्य संबंधी मतभेद दूर हो गये हैं;

(ख) क्या कुवैत भारत को यूरिया तथा तरल अमोनिया सप्लाई करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितना मूल्य निर्धारित किया गया है और कुवैत द्वारा कितनी मात्रा सप्लाई की जाएगी ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) हाल ही में कुवैत के शिष्टमण्डल के भारत में दौरे के दौरान यह देखा गया था कि कुवैत से भारत को अमोनिया की सप्लाई के लिए एक करार के निष्पादन की बात-चीत अन्तिम चरण में पहुंच गई थी। यह तय हुआ है कि इस सम्बन्ध में एक औपचारिक करार को यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) आगामी तीन् वर्षों में कुवैत से प्रतिवर्ष लगभग 1,50,000 मीटरी टन तक यूरिया के प्राप्त होने की आशा है। भारत ने इसकी खरीद में रूचि दर्शायी है वशर्ते कि इसके मूल्य, प्रेषण कार्यक्रम, आदि से सम्बन्धित आपसी सन्तोषजनक करार हो जाता है।

श्री के० लकप्पा : देश में यूरिया तथा तरल अमोनियम की कमी है। अतः हमारा देश इसके आयात पर विशेषकर कुवैत से बहुत निर्भर करता है। मैं जानना चाहता हूं कि कुवैत के शिष्टमंडल के भारत में दौरे के समय कितनी मात्रा और कितने मूल्य के आयात की बातचीत हुई थी और यह आयात कितनी अवधि तक के लिये होगा।

श्री एच० आर० गोखले : मैं मूल उत्तर में बता चुका हूं कि संलेख द्वारा एक प्रारम्भिक करार को अंतिम रूप दिया जा चुका है जिसके आधार पर मूल्य, प्रेषण कार्यक्रम आदि को ध्यान में रखते हुए अभी एक करार पर हस्ताक्षर होने हैं। लेकिन जहां तक यूरिया का सम्बन्ध है, प्रारम्भिक वार्ता के द्वारा हम जुलाई, 1973 से जून 1974 तक 1,50,000 मीटरी टन, जुलाई, 1974 से जून 1975 तक उतनी ही मात्रा तथा जुलाई 1975 से जून 1976 तक 1,50,000 मीटरी टन से लेकर दो लाख टन तक प्राप्त करेंगे। जहां तक आमोनिया का सम्बन्ध है, इसपर अभी अंतिम निर्णय लेना शेष है। अभी केवल प्रारम्भिक संलेख पर हस्ताक्षर हुये हैं।

श्री के लकप्पा : क्या यह सच है कि हमारे देश के अधिकारियों के साथ वार्ता के समय कुवैत शिष्टमंडल ने मूल्य सम्बन्धी अपनी कुछ ऐसी शर्तें रखी थीं जो इस देश के लिये लाभदायक नहीं थी और, यदि हां तो वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं और क्या इन वस्तुओं के आयात सम्बन्धी मूल्यों के बारे में इस प्रकार का दबाव डाला गया था और, यदि हां, तो सरकार की उसपर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री एच० आर० गोखले : इसका उत्तर सब से पहले दिया जा चुका है। मूल्य के संबंध में बातचीत अभी नहीं हुई है और कोई भी हम पर दबाव नहीं डाल सकता।

श्री पी० गंगादेव : नाइट्रोजनी उर्वरक के पैट्रोलियम फीडस्टाक, जिसकी सप्लाई कम होने की आशा है, को ध्यान में रखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे स्त्रोतों द्वारा विदेश से उचित दरों पर नेफ्ता अथवा अमोनिया प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या दीर्घकालीन प्रवन्ध किये हैं?

श्री एच० आर० गोखले : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इससे सम्बन्धित है क्योंकि ये दूसरे स्त्रोतों की बात कह रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत

हूं कि हमें उर्वरक की कमी के बारे में गम्भीरता से विचार करना है और यह बात हमारे विचाराधीन है। जहां तक कुवैत का सम्बन्ध है, मैं ब्योरे दे चुका हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is it a fact that we intend to import urea in large quantity from Kuwait because we may be getting lesser quantity of urea than expected from Eastern Europe?

श्री एच० आर० गोखले : जी, नहीं। इसका कारण यह है कि हम सभी स्त्रोतों का उपयोग करना चाहते हैं। कुवैत के साथ काफि सम्भावनायें हैं यद्यपि, जैसा कि मैंने कहा, अंतिम प्रबन्ध अभी करने को हैं। यह द्विपक्षीय हो सकता है, हम भी उन्हें किसी वस्तु का निर्यात कर सकते हैं। यही एक लाभ है।

श्री एच० आर० दामाणी : कुवैत के साथ कितने समय से बातचित चल रही है? क्या उन्होंने हम से कोई दूसरी पेशकश की है और, यदि हां, तो मुगतान किस प्रकार से किया जायेगा। क्या हम भी उन्हें किसी वस्तु का निर्यात कर रहे हैं?

श्री एच० आर० गोखले : संयुक्त संलेख पर 6 अक्तूबर, 1972 को हस्ताक्षर हुये थे। यूरिया तथा तरल अमोनियम के सम्भावित आयात के आंकड़े को मैं बता चुका हूं। यह विचाराधीन है। जैसे मैं बता चुका हूं, मूल्य तथा अन्य बातों पर अभी विचार करना है। यह एक प्रारम्भिक संलेख है, जहां उन्होंने सौदे में रूचि दिखायी है और हमने भी अपनी रुचि दिखाई है।

सिंचाई के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलन

*105. **श्री अण्णासाहिब गोटरिवंडे**

श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर पैदा की गयी अतिरिक्त क्षमताओं के बावजूद सिंचाई की सुविधाओं के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलन अभी तक बने हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में सन्तुलित सिंचाई सुविधाओं को व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैज नाथ कुरील) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सिंचाई सुविधाओं में असन्तुलन, जो कि अलग-अलग राज्यों में, साथ ही राज्य-विशेष के विभिन्न क्षेत्रों में, विद्यमान है, जो जल संसाधनों को सापेक्ष उपलब्धता, जल संसाधनों को उपलब्धता को काम में लाए जाने की सापेक्ष आसानी ; इस योजना से पहले ही किए गए विकास कार्य और जो प्राथमिकता राज्य सरकार, ने योजना अवधि में सिंचाई परियोजनाओं को दी है, पर निर्भर करता है।

प्रत्येक राज्य का फसली क्षेत्र, अनुमानित अंतिम सिंचाई शक्यता, योजनाओं को प्रारंभ करने के समय से पहले विकसित शक्यता, 1973–74 में और पहले हाथ में ली गई सभी

वृहत् और मध्यम परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उपलब्ध होने के लिए संभावित शक्यता और चौथी योजना के अंत तक वृहत् और मध्यम सिंचाई सेक्टर में संभावित योजना परिव्यय का एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी–3741/72]

(ख) पांचवी योजना में नयी स्कीमों को समिलित करने पर विचार करते समय, उन स्कीमों को प्राथमिकता देना प्रस्तावित है जिनसे सूखा-क्षेत्रों को लाभ हो। आधिक्य वाले क्षेत्रों से स्थानान्तरित किए जाने वाले जल को भी अधिकांशतया सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपयोग करना प्रस्तावित है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : विवरण में बताया गया है कि पांचवी योजना में नई योजनायें स्वीकृत करते समय उन योजनाओं को प्राथमिकताऐं देने का प्रस्ताव है जिनसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। विवरण के अनुसार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कुल फसल का क्षेत्र सारे देश का एक चौथायी भाग है। लेकिन सिंचाई सुविधाओं के फसलों में ये बहुत पीछे हैं। सिंचाई के प्रतिशत में महाराष्ट्र का दर्जा एक को छोड़कर सब से नीचे है। क्या पांचवी योजना में नई सिंचाई योजनायें शामिल करते समय महाराष्ट्र की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : यह बात बिलकुल ठीक है कि एक चौथायी क्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सिंचाई का प्रतिशत 10.2 और महाराष्ट्र का 11.4 है जबकि सारे भारत का औसत 27.8 है। अतः देश में सिंचाई के विकास के लिये जहां तक सम्भव हो, दोनों राज्यों को सिंचाई सुविधायें देने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : विवरण में कहा गया है कि सिंचाई सुविधाओं में असंतुलन अलग-अलग राज्यों में विद्यमान है जो जल संसाधनों की साक्षेप उपलब्धता पर निर्भर करता है। जल देश में उपलब्ध है लेकिन इसका न्यायाधिकरण संबंधी विवादों के कारण उपयोग नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की 65 परियोजनाओं के भारत सरकार से स्वीकृति मिलती है और इनमें से 18 परियोजनायें पिछले पांच वर्षों से भारत सरकार के विचाराधीन है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने अब तक निर्णय नहीं दिया है। क्या यह सम्भव नहीं है कि भारत सरकार इन परियोजनाओं को इस शर्त के साथ स्वीकृति देगी कि न्यायाधिकरण के गठेन के बाद शुरू की गई परियोजनाओं को नदी जल, जिसकी रक्षाछनी चाहिये पर आश्रित नहीं समझा जायेगा और राज्य में इसका उपयोग न्यायाधिकरण द्वारा आवंटित रीति से अधिक नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है बल्कि कार्यवाही के लिये एक सुझाव मात्र है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार प्रश्न पूछना चाहें तो इससे अच्छा तो यह है कि चर्चा की जाये।

डा० के० एल० राव : जब तक न्यायाधिकरण अपना निर्णय नहीं देगा तब तक जल को उपयोग में लाने के लिए किसी सिंचाई परियोजना की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी अतः हम ऐसा व्यय नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर व्यर्थ सिद्ध हो। विशेषकर कृष्णा नदी के न्यायाधिकरण के बारे में मुझे आशा है कि वह अपना निष्कर्ष एक वर्ष की अवधि में दे देगा। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री लीलाधर कटकी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों और इन राज्यों के अनेक क्षेत्रों में वर्तमान असन्तुलन, जैसा कि विवरण से पता लगता है, के सम्बन्ध में ब्योरेवार अनुमान तैयार कर लिये गये हैं, ताकि दोष निवारक उपाय किए जा सके? हमारे पास जो विवरण है वह बहुत ही अस्पष्ट है। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है कि पांचवी योजना में केवल सूखग्रस्त क्षेत्रों के लिए ही राशि का नियतन किया जाएगा। किन्तु प्रश्न विभिन्न राज्यों में सिंचाई सुविधाओं में असन्तुलन के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री लीलाधर कटकी : मैं बताता हूं, विवरण में क्षेत्र की इकाई और परिव्यय भी नहीं दिया गया है। कुछ आंकड़े दिए गए है। हमें यह अनुमान लगाना पड़ेगा कि क्या यह हैक्टरों, हजार हेक्टरों, लाख हैक्टरों या एकड़ों में है या धन राशि लाख या करोड़ रुपयों में है। फिर ये तुलनात्मक आंकड़े तैयार किए जा सकते हैं। किन्तु किसी को तो इनकी प्रतिशतता निकालनी ही पड़ेगी।

मेरा प्रश्न है कि क्या ऐसे कोई ब्यौरेवार अनुमान तैयार कर लिए गये है जिससे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिए गए आश्वासन के अनुसार पांचवी योजना में विभिन्न राज्यों को सिंचाई सुविधाएं देने में असन्तुलन दूर करने के लिए दोषनिवारक उपाय किए जा सकें।

डा० के० एल० राव : पांचवी योजना में मुख्य बात ध्यान देने की यह है कि हमारे पास सिंचाई की ऐसी अनेक योजनाएं है जो पिछले 10 वर्षो से चल रही है किन्तु अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। पांचवी योजना में 1000 करोड़ रूपये की योजनाओं के तैयार होने की सम्भावना है। हमें सिंचाई क्षेत्र में पांचवी योजना के आकार का पता नहीं है। यह बात तो स्पष्ट है कि उन योजनाओं, जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, के लिए बहुत अधिक राशि खर्च की जाएगी। अतः जितनी धन राशि हमारे पास शेष है उसे प्राथमिकता के रूप में देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। क्योंकि हमारे लगभग एक तिहाई कृषि योग्य भूमि सूखाग्रस्त है। अतः स्पष्ट है कि पांचवी योजना में जितनी शेष राशि होगी उसे हमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर व्यय करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य के क्षेत्र, आसाम का सम्बन्ध है यह बात सच है कि सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं है। वहां सिंचाई औसत दर्जे की है जो 27.8 की तुलना में 28.5 हो सकती है। किन्तु वहां सिंचाई का विकास करना अत्यंत सुगम और आसान है क्योंकि वहां भूमि का जल अच्छा है। मुझे विश्वास है कि वहां के लिए जो भी योजनाएं तैयार की जाएगी उनपर अनुकूल रूप से विचार किया जाएगा।

Shri Sarjoo Pandey: In view of the fact that eastern districts of Uttar Pradesh are backward areas in irrigation, is Government considering to formulate any scheme in the Fifth Five Year Plan period so as to remove this imbalance to some extent there and to increase irrigation potential in the area in comparison to that in other states?

डा० के० एल० राव : उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में गंडक परियोजना है जो कार्य करने लगेगी और उस परियोजना से लगभग 7 लाख एकड भूमि में सिंचाई होगी। उससे वस्तुत: प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल उपलब्ध हुआ तो उसका पूर्ण उपयोग किया जाएगा। किन्तु जहां तक मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के लिए किसी अन्य परियोजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra: Gandak project has been under construction for the last 12 years and only 1.25 lakh area of land has been brought under irrigation so far and there has been good crops there. I want to know by what time this Gandak project is likely to be completed ? Since State Government is unable to handle this project, is there any proposal of the Central Government to take over this project and to bring the areas of U. P., Bihar and Nepal under irrigation through this project as early as possible?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

डा० के० एल० राव : सिंचाई के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रहने का एक कारण यह भी है कि हम कुछ परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाये हैं। गंडक परियोजना एक उदाहरण है। यद्यपि मुख्य बांध पूरा हो गया है और मुख्य नहरें बहुत अच्छी है किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि सहायक नदियां और खेतों की नालियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। मुझ आशा है कि बिहार सरकार को उस समस्या की पूरी जानकारी है और वह पहले से ही उत्पन्न क्षमताओं का उपयोग करने के लिए कारगर उपाय करेगी। मुझे यह भी आशा है कि यह सुनिश्तित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जायेंगे कि उत्पन्न की गई सिंचाई क्षयता का उपयोग किया जाएगा। किन्तु खेद है कि ऐसी स्थिति में केन्द्र उस में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न की गई क्षमताओं का कितना उपयोग किया गया है और चतुर्थ योजना अवधि में उन विभिन्न क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा कितना धन दिया गया है ?

डा० के० एल० राव : सिंचाई परियोजनाओं का उपयोग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। किन्तु कौसो नदी और गंडक नदी जैसी कुछ परियोजनाओं में बहुत अधिक क्षमता बनाई गई है किन्तु उसका उपयोग नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री श्री पाटिल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, विभिन्न राज्यों के सिंचाई मंत्री उसके सदस्य हैं जो यह पता लगायेंगे कि कुछ परियोजनाओं के तैयार न होने के क्या कारण हैं तथा कुछ तैयार परियोजनाओं का पर्याप्त उपयोग क्यों नहीं हुआ है, जिससे हम आवश्यक कार्यवाही कर सकें। देश में समग्र रूप से उस क्षमता का काफी अच्छा उपयोग हो रहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि चतुर्थ योजना के विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी धन राशि दी गई है।

डा० के० एल० राव: 48 लाख हैक्टर की क्षमता का लक्ष्य है जिसमें से 40 लाख हैक्टर क्षमता की वास्तविक पूर्ति हुई है।

Shri Hukam Chand Kachwai: The Hon Minister in his statement has accepted that irrigation in Madhya Pradesh has been very low. Is it a fact that Madhya Pradesh Government has referred to the Centre name of the projects for clearance and some financial assistance has been demanded so that Madhya Pradesh can be self sufficient with your co-operation if so, when will the clearance be given to these projects?

Gujarat do not want to solve Narmada dispute. I want to know from the Hon Minister when will this dispute be solved?

डा० के० एल० राव: नर्मदा विवाद के बारे में माननीय सदस्यों को पता होगा कि उस विवाद में ग्रास्त चार राज्यों के मुख्य मंत्रियों के मध्य एक ससझौता हो गया है कि वे प्रधान मंत्री के निर्णय का पालन करेंगे। ग्राशा है कि वर्ष के ग्रन्त तक उस विवाद का निर्णय हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: उस प्रश्न पर हमने काफी समय व्यय कर दिया है। यदि राज्य वार प्रश्न करने दिए जाएं तो एक घटां उसी प्रश्न पर लग जाएगा।

Shri Hukam Chand Kachwai: My question has not been answered. I wanted to know the schemes which the Government of Madhya Pradesh has forwarded to centre for clearance and has the Centre given its clearance to those schemes?

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्य प्रत्येक राज्य के बारे में प्रश्न करने लगें तो उसका कोई ग्रन्त नहीं होगा। मुझे खेद है, मैं इसकी ग्रनुमति नहीं दे सकता यदि ग्रापके पास कोई सूचना नहीं है तो ग्राप माननीय सदस्य को बता दें कि ग्रापके पास कोई सूचना नहीं है। यदि ग्रापके पास सूचना है तो ग्राप सही सही सूचना दे दें।

डा० के० एल० राव: केन्द्र के पास कुछ परियोजनाएं ग्रनिर्णित पड़ी हैं। नर्मदा नदी की परियोजनाग्रों पर तब तक ग्रनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उस बारे में ग्रन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता।

ग्रन्य परियोजनाग्रों के बारे में कुछ प्रक्रियाग्रों की जांच की जा रही है ग्रौर ग्रधिकांश परियोजनाग्रों को शीघ्र ही स्वीकृति दे दी जाएगी।

श्री एस० बी० गिरि: क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि तेलंगाना क्षेत्र में निजामाबाद जिले में निजामसागर बांध में गाद भरी पड़ी है। पिछले कई वर्षों से ग्रांध्र प्रदेश सरकार लोगों को ग्राश्वासन देती ग्रा रही है कि बांध को ऊंचा किया जाएगा किन्तु ग्रभी तक कुछ भी नहीं किया गया है क्योंकि ग्रांध्र प्रदेश की सरकार तेलंगाना के लोगों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बान्ध को ऊंचा किया जाएगा जिससे कि निजामाबाद जिले के लोगों को सिंचाई की सुविधाएं मिल सकें?

डा० के० एल० राव : जहां तक निजामसागर का सम्बन्ध है यह देश की ऐसी कुछ परियोजनाओं में से एक है जिसमें 50 प्रतिशत से भी अधिक गाद भरी हुई है। जलाशय की क्षमता घट गई है। अत: उस 2.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करना कठिन है। तीन दिन हुए मैंने उस परियोजना का निरीक्षण किया है और मैंने आवश्यक अनुदेश दे दिए हैं। हम कुछ ऐसे उपाय करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उस परियोजना में पर्याप्त मात्रा में जल आ सके। विशेषकर उसके ऊंचे करने से वे क्षेत्र जलमग्न हो जायेंगे जिनमें पहले से ही सिंचाई की जाती है। मैंने सुझाव दिया है कि बांध का निर्माण करने से भूमि की सुरक्षा की जानी चाहिए ताकि वह भूमि जलमग्न न होने पाये जिसमें पहले ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि मैंने कल ही मुख्य मंत्री से बातचीत की है और इसके लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध कर दिया जाएगा और उसपर शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जाएगा।

श्री बसंत साठे : मैं विदर्भ के सम्बन्ध में प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब आपके ही निर्णय पर सोचता हूं। कृपया बैठ जाइये (व्यवधान)। आप आधे घण्टे की चर्चा के लिए प्रस्ताव का नोटिसेस दीजिए।

फर्टेलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० और गोरखपुर संयंत्र के विस्तार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से ऋण

*107. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० और गोरखपुर संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए 3 करोड़ डालर के दो ऋण दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कार्य प्रारंभ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) कोचीन विस्तार तथा गोरखपुर विस्तार परियोजनाओं के लिए आई० डी० ए० द्वारा 30 मिलियन डालरों के दो ऋण दिये गये हैं।

(ख) इन दोनों परियोजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री सि० के० चन्द्रप्पन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड ने सरकार को सूचना दी है कि वहां खराब मशीने लगाने के कारण उस उपक्रम का विस्तार करने में विलम्ब हो रहा है?

श्री एच० आर० गोखले : जी नहीं श्रीमानजी, मैंने बताया हैं कि उसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है और उसमें निर्धारित समय के अनुसार उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया है कि विस्तार कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि अब कौन कौन से विस्तार कार्य किए जा रहे हैं और उनका निर्धारित समय क्या था ?

श्री एच० आर० गोखले : प्रश्न वस्तुत: फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर के विस्तार के दूसरे चरण के बारे में है जहां एन० भी० के० मिक्सरों का उत्पादन किया जायेगा और ऋण की शर्तों के अनुसार अनेक बातें पूरी की जानी बाकी हैं। मैं यह बताने की स्थिति में हूं कि उन सब शर्तों की पूरी करने के लिए प्रयास किए जा रहे है और किए गये थे जिनके परिणामस्वरूप यह सम्भावना है कि निर्धारित समय के अनुसार यह कार्य सितम्बर, 1974 तक पूरा हो जायेगा। माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि ऋण के लिए 30 जुलाई, 1971 को समझौता किया गया था।

Shri Narasingh Narain Pandey: The Hon. Minister has stated that expansion work of Fertilizer Plant in Gorakhpur will be completed according to schedule. Will he investigate the matter that all process has been completed?

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक गोरखपुर परियोजना का सम्बन्ध है ऋण का एक भाग उस परियोजना के लिए है और उसके विस्तार कार्य पर लगभग 11.82 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है और यह भी आशा है कि यह परियोजना निर्धारित समय के अनुसार वर्ष 1975 के आरम्भ में पूरी हो जायेगी ?

श्री वयालार रवि : क्या मंत्री महोदय फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर के कोचीन प्रभाग के कार्यों की जांच करायेंगे क्योंकि यह अपवादें उड़ रही हैं कि उसका डिजाईन त्रुटिपूर्ण है और यह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है और यह निर्धारित समय के अनुसार कार्य नहीं कर पायेगा ? क्या मंत्री महोदय कोचीन के कार्य की जांच करायेगे और क्या वह हमें आश्वासन देगें कि यह 1973 में चालू हो जायेगा ?

श्री एच० आर० गोखले : जैसा कि मैंने बताया कि उस का मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब जबकि माननीय सदस्यों ने परिपूर्ण मशीनों तथा अन्य चीजों आदि का उल्लेख किया है, मैं वास्तव में इस मामले की जांच करुंगा। किन्तु मूझे पूर्ण विश्वास है कि जो सूचना दी जाती है कि ईसमें कुछ कमी रह गई है अथवा यह निर्धारित समय के अनूसार कार्य नही कर रही है, यह सब सही नहीं है। जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं धरती इसके सितम्बर 1974 तक पूरे होने की सम्भावना है।

श्रीसाइलम जल विद्युत् परियोजना की ऊँचाई

*108 **श्री पो० वेंकटासुब्बया** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीसाइलम जल विद्युत् परियोजना की ऊंचाई को कम करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इसको ऊँचाई कितनी कम करने का प्रस्ताव है तथा उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या श्रीसाइलम पनबिजली परियोजना के पूरी होने तथा उसकी ऊँचाई के बारे में लोगों विशेषकर रायलसीमा के लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हो गई है कि उस परियोजना में दिन का प्रकाश दिखाई नहीं देगा और समय उस की ऊंचाई के सम्बन्ध में समय पर अनुमान बढ़ने से इसमें विलम्ब होगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या नदी जल ट्रिबूनल से इसका कोई सम्बन्ध है और क्या सरकार का विचार इस परियोजना की सिंचाई एवं पन-बिजली परियोजना के रूप में परिवर्तित करने का है क्योंकि हाल ही इस नीति के परिणाम स्वरूप की सूखग्रस्त क्षेत्रों को भी सिंचाई की सुविधाएं दी जायेगी ?

डा० के० एल० राव : दी गई मंजूरी के अनुसार यह परियोजना विशुद्ध रूप से पनबिजली घर परियोजना है, और जैसा कि ट्रिबूनल के सामने मामला है, उस परियोजना की सिंचाई के उद्देश्य से प्रयोग में लाने का प्रश्न नहीं उठता है। ट्रिबूनल के निष्कर्ष उपलब्ध हो जाने पर ही आन्ध्र प्रदेश की सरकार के लिए यह तय करना सम्भव होगा कि उनके हिस्से के रूप में उन्हें जितना पानी दिया जाए। जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है, इसमें ऐसी शंका करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उस परियोजना की प्रगति न होने का मुख्य कारण वित्त की समस्या है। इस परियोजना की लागत 46 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ रुपये हो गई है जो लगभग दूगुनी है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार के पास उपलब्ध धन अपर्याप्त है जो इस परियोजना की प्रगति में रुकावट है। अन्यथा और कोई कारण नहीं है। क्षेत्रीय विचार का कोई प्रश्न नहीं है। यह परियोजना केवल आन्ध्र प्रदेश के पनबिजली घरों अथवा पनबिजली प्रणाली का सुधार करने के लिए उपयोगी नहीं है अपितु दक्षिणी क्षेत्र के पनबिजली घरों अथवा पनबिजली प्रणाली का भी उससे सुधार होगा। हम इस बात के बहुत इच्छुक हैं कि यह परियोजना शीघ्र ही पूरी हो जाए किन्तु वित्तीय कठिनाइयां मार्ग में बाधा बन जाती है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : उस बात को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य राज्य सरकार की गलती के कारण नहीं बढ़े हैं और इस बात के होते हुए कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं तथा पन-बिजली कि व्यवस्था की जाती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार अपेक्षित धन की व्यवस्था करेगी एवं परियोजना को समय पर समाप्त करने के लिये भी अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेगी।

डा० के० एल० राव : हमें इस बात की चिन्ता है और हम हर परियोजनाओं के महत्व और आवश्यक्ता को समझते हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि रायलसीमा में हमेशा दूरी देने वाली अकाल की स्थिति को तब तक नहीं समाप्त किया जा सकता जबतक कृष्णा नदी के जल को श्रीसोलम जलाशय में गोर से नदी रोका जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक राय है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इसे जानते है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वही बात है। यदि आप जानते हैं तो एसा बताइए।

डा० के० एल० राव : यह इतना सरल नहीं है यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह एक बचत हो जाता है। हम रायलसीमा की परियोजना के महत्व का पूरी तरह समझते हैं। पानी के उपलब्ध किये जाने की सम्भावना अधिकरण के निष्कर्षों पर निर्भर करती है। जब तक अधिकरण आंध्रप्रदेश की आवश्यक्ता के बारे में अपनी राय नहीं देता, हम इस विषय पर कुछ नहीं कर सकते।

श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा : उन्होंने बताया कि धनाभाव के कारण इन परियोजनाओं की क्रियान्विति रुकी हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हैं कि क्या रायलसीमा उतना की बहुत पिछड़ा, अविकसित, और सूखाग्रस्त क्षेत्र है जितना कि तेलंगाना पिछड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र में लाभ के लिए इन परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिये धन उपलब्ध करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैंने बताया, जहां तक परियोजना के महत्व का संबन्ध है उसका महत्व समझ लिया गया है। परन्तु धन की समस्या है। प्रश्न साधनों का है जोकि मेरे हाथ में नहीं है।

हल्दिया में अथवा उसके आसपास समेकित पेट्रो रसायन उद्योग समूह

*110. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों और योजना विशेषज्ञों ने अनुरोध किया है कि देश के पूर्वी भाग में रसायन उद्योग के बहुपक्षीय विकास का मार्ग प्रशस्त करने हेतु पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हल्दिया में अथवा उसके आस पास एक समेकित पेट्रोरसायन उद्योग समूह की स्थापना की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) हल्दिया में तथा इसके आसपास एक समेकित पेट्रोरसायन समूह की स्थापना के लिए वैज्ञानिक और योजनाविशेषज्ञों की और सरकार को हाल ही में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ मिश्र: मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि काने समिति ने 1972 के लिये हल्दिया समेत पांच पेट्रो रसायनिक परियोजनाओं को पूरा करने की सिफारिश की है। यदि उत्तर हां में है तो कितनी पूरी की गई है? इन परियोजनाओं के अधूरा पड़े रहने का क्या कारण हैं।

श्री एच० आर० गोखले: जैसा कि मैंने बताया है हमारे विशेषज्ञों अथवा वैज्ञानिकों द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है। यह मुख्य बात है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य डा० हीनिंग की सिफारिशों की बात कर रहें है।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत व्यापक प्रश्न है। इसका मुख्य प्रश्न से संबंध नहीं है।

डाकुओं द्वारा 4 डाउन आसाम मेल को रोक लेना

*111. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाकुओं के एक सशस्त्र गिरोह ने 18 अक्तूबर, 1972 की मध्य रात्रि को नाशीमारा और कालचीनी के बीच 4 डाउन आसाम मेल को रोक लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफतार किये गये?

रेल मंत्री श्री टी० ए० पाई: (क) और (ख)। जी नहीं। लेकिन 16/17-10-1972 की रात को और कालचीनी हैमिल्टनगंज स्टेशनों के बीच 4 डाउन असम मैल में अपराधियों के एक सशस्त्र गिरोह द्वारा डकेती की गयी। हालांकि किसी की मृत्यु नहीं हुई फिर भी दस यात्रियों को चोटे पहुंची। 40 हजार रुपये के मूल्य की सम्पत्ति लूट ली गयी।

(ग) जांच जारी है और अब तक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Shri Sukhdev Prasad Verma: I want to know from the Hon. Minister, whether there were armed constables in the train; and whether the Government have drawn some concrete plans to check the burgalries like this which are taking place in the trains? If there is any the details thereof ?

श्री टी० ए० पाई: हम इनमें से प्रत्येक गाड़ी में दो सशस्त्र सैनिक देते हैं। परन्तु इस मामले में उन्होंने कोई सतर्कता नहीं दिखाई और हमने उन्हें निलम्बित कर दिया है। गाड़ी में प्रवेश करने वाले सशस्त्र लोगों की संख्या 12 से 14 थी। मैं देखता हूं कि ऐसी घटनाओं की कई राज्यों में पुर्नावृति हो रही है विशेषत: बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में। इसलिये मैंने इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिनमें मैंने इन घटनाओं के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है और उनसे अनुरोध किया है कि कानून और व्यवस्था के इस मामले के बारे में प्रभावी कदम उठाएं, क्योंकि इसका संबंध केवल रेलवे से ही नहीं है। मैं गृह मंत्रियों एंव राज्यों के आई० जी० पुलिस

की एक बैठक इस मामले के विचार करने के लिये बुलाना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये आगे क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

Shri Sukhdev Prasad Verma: The Hon. Minister has stated that armed guards were there but they did not take action and have been suspended. I would like to know from him whether he would investigate as to whether these armed guards are involved in the dacoities taking place in trains. I also want to know as to when the letters were written to the Chief Ministers and what replies they have given and the arrangement proposed to be made?

श्री टी० ए० पाई : मैं यह नहीं कह सकता कि क्या डाकुओं और सशस्त्र दस्तों में कोई समझौता है। परन्तु सच यह है और जिसे आप भी स्वीकार करेंगे कि 12 से 14 सशस्त्र व्यक्तियों का दो व्यक्तियों द्वारा सामना करना संभव नहीं हैं। इस प्रकार दो सशस्त्र व्यक्तियों को गाड़ी में भेजने की व्यवस्था पर ही विचार करने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्रियों ने मेरे पत्र की पावती देते हुए कहा है कि वह उपयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Sukhdev Prasad Verma: Mr. Speaker, Sir I said....

Mr. Speaker: You have already asked a question.

Shri Sukhdev Prasad Verma: I am not asking any question. I was saying that when dacoities were committed in villages we say to villagers that why did they not face the situation but now you see that your armed guards together with thousands of passengers were there and they could not do anything? It is my considered belief that these people have their hands in the dacoities and theft and he is avoiding the investigation. I feel that this is very important matter and should be investigated?

Mr. Speaker: Please have you say while there is discussion on railways.

श्री चपलेन्यु भट्टाचार्य : ऐसी घटनाओं में जिन विशेष यात्रियों को हानि होती है क्या मंत्री महोदय बतांएगे कि वह बीमा और हानि की प्रतिपूर्ति की कोई योजना बताने को तैयार है ताकि डकैतियों के कारण होने वाली हानियों को पूरा किया जा सके ?

श्री टी० ए० पाई : मैं समझता हूं कि यात्रियों के निजी सामान के बीमे की योजना बहुत कठिन है क्योंकि बहुत से यात्री जेवरात अपने साथ भी ले जाते है। उन सभी वस्तुओं का बीमा करना अत्यन्त कठिन होगा। कुछ सीमा तक ही रेलवे में बीमा किया जा सकता है।

Shri Birender Singh Rao: I want to know what arms were there with these armed guards in the trains and what arms were there with the guards in this particular case? Were there automatic rifles or ordinary ones? How much ammunition there were carrying and what sorts of arms were there with the dacoits which they have used. I want to know whether these arms were also taken over by these Dacoits.

श्री टी० ए० पाई : पुलिस द्वारा प्रयोग की गई साधारण 303 राइफले उनके पास थी। मुझे पता नहीं कि डाकुओं ने कौन से शस्त्र उपयोग किये। वे अनेक रूप से बने हुए हो सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: The dacoities like this in the trains is not a new thing these are committed everywhere and are on the increase day by day. Many railway employees

are killed in them and suffer a lot. No effects have been made by you for their protection. So these employees cannot perform their duties properly. Do you propose to provide them with some facilities. May I know whether he is thinking of making provision for police and hospitals in all the trains?

श्री टी० ए० पाई : मैंने पहले ही बताया है कि केवल दो सशस्त्र सिपाहियों की व्यवस्था से काम नहीं बनेगा क्योंकि इन व्यक्तियों की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि यात्रियों की। हमने देखा है कि सशस्त्र दस्तों के होते हुए थी डकैतियां होती रहती हैं। इस बात को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं। इसलिए मैं मुख्य मंत्रियों एवं राज्य पुलिस के आई० जी० पुलिस पर अधिक प्रभावी कदम उठाने के लिए दबाव डाल रहा हूं कि हमारे साथ बैठ कर प्रभावी कदम उठायें। यदि माननीय सदस्य कुछ सुझाव देंगे तो मैं उन पर विचार करुंगा।

Shrimati Sahodrabai Rai: I want to know that whether they pull the chain and run away with luggage from first class compartments. At every place the chain is pulled and attacks are made.

श्री टी० ए० पाई : इस बात के होते हुए थी जंगीर खींचने पर 250 रुपए जुर्माना तथा कारावास की व्यवस्था है तो भी प्रति दिन 1200 से अधिक जंजीर खीचने की घटनाये हो रहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : इससे कितना धन एकत्र किया गया है।

श्री टी० ए० पाई : हम उन व्यक्तियों को पकड़ नहीं सके हैं जिन्होंने जंजीर खींची है।

कलकत्ता और अन्य बड़े नगरों में भूमिगत रेल व्यवस्था

*113 **श्री जयोतिर्मय बसु :**

श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और देश के अन्य बड़े नगरों में भूमिगत रेल व्यवस्था के निर्माण कार्य में कुछ, प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे), कलकत्ता ने कलकत्ते में दमदम-टालीगंज भूगत रेल प्रणाली के एक भाग के निर्माण के लिए टेण्डर मांगे हैं। निर्माण ठेकों को अन्तिम रूप देने के लिए टेण्डर, 1972 में खोले जाने वाले हैं। बम्बई, दिल्ली और मद्रास के लिए स्वीकृत निर्माण योजनाएं नहीं है। वहां महानगर परिवहन परियोजनाएं सर्वेक्षण जांच पड़ताल कर रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या कलकत्ता के वे प्राधिकारी जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है इसे पूरा करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं क्योंकि भूमि अधिग्रहण के मामले में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और यदि हाँ तो इसे दूर करके शीघ्र पूरा करने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री टी० ए० पाई : हमें माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विलम्ब की आशंका नहीं है। हम परियोजना को दिसम्बर में प्रारम्भ कर रहे हैं और हमें उसके कार्यक्रम के अनुसार 7 वर्ष में पूरा होने की आशा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सियालदह और हावड़ा के मध्य दूसरी परियोजना कुछ कठिनाईयों में पड़ गई है और दूसरी परियोजना के लिए ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ?

श्री टी० ए० पाई : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । मैं माननीय सदस्य को बाद में जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया है। भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों के बारे में उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री टी० ए० पाई : अभी तक हमारे सम्मुख कोई समस्या नहीं आई है। सरकार ने हमें योजना की शीघ्र क्रियान्विति का आश्वासन दिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पांचवी योजना में कृष्णा परियोजना का सम्मिलित किया जाना

*104. **श्री धर्मराव अफजल पुरकर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने पांचवी योजना में 'अपर कृष्णा परियोजना' को सम्मिलित किये जाने के बारे में केंद्र सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) अपर कृष्णा परियोजना को जिसको योजना आयोग द्वारा नवम्बर, 1963 में स्वीकृत किया गया था, पहले से ही मैसूर सरकार की विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है।

गुजरात राज्य में नमक उद्योग के लिये माल डिब्बे

*106. **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री के० मालन्ना :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल के माल डिब्बों की कमी के कारण गुजरात के नमक उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है :, और

(ख) यदि हां, तो राज्य के नमक निर्माताओं को पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) अप्रेल से अक्टूबर, 1972 तक की अवधि में गुजरात क्षेत्र में बडी लाइन के 16,042 और मीटर लाइन के 23,405 माल डिब्बों में नमक का लदान किया गया। जब अक्टूबर में नमक की ढुलाई के लिये माल डिब्बों की सप्लाई तेज करने के लिए एक अभियान चलाया गया, तब बड़ी लाइन पर 40,970 माँगपत्रों के पंजीकरण और मीटर लाइन पर 39,390 माँगपत्रों के पंजीकरण वापस ले लिये। जब्त कर लिये गये जिससे पता लगता है कि नमक के लदान के लिए पंजीकृत सभी माँगें वास्तविक नहीं थीं।

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*109. **श्री झारखण्डे राय :**
श्री एम० एम० जोसफ : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के केंद्रीय सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हाल ही की हड़ताल की ओर दिलाया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य बिजली घरों के प्रबन्ध के लिए सेना को बुलाया गया था ; और

(ग) यदि हां तो क्या केंद्रीय सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करने का निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : विद्युत आपूर्ति सेवा जो कि अनिवार्य सेवा घोषित कर दी गई थी, को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश को सैनिक सहायता दी गई थी। आर्मी टेकनीशियनों को चुने हुए विद्युत घरों पर, आवश्यकता पड़ने पर कार्य करने के लिए तैनात किया गया था। हड़ताल, जो कि 24 अक्तूबर, 1972 को शुरू हुई थी 30 अक्तूबर, 1972 की शाम को बिना किसी शर्त के समाप्त हो गई।

कम पेट्रोल का उपयोग

*112. **श्री शशि भूषण** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग कम पेट्रोल उपयोग करें क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा बहुत व्यय होती है और यदि हां, तो इनकी रूपरेखा क्या है ?

बिधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रि (श्री एच० आर० गोखले) : देश की आर्थिक प्रगति पर किसी भी प्रकार से बुरा प्रभाव पड़े बिना पैट्रोलियम उत्पादों जिनमें मोटर स्पिरिट जिसे आम तौर पर पैट्रोल कहा जाता है, की खपत को नियंत्रित करने के लिए सरकार प्रयत्न करती रही है।

जामनगर से बैड़ी तक नई रेलवे लाईन

*114. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार का विचार जामनगर–बैड़ी रेलवे लाइन को बन्द करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस लाइन को कब तक बन्द कर दिया जाएगा ;

(ग) क्या जामनगर से बैड़ी तक एक नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका मार्ग क्या होगा तथा यातायात के लिए उस लाइन को कब तक खोल दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) से (घ). वर्तमान जामनगर-बैड़ी मीटर लाइन का मार्ग-परिवर्तन इस उद्देश्य से किया गया है कि इसे आबादी वाले क्षेत्र से दूर रखा जाये। इसे वीरमगांव-ओखा-पोरबन्दर मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने से संबन्धित आमान परिवर्तन परियोजना में शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना की मंजूरी 20 दिसम्बर, 1971 को दी गयी थी और इस पर काम चल रहा है। आशा है, जामनगर-बैड़ी रेल लाइन के मार्ग-परिवर्तन सहित आमान-परिवर्तन का समूचा काम दिसम्बर, 1977 तक पूरा हो जायेगा।

बिजली पैदा करने संबंधी तकनीक के बारे में भारत-रूस करार

*115. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुस संघ बिजली पैदा करने संबंधी अपनी नवीनतम तकनीक भारत को बताने के बारे में सहमत हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में रूस सरकार से कोई करार किया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) रूस सरकार द्वारा विकसित की गयी बिजली पैदा करने संबंधी नवीनतम तकनीक के क्या लाभ है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल राव) : (क) से (ग) . भारत सरकार और रुस सरकार के बीच 2 अक्तूबर, 1972 को मास्को में प्रायोगिक विज्ञान एवं शिल्प विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग देने सम्बंधी एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार के अन्तर्गत यह सहमति हुई है कि दोनों देशों के बीच प्रायोगिक विज्ञान एवं शिल्प-विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग और आपसी सहमति द्वारा उन विभिन्न क्षेत्रों का निरुपण किया जाए जिनमें यह सहयोग वांछनीय है। सहयोग के कार्यक्रम तैयार करने और उनको कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक बैठकें बुलाई जानी हैं।

इस करार के अन्तर्गत सहयोग के क्षेत्र में अद्यतन विधुतजनन तकनीकों के संबंध में अध्ययनों के शुरू करने की सम्भाव्यताओं को गवेषणा जा रहीं है।

रेलवे में फिजूल खर्ची को समाप्त करने के लिये उठाये गये कदम

*116. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में फिजूल खर्चों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ;

(ख) अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बीच अनुपात क्या है ; और

(ग) क्या वर्तमान व्यवस्था में यह उचित है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) रेल प्रशासन ईंधन की खपत की किस्म का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त प्रशा सनिक कदम उठाते हैं, ताकि ईंधन का समुचित उपयोग और इसमें कारगर बचत सुनिश्चित की जा सकें। इंजीनियरी एवं परिचालन के क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक लागू करने के लिए भी रेल प्रशासन चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसपर अमल करते हैं। चल स्टाक के अनु रक्षण के संबंध में, निर्माण प्रबन्ध विभाग को मरम्मत तथा तैयार माल की यूनिट लागत के समुचित विश्लेषण तथा नियंत्रण के लिए लेखे जोखे के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। बिजली की खपत में भी सख्त किफायत की जाती है।

फजूल खर्चीं समाप्त करने के लिए रेलों के विभिन्न विभागों के वास्ते संहिता बद्ध नियम तथा कार्यविधियां तैयार की गयी हैं। फजूल खर्ची समाप्त करने एवं कार्यकुशलता और किफायत के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवधिक बैठकें की जाती हैं। नैमितिक श्रमिकों के नियोजन यात्रा भत्ता आदि जैसी बातों पर खर्च में कमी करने के लिए लगातार निगाह रखी जाती है।

(ख) और (ग): भारतीय रेलों के विभिन्न विभागों में अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के बीच कोई स्थिर अनुपात नहीं है। कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों या अधिकारियों की व्यवस्था काम की विशिष्ट उपेक्षाओं और तकनीकी तथा प्रबन्धकीय आवश्कयकताओं के अनुसार की जाती है।

बंगलादेश के क्षेत्र से होकर गुजरने वाली 'कौरीडोर' रेल सेवा

*117. **श्री दशरथ देव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश क्षेत्र से होकर गुजरने वाली "कौरीडोर" रेल सेवा के विषय में सरकार ने बातचीत की है ;

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) कलकत्ता से बरास्ता बंगलादेश अगरतला तक सीधी रेल सेवा कब तक आरंभ होने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Damage to Railway lines between Bina and Gangapur and Sikar and Agra due to heavy Rains

*118. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the estimated damage done to the Railway lines between Bina and Gangapur and between Sikar and Agra due to the recent heavy rains?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : The reference of the Hon. Member is presumably to the damage to Railway lines between Bayana and Gangapur, Bayana-Bharatpur and Bayana-Agra Fort Section of Western Railway, seriously affected by floods in August, 1972. The estimated expenditure on temporary restoration of the railway lines is Rs. 101.3 lakhs.

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कुवैत में एक परियोजना की स्थापना

*119. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री वी० मायावन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सम्भावना है कि भारतीय उर्वरक निगम कुवैत सरकार के सहयोग से कुवैत में एक परियोजना स्थापित करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). इस विषय में भारतीय उर्वरक निगम और कुवैत के सम्बन्ध प्राधिकारियों के बीच प्रारम्भिक बात-चीत शुरू हो गई है। हाल ही में कुवैत शिष्टमण्डल के दौरे के दौरान यह सहमति हुई थी कि बातचीत को जारी रखा जाए।

नन्दड़ा तथा सांगले रेलवे स्टोशनों के बीच हाल्ट

*120. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय की सार्वजनिक मांग की ओर दिलाया गया है कि

नन्दड़ा से सांगले के बीच बड़ी लाइन पर जहां पर पहले मीटर लाइन माधवनगर स्टेशन की सेवायें उपलब्ध थीं, एक रेलवे स्टेशन अथवा एक यात्री-हाल्ट बनाया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी हां।

(ख) नान्द्रे और सांगली स्टेशनों के बीच माधवनगर के निकट एक गाड़ी हाल्ट बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव की नवम्बर, 1971 में जांच की गयी थी। लेकिन इसे इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि वह स्थान सांगली स्टेशन से केवल दो किलोमीटर दूरी पर है और इस क्षेत्र में सड़क सेवाएं भी पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। चूंकि जनता से नये अभ्यावेदन प्राप्त हुए है इसलिए दक्षिण मध्य रेल प्रशासन इस प्रस्ताव की पुनः जांच कर रहा है।

Cases Pending in High Courts and Supreme Court

1001. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state:

(a) the number of cases pending in the High Courts and the Supreme Court at present; and

(b) the number of cases which have been pending for the last two years?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) :

(a) A statement (Statement I) giving the information as on 30th June 1972 is attached

(b) A statement (Statement II) giving the information is attached.

STATEMENT I

Number of cases pending in the Supreme Court and the High Courts as on 30-6-1972

Supreme Court		9,913
High Courts		
1.	Allahabad	74,021
2.	Andhra Pradesh	16,946
3.	Bombay	40,879
4.	Calcutta	75,387
5.	Delhi	15,868
6.	Gauhati (Formerly Assam and Nagaland)	5,792
7.	Gujarat	13,927
8.	Himachal Pradesh	1,495
9.	Jammu & Kashmir	1,757
10.	Kerala	32,448
11.	Madhya Pradesh	18,629
12.	Madras	33,728
13.	Mysore	11,641
14.	Orissa	6,625
15.	Patna	21 705
16.	Punjab & Haryana	25,997
17.	Rajasthan	12,334

STATEMENT II

Number of cases pending in the Supreme Court and the High Courts for the last two years as on 30-6-72

Supreme Court		1,750
High Courts		
1.	Allahabad	5,938
2.	Andhra Pradesh	541
3.	Bombay	2,768
4.	Calcutta	3,956
5.	Delhi	1,210
6.	Gauhati (Formerly Assam & Nagaland)	565
7.	Gujarat	1,256
8.	Himachal Pradesh	88
9.	Jammu & Kashmir	105
10.	Kerala	4,026
11.	Madhya Pradesh	1,218
12.	Madras	2,686
13.	Mysore	1,398
14.	Orissa	787
15.	Patna	2,872
16.	Punjab & Haryana	1,636
17.	Rajasthan	657

ब्यास बांध क्षेत्र में पानी से चलने वाली आटा मिलों के मालिकों को दिया गया मुआवजा

1002. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी से चलने वाली आटा मिलों के मालिकों को, जिनको ब्यास बांध के निर्माण के कारण हटा दिया गया है इन तथ्यों को देखते हुए विभिन्न दरों पर मुआवजा दिया जा रहा है कि उनको मिलों बांध क्षेत्र के अन्तर्गत आती है अथवा रेलवे लाइन के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को जिन विभिन्न दरों पर मुआवजा दिया जा रहा है वे क्या है और मुआवजे में भिन्नता के कारण क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). अपने वैधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में भूमि अधिग्रहण अधिकारी ब्यास बांध द्वारा प्रभावित पानी से चलने वाली शक्तियों के मालिकों को मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत उचित मुआवजे को निश्चित करके देते है ।

पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा पूर्व जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया आदि से आयात किये गए जेनेरेटिंग सैट

1003. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा पूर्व जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया आदि से आयात किए गए अनेक जनेरेटिंग सैट चलने योग्य नहीं पाये गए ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के पास ऐसे कितने आयातित सैट बेकार पड़े हुए हैं और ये किस किस देश से मंगाए गए थे और कब; और

(ग) इस कारण कितनी हानि हुई और इन सैटों को ठीक करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इन्हें ठीक करने के लिए पुर्जे आदि आयात करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा पूर्वों युरूपिय देश से प्राप्त किए गए 18 डीजल उत्पादन सैटों में से 3 खराब है और उन्हें काम में नहीं लाया जा सकता। इन खराब सैटों को, वारंटों के अंतर्गत संभरकों द्वारा किए जा रहे अपेक्षित प्रतिष्ठापनों द्वारा मरम्मत की जा रही है। खराबी के कारण इन सैटों से बिजली की उपलभ्यता में देरी हो गई है। इससे वास्तविक क्षति का, अभी तक, मूल्यांकन नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में सिंचाई

1004. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी सात वर्षों में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाकर 23 प्रतिशत करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी क्षेत्र में भी पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण के लिए कोई विशेष विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य की विभिन्न प्रशासनिक यूनिटों में इस प्रकार की सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए नदी क्षेत्र के आधार पर विशिष्ट स्कीमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए अन्वेषण कार्यों का प्रबंध अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर लिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों के विवरण इन अन्वेषणों में प्रगति के कुछ समय के उपरांत उपलब्ध हो जाएंगे ।

Survey of Unirrigated Cultivable Land

1005. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any survey to find out the estimated acreage of unirrigated cultivable land in the country at present; and

(b) the plan of Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b). The cropped area in the country is about 159 million ha. It is assessed that on the completion of the projects taken up already, 51.4 million ha. will have irrigation facilities.

State Governments are planning and proposing number of new projects, which will be taken up for implementation as and when resources permit. It is expected that on the completion of such new projects the irrigated area in the country would rise to about 89 million ha. Further addition to the area may be made by transfer of water to drought-pron areas from the surplus regions of the country.

दिल्ली क्षेत्र में उत्तर रेलवे तथा महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) में दैनिक मजदूरों में मजूरी तथा मजूरी सहित विश्राम दिवस में समानता

1006. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे तथा महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) दिल्ली के अन्तर्गत दिल्ली क्षेत्र में दैनिक मजूरी पाने वाले अदक्ष मजदूरों को दी जाने वाली मजूरी तथा मजूरी सहित विश्राम दिवस समान है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और क्या यह बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुरूप है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) महानगर परिवहन परियोजना, दिल्ली से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने नैमितिक मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करें ताकि उनके पारिश्रमिक की दर में और दिल्ली के उसी क्षेत्र में नियोजित उत्तर रेलवे के नैमितिक मजदूरों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दर में कोई असमानता न रहे।

सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों (उत्तर और दक्षिण रेलवे) के लिए मानदण्ड

1007. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यभार के समान वितरण अथवा नये कामों के लिए नये दरों की मंजूरी देने के लिए सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए कुछ स्वीकृत मानदण्ड है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे और दक्षिण रेलवे में किन किन मानदण्डों का अनुकरण किया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और रेलवे बोर्ड द्वारा सिगनल और दूर संचार विभाग के लिए स्वीकृत मानदण्ड निर्धारित न करने के क्या कारण है ;

(घ) क्या कुछ सिगनल और दूर संचार अधिकारियों को, जिन्हें रेलवे बोर्ड के दक्षता ब्यूरो में मानदण्ड निर्धारित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, स्थानान्तरित कर दिया गया है और मानदण्ड निर्धारित करने का कार्य अधूरा छोड़कर उनके पदों को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है यदि नहीं, तो क्या मानदण्ड निश्चित करने का कार्य पूरा हो गया है और यदि हाँ तो मानदण्ड की रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख) . चूंकि रेलवे बोर्ड द्वारा कोई एक-सा मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है, अतः स्थानीय परिस्थितियों और किये जाने वाले कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार रेल प्रशासनों द्वारा कर्मचारियों की मंजूरी दी जा रही है ।

(ग) जैसा कि उपयुक्त (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है और एक-जैसे मानदण्ड का अभाव महसूस नहीं किया गया है ।

(घ) और (ङ) . उपनिदेशक (सिगनल), कुशलता ब्यूरो, पदधारी को, जिसे सिगनल संबंधी विषयों के विभिन्न अध्ययनों के लिए लगाया गया था, पदोन्नति पर दक्षिण पूर्व रेलवे में स्थानान्तरित कर दिया गया है और उस रिक्त स्थान को भरने का प्रश्न विचाराधीन है ।

सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों में निर्मित औषधियों की तुलनात्मक लागत

1008. **श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों में निर्मित औषधियों के नाम क्या हैं ;

(ख) दोनों प्रकार के उपक्रमों में निर्मित औषधियों की तुलनात्मक उत्पादन लागत क्या है और प्रत्येक मामले में उनका विक्रय मूल्य कितना है ; और

(ग) यदि इनमें असमानता है तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादित की गई/जा रहीं बल्क औषधियों के नाम निम्न प्रकार है :—

पेनिसिलिन्
स्ट्रेप्टोपायसिन्
टेट्रासाय्विलन
फेनासिटिन
पेरासेटामोल
प्राई० एन० एच०

सोडियम् पी० ए० एस०
डायशीर्ल कार्बेमैजीन सिट्रेट
निमैसिनैमाइड
सल्फासेटैमाइड्

(ख) और (ग). टैरिफ कमिशन ने जैसा रिपोर्ट किया है, निम्नलिखित औषधियों के उत्पादन मूल्य निम्न है :—

वस्तु	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
पोटशियम पेनिसिलिन	0.295 प्रति म्यू०	0.471 प्रति म्यू०
प्रोकेन पेनिसिलिनि	0.2 प्रति म्यू०	0.475 प्रति म्यू०
सोडियम् पेनिसिलिन जी	0.337 प्रति म्यू०	0.496 प्रति म्यू०
पोटाशियम पेनिसिलिन बी	0.446 प्रति म्यू०	
स्ट्रप्टोमायसिन् सल्फेट	302.80 प्रति किलो	246.51 प्रति किलो ग्राम
टेट्रासाय्क्लिन		652.42 से रु० 740.67 प्रति किलो ग्राम्
आई एन एच		82.59 से 99.00 प्रति कि० ग्राम (पिकोलिन्स से उत्पादित)
पी० ए० एस० सोडियम		रु० 48.40 प्रति किलो ग्राम (सायनोपिरिडीन्स से उत्पादित)
		रु० 26.87 से रु० 38.04 प्रति किलो

तदुपरान्त कच्चे माल के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है। जिसकी उचित समझी गयी मात्रा तक आज्ञा दे दी गई है। औषधि मूल्य नियंत्रण आज्ञा दी गई है। औषधि मूल्य नियंत्रण आज्ञा के अन्तर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित वर्तमान विक्रय मूल्य निम्नलिखित है। ये टैरिफ आयोग के सिफारिशों और तदुपरान्त हुये कच्चे मालों के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रख कर किये गये हैं :—

पेनिसिलिन जी पोटैशियम प्रथम क्रिस्टल नान्स्टेराइल	रु० 0.40 प्रति म्यू०
पेनिसिलिन जी सोडियम/पोटैशियम स्टराइल	रु० 0.50 प्रति म्यू०
पेनिसिलिन जी प्रोकेन्स्टेराइल	रु० 0.50 प्रति म्यू०
,, बी० पौटेशियम	रु० 0.80 प्रति म्यू०
स्ट्रप्टोमायसिन्	रु० 295 किलो ग्राम
टेट्रासियक्लिन्	रु० 850 किलो ग्राम (पूल्ड मूल्य रु० 650/ कि० ग्रा०)

सोडियम् पी० ए० एस०	रु० 41 प्रति किलो ग्राम
आई० एन० एच०	रु० 130.32 प्रति किलो ग्राम (प्यूलाईन्स से उत्पाद है तो) रु० 112.00 प्रति किलो ग्राम (यदी सावनोपिरिडीन्स से उत्पादित है तो)

पेन्मासेटीन, पारासेटैमान् डायथील कार्बेमेजीन सिट्रेट, नियासिनैमाइड और सल्फासेटेमाइड के उत्पादन मूल्य की बाद में ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल कास्ट्स एण्ड प्राइसेस के सभापति के सभापतित्व में स्थापित वर्किंग ग्रूप के द्वारा ी परीक्षा की गई है तथा वर्किंग ग्रूप की रिपोर्ट परीक्षाधीन है। इन वस्तुओं का वर्तमान में लागू बिक्रय मूल्य निम्न है :—

वस्तु	विक्रय मूल्य		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	पूल्ड मूल्य
सल्फासेटमाइड्	रु० 62.50	-	
फेनासैटीन्	44.00	रु० 42 से 70 तक	रु० 43
नियासिनैमाइड	170.00	132 से 160 तक	—
पोरासेटामोल	36.38	45 से 90 तक	-
डायथील्कर्बिमेंजीन सिट्रेट	190.00	190 से 220 तक	-

मूल्य भेद के मुख्य कारण निम्न है :—

(1) प्लांट और मशीनरी पर लगे पूंजीनिवेश पर मूल्य अन्तर और आवश्यक परिचालन का स्केल

(2) उस अवस्था, जिससे कि औषाध का निर्मण होता है के विशेष संदर्भ में औक-नालाजी के प्रकार का प्रयोग

(3) लगे हुए निवेश की प्रकृति और मूल्य

विदेशी सहयोग प्राप्त भेषज कप्पनियों द्वारा दुगने मल्यों का लिया जाना

1009. **श्री विश्वनाथ झुंनझुंनवाला :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग प्राप्त कुछ भेषज कंपनियों अपने उत्पादों को उस मूल्य से दुगने मूल्य पर बेच रही है जो कि यूरोपीय बजारों में प्रचलित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करांई है और यदि हां तो इसमें अन्तग्रस्त कंपनियों के नाम क्या हैं और वे उत्पाद क्या हैं जिनमें इस प्रकार लाभ कमाया जा रहा है; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का रूप क्या है ?

विधी और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। वास्तव में सभी भेषज तथा

फार्मस्यूटिकल्स के मूल्य भेषज (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं। भेषज तथा फार्मास्यूटिकल्स के उचित विक्रय मूल्यों का टैरिफ आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1968) में भी उल्लेख किया है कि फार्मूलेशनस की भारतीय मार्किट के मूल्य सामान्यत: अन्य देशों की घरेलू मार्किटों में इसी प्रकार की फार्मूलेशनस की कीमतों के साथ मिलती जुलती हैं।

विदेशी तेल कंपनियों द्वारा विदेशों को भेजे जाने वाले धन का रोका जाना

1010. **श्री विश्वनाथ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से विदेशी तेल कंपनियों द्वारा बाहर भेजे जाने वाले धन को सरकार ने इस बीच रोक लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन तेल कंपनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में अलग अलग कितना धन रोका गया ;

(ग) ऐसा करने के कारण क्या हैं और क्या ये कंपनीयों निर्धारित सीमा से अधिक लाभ बाहर भेज रही थीं और यदि हां, तो प्रत्येक कंपनी दवारा गत तीन वर्षों में सीमा से कितना अधिक लाभ बाहर भेजा गया ; और

(ध) क्या इस प्रथा को रोकने के लिए वर्तमान कानूनी उपबंधों में कोई परिवर्तन करने का विचार है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) . विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा भारत से बाहर धन भेजे जाने को सरकार ने अवरूद्ध नहीं किया है। परन्तु सरकार को बाहर भेजे जाने वाली धन की विशिष्ट राशि की उपयुक्तता को देखने का अधिकार है। इंजीनियरिंग और टेकनीकल सेवाओं रायलटी लाइसेन्स फीस व होम आफिस व्यय के अधीन भेजे जाने वाली धन राशि की पूर्व जांच करने का निश्चय किया गया है ताकि देश में उपलब्ध जानकारी विदेशों से न प्राप्त की जाये। कहे गये विषयों के अधीन अलग अलग सेवाओं के लिये भेजे जाने वाली धन राशि की मांगों की उपयुक्तता देखने के लिये कार्यविधि के प्रश्न पर तेल कम्पनियों के साथ बातचीत हो रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह निश्चय किया है कि शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश पूर्णत: या आंशिक रूप में संचय से बाहर भेजा जाना रिजर्व बैंक के सन्तुष्ट होने से प्रतिबन्धित है कि (i) आरक्षितानिधि में से धन केवल लाभांश की मात्रा पिछले 5 सालों की औसतन या चुकता पूंजी की 90 प्रतिशत जो भी अधिक हो बनाये रखने के लिये निकाला गया है, (ii) आराक्षित निधि से निकाला गया धन चुकता पूंजी के 90 प्रतिशत से और वर्ष के आरम्भ में कम्पनी के स्वतन्त्र संचय से अधिक नहीं है और (iii) निकास के उपरान्त शेष स्वतन्त्र आरक्षित निधि कुल चुकता पूंजी के 15 प्रतिशत और उपरोक्त (ii) में आरक्षित निधि से कम न हो। उपरोक्त, फारुमुला अप्रैल 1972 में निकाला गया था और वह उसके बाद लाभांश बाहर भेजे जाने पर लागू है।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य

1011. **श्री विश्वनाथ झुंनझुंनवाला :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के लिए वर्ष 1972-73 के दौरान ग्रामीण विद्यूयुतीकरण के लक्ष्य क्या हैं ;

(ख) क्या गत वर्ष के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है ; और यदि नहीं तो उसमें कितनी कमी रही तथा इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या राज्य में हरिजन बस्तियों को बिजली सप्लाई करने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां , तो उसकी रुपरेखा क्या है और उसे क्रियान्वित करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1972-73 के वर्ष के दौरान राजस्थान में 1,000 ग्रामों के विद्युतीकरण और 20,000 पंपों/नलकूपों के उर्जन का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) 1971-72 के दौरान राजस्थान में 600 ग्रामों के विद्युतीकरण और 13,000 पंपों के ऊर्जन के लक्ष्य के प्रति कुल 1,100 ग्राम विद्युतीकृत और 14,102 पम्प सेट/ नलकूप ऊर्जित किए गए।

(ग) और (घ) . चुंकि यह देखा गया था कि पहले से विद्यूयुतीकृत ग्रामों के साथ पड़ने वाली कुछ हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण इन क्षेत्रों में अलाभकर भागों के कारण और राज्य बिजली बोर्डों के तंग वित्तीय संसाधनों के कारण नहीं किया गया था। भारत सरकार ने दिसम्बर, 1971 से ऐसी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए एक विशेष स्कीम चालू की है। इस स्कीम के अनुसार ऐसी हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्यूयुतीकरण के जरिए रियायती शर्तों पर ऋण सहायता दी जा रही है। इस ऋण का ब्याज $4\frac{3}{4}\%$ प्रति वर्ष है और इसे 15 वर्षों की अवधि में अदा किया जाना है। निगम ने अभी तक आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 27 ऐसी स्कीमें स्वीकार की हैं जिनमें 156.585 लाख रुपये कीं ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है और पहले से विद्युतीकृत ग्रामों के साथ 3390 हरिजन बस्तियों में 22884 स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान किया गया है।

भारत की स्वतंत्रता की रजत-जयंती के वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रति दिन एक हरिजन–आदिजाति ग्राम को बिजली देने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि ऐसी लगभग 2500 बस्तियां विद्युतीकृत हो चुकी हैं।

बुन्देलखण्ड में अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं

1012. **श्री रण बहदूर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों में बुन्देलखण्ड में अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं के मामले पर सहमति हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच में कुछ बुन्देलखण्ड में अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं के संबंध एक समझौता हुआ है। समझौते का ब्योरा नीचे दिया जाता है :–

(1) **राजघाट परियोजना :**

इस परियोजना में बेतवा नदी पर एक बांध सम्मिलित है। यह फैसला किया गया कि इस परियोजना का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के लाभ के लिए विकास किया जाएगा। परियोजना लगभग 62 टी० एम० सी० के साक्रिय संचय और संभव गाद की व्यवस्था के लिए लगभग 16 टी० एम० सी० के मृत संचय के लिए निर्मित किया जाए। इस 62 टी० एम० सी० के सक्रिय संचय में से 9 टी० एम० सी० संचय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वचनबंद्ध अनुप्रवाह प्रयोग के लिए अनुरक्षित किया जाएगा। शेष को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा और लागत भी लाभों के अनुपात में बांट दी जाएगी।

मध्य प्रदेश प्रतिप्रवाह में नई परियोजनाओं के लिए 53 टी० एम० सी० का प्रयोग कर सकता है। ऐसे वर्षों में जबकि राजघाट में वार्षिक बहाव 119 टी० एम० सी० से बढ़ जाएगा, मध्य प्रदेश ऐसी बढ़ोत्तरी को भी प्रयोग में लाने का अधिकारी होगा। राजघाट जलाशय से, उत्तर प्रदेश 26.5 टी० एम० सी० तक का प्रयोग कर सकता है जिसमें जलाशय शक्तियों का आधा भाग भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश भी, अपने दिशा क्षेत्र में अनुप्रवाह में और मध्यप्रदेश के अन्दर नहर में, प्रयोग के लिए वकनबद्ध 9 टी० एम० सी० का प्रयोग करने का हकदार होगा।

उपर्युक्त के अलावा उत्तर प्रदेश द्वारा जल के किसी भी अधिक अस्थायी समुपयोजन के लिए जो मध्य प्रदेश द्वारा उपर्युक्त पैराग्राफ में आवंटित भाग के समुपयोजन के लिए परियोजनाओं को पूरा न करने के कारण नीचे बहेगा, एक संयुक्त बोर्ड जिसनें अध्यक्ष, केंद्रीय जल और विद्युत् आयोग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सिंचाई के मुख्य अभियंता शामिल हैं, की स्त्रीकृति लेगा। बहरहाल, ऐसे समुपयोजन से, उत्तर प्रदेश, जल के अधिक समुपयोजन का स्थायी हकदार नहीं बनेगा।

2. **रंगवान बांध**

मध्य प्रदेश खरीफ फसलों के लिए 31 अक्तुबर तक 2 टी० एम सी० जल का समुपयोजन कर सकता है और 1 नवम्बर को उपलब्ध शेष संचय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 36 : 15 के अनुपात में विभाजित होगा। चूकि गंगुऊ बांध गाद से भर गया और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सप्लाई नहीं कर रहा है, यह फैसला किया गया कि वर्तमान संरचनाओं को अतिरिक्त संचय की व्यवस्था हेतु संशोधित किया जाए। रंगवान में कमी को पूरा करने के पश्चात् इसे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाएगा।

3. **बृहत्तर गंगुऊ बांध :**

यह एक अच्छी परियोजना है और पांचवीं योजना में हाथ में ली जानी चाहिए। मध्य प्रदेश जून, 1973 तक अनुसंधान पूरा करने के लिए सहमत हो गया है। केंद्रीय जल और विद्यूत् आयोग अनुसंधानों को पूरा करने में सहायता करेगा। संभाव्यता रिपोर्ट यथासभंव और तैयार की जाए।

4. **उर्मिल बांध :**

उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बांध स्थल पर उपलब्ध जल का 75 प्रतिशत को निर्भरता पर 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को और 60 प्रतिशत मध्य प्रदेश को आवंटित किया गया।

5. **ललित पूर बांध :**

उत्तर प्रदेश में इस परियोजना पर लागू डूयूटी लेकर, ललितपुर बांध से टिकमगढ जिले (मध्य प्रदेश) में 1800 एकड़ कृध्य क्षेत्र की सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश दूवारा जल उपलब्ध किया जाएगा। मध्य प्रदेश अपने क्षेत्र में, अपनी लागत पर, नहर-प्रणाली के विस्तार का निर्माण करेगा।

दिल्ली से ओखा तक सीधी रेल गाडी

1013. **श्री वेकारिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से सीधे ओखा तक एक रेल गाड़ी चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली और ओखा के बीच यातायात की दृष्टि से सीधी गाड़ी चलाने का कोई औचित्य नही है।

नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के व्यय में कमी

1014. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल प्रोजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के मुख्यालय में प्रतिष्ठान व्ययों तथा अन्य व्ययों में कटौती करने तथा हानि को कम करने के लिए क्या नवीनतम उपाय किये गये हैं ; और

(ख) इनसे मुख्यालय तथा अन्य एककों में कितनी मितव्यतिता होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंगालय में उपमंत्री (श्री बैज नाथ कुरील) : (क) शार्टो को कम करने तथा व्यय में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :

(i) और कार्य हाथ में लेने पुराने बकाया उगाहने तथा यथासंभव फालतू मशीनों तथा उपस्करों को निपटाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ii) फालतू स्टाफ तथा श्रमीकों को कम किया जा रहा है तथा नए एककों की आवश्यकताओं को वर्तमान स्टाफ दूवारा ही पूरा किया जा रहा है।

(iii) आकस्मिक तथा आवर्ती व्यय पर अधिक कड़ा नियत्रंप रखा जा रहा है।

(ख) इन उपायों के परिणमस्वरुप, निगम 1970–71 में हुई लगभग 131 लाख रुपये की हानि को 1971–72 में लगभग 70 लाख रुपये तक घटाने में समर्थ हो पायी है। आशा की जाती है कि इस झुकाव को इस वर्ष में चालू रखा जाएगा।

आयकर अपील अभिकरण के सदस्य (न्यायिक) पद के लिए चयन

1015. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अपील अधिकरण के सदस्य (न्यायिक) पद के लिए केन्द्रवार कितने उम्मीदवारों का इण्टरव्यू लिया गया :

(ख) उनमें से कितने अधिवक्ता थे, कितने राज्यों की न्यायिक सेवा में थे और कितने अन्य थे ;

(ग) चुने गये व्यक्तियों के नाम क्या है और इस समय रिक्त स्थान कितने है और कितने व्यक्तियों को प्रतीक्षा-सूची में रखा गया है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

आयकर अपील अधिकरण में न्यायिक सदस्य के पद के लिए इन्टरव्य किए गए उम्मीदवारों की संख्या

इण्टरव्यू का केन्द्र	अधिवक्ता	राजय न्यायिक सेवा से संबंधित	अन्य	कुल
मद्रास	7	10	1	18
बम्बई	1	6	2	9
दिल्ली	13	22	7	42
इलाहाबाद	2	6	—	8
कलकत्ता	6	9	1	16
	29	53	11	93

(ग) और (घ). आयकर अपील अधिकरण में इस समय न्यायिक सदस्य के पदों में से आठ रिक्त है।

चयन-बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उपर्युक्त रिक्त सथानों पर अभी तक औपचारिक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। व्यक्तियों के नामों के बारें में जानकारी उनके नियुक्त हो जाने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रतीक्षा सूची में रखे गए व्यक्तियों के नाम बताना लोक हित में नहीं है।

मान्यता प्राप्त रेलवे संघों सदस्यता की जाँच

1016. **श्री धर्मराज सिंह : श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री गैर मान्यता प्राप्त रेलवे संघों के साथ पत्र व्यवहार संबधी नीति के संवंध में 29 जून, 1971 के अताराकित प्रश्न संख्या 3441 के उत्तर के संवंध में यह वताने की कृपा करेगे कि सरकार के इस निष्कर्ष का आधार क्या है कि अधिकांश रेलवे कर्मचारी मान्यता प्राप्त सघों के सदस्य हैं?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई : नौ क्षेत्रीय रेलों पर नियुक्त 13.1 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों में से आठ लाख से अधिक कर्मचारी इन रेलों की मान्यता प्राप्त यूनियनों के सदस्य हैं। इसलिए यह कहा गया था कि मान्यता प्राप्त यूनियनें अधिकांश कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भारतीय तेल निगम के प्रबंध निदेशक (विपणन) के इलाज पर हुए व्यय कर प्रतिपूर्ति

1017. **श्री सरजू पाण्डे**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 11 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 1915 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारतीय तेल निगम लि० के प्रबंध निदेशक (विपणन) द्वारा अपने इलाज पर व्यय कर गई 1,15,000 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति के प्रश्न पर पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से में क्या परामर्श दिया गया ; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी हां।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के परामर्श से अपनी राय व्यक्त की है कि विदेश में उपचार की आवश्यकता जो देश में कैंशर के माने हुए विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणीकृत की गयी थी, तथा जिनके विचारों का अधीक्षक जे. जे. ग्रुप आफ हास्पटल बंबई एवं निदेशक, सेवाएं महाराष्ट्र द्वारा अनुमोदित किया गया था, को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विशेष विचार की आवश्यकता है।

(ग) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई राय को दृष्टिगोचर करते हुए मामले पर विचार किया जा रहा है।

अशोधित तेल के उत्पादन के लिए पांच वर्षीय कार्यक्रम

1018. **श्री सेझियन** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गेस आयोग ने देश में अशोधित तेल के उत्पादन के लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के अन्तर्गत तेल का कितना उत्पादन होगा तथा उस पर कितना व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है?

विधी और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी हां।

(ख) देश में हाइड्रौकार्बन साधन के विकास पर सोवियत और ओ० एन० जी० सी के विशेषज्ञों द्वारा हाल में की गई संयुक्त टेक्नो-आर्थिक अध्ययन में प्रस्तावित रूपान्तर-1 पर यह कार्यक्रम आधारित है। सरकार को अनुमोदनार्थ दिये गये कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य हैं:

(1) कच्चे तेल के 64.00 मिलियन टन अतिरिक्त वसूलीयोग्य सुरक्षित भण्डारों को बनाना :

(2) पांच वर्ष के समय के दौरान 30.35 मिलियन मीटरी टन के संपित उत्पादन के साथ कच्चे तेल उत्पादन को वढ़ाना, जिससे कि 1977-78 के दौरान 8.00 मिलियन मीटरी टन का उत्पादन पूरा हो सके ;

(3) पांच वर्ष के समय के दौरान 4344 मिलियन क्यूबिक मी० के संचित उत्पादन के साथ 1977–78 के अन्त तक गैस के उत्पादन रेट को लगभग 1090 मिलियन क्यूबिक मीटरज़ प्रति वर्ष स्थापित करना ;

(4) अन्वेषण कार्य को नये क्षेत्रों में तेज करना जिससे कि इन क्षेत्रों में हाइड्रो-कार्बन्स की मात्रा को निर्धारित करने के लिये सूचना प्राप्त की जा सके।

(5) जहां भी आवश्यक हो, परिष्कृत उपकरण और तकनीकियों को सन्निविष्ट कर कार्य क्षमता को अधिकतम वढ़ाना और परिचालन लागत को न्यूनतम करना।

उपरिलिखित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिये 1.337 मिलियन मीटर्स की खूदाई, 104 पार्टी-वर्ष के भूगर्भीय कार्य और 152 पार्टी-वर्ष के भूभौतिकीय कार्य की आवश्यकता होगी।

कार्यान्वयन का अनुमानित मूल्य 624.02 करोड़ रुपये, जिसमें 166.29 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है, होने की आशा है।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गोष्ठी

1019. **श्री डी० के० पंडा :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गोष्ठी में किये गए अवलोकनों तथा सुझावों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या अवलोकन तथा सुझाव दिये गए और इनको देखते हुए सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ?

सिंचाई और बिद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील, (क) जी, हां।

(ख) यह सर्वसम्मति थी कि देश में प्राय: सभी राज्य भिन्न मात्रा में विदयुत् की अत्यन्त कमी अनुभव कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप विद्युत्कटौतियां, परिणामी औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में उत्पादन की कमी, बेरोजगारी, इत्यादि हुई। विद्युत् कमी के निम्नांकित कारण थे :—

(1) जल-विद्युत् जलाशयों में जल की कमी के कारण जल-विद्युत् केन्द्र मे कम विद्युत्-जनन होना;

(2) परमाणु विद्युत् केन्द्रों से विद्युत् में कमी;

(3) विद्युत् की मांग में सतत वृद्धि; और

(4) जनन क्षमता के योग में कमी।

परिकल्पित कृषि और औद्योगिक विकास के अनुरूप यथेष्ट विद्युत् आपूर्ति की सुविधाओं को अत्यावश्यकता के आधार पर जुटाने की आवश्यकता थी।

विचार-गोष्ठी ने देश की सर्वोत्तम प्रतिभा को समाहित करते हुए अनिवार्य टास्क फोर्स के गठन द्वारा विद्युत्-जनन संयंत्रों का उन्नत अनुरक्षण और उपलब्ध क्षमता के सम्पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ताप विद्युत् केन्द्रों को कोयले को यथेष्ट आपूर्ति की सिफारिशें की; इसने इन पर भी बल दिया :—

(1) कि विद्युत् आयोजना वर्तमान पांच साल की अपेक्षा अधिक अवधि के लिए होने चाहिए ;

(2) कि जनन क्षमता में योग सतत आधार पर होना चाहिए ;

(3) कि आयोजन, कार्यान्वयन और प्रचालन में बेहतर समन्वय होना चाहिए;

(4) कि औद्योगिक संस्थानों को उपोत्पाद के रूप में विद्युत्-जनन करने की अनुमति दी जाए ;

(5) कि जहां स्वदेशी निर्मातागण समय से विद्युत् संयंत्र को प्रदान करने में असमर्थ हों वहाँ पर जनन संयंत्रों के आयात की अनुमति दे देनी चाहिए; और

(6) कि क्षेत्रीय राष्ट्रीय ग्रेडों की स्थापना की प्रगति में तेजी लाई जाए। वर्तमान विद्युत् आपूर्ति स्थिती में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार पहले से ही विचार कर रही है। ताप तथा जल-विद्युत् केन्द्रों का केन्द्र स्थल पर निरीक्षण करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के दो दलों की नियुक्ति, इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई कि वे उनके प्रचालन में सुधार लाने तथा निवारक अनुरक्षण आदि के लिए कदम उठाने के सुझाव प्रस्तुत करें; जिससे उपलब्ध क्षमता का उन्नत उपयोग हो सके। विद्युत् केन्द्रों को कोयले को यथेष्ट आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से विद्युत् केन्द्रों का कोयले के क्षेत्रों से उचित ढंग से सम्पर्क बनाया जा रहा है। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा विद्युत् परियाजनाओं के लिए प्रगतिशील योजना पहले से ही हाथ में ले ली गई है और पांचवों तथा छठो योजनाओं में अतिरिक्त विद्युत् जनन क्षमता के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम कार्यवाही पहले से ही प्रारंभ कर दी गई है।

सिंचाई तथा बिजली उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले पानी के लिए हिमाचल प्रदेश को रायल्टो के सम्बन्ध में आल इन्डिया हिमाचल सोशल बोडीज फेडेरेशन से ज्ञापन

1020. **श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इन्डिया हिमाचल सोशल बोडीज़ फेडरेशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गयी है कि हिमाचल देश से होकर बहने वाली नदियों

के जल का पड़ौसी राज्यों द्वारा सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने के लिए उसे रायल्टी दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री श्री वैजनाथ कुरील : (क) और (ख) : संघ ने हाल ही में मांग की है कि पड़ौसी राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश को नदियों से उपलब्ध जल और विद्युत् द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सम्पत्ति में से हिमाचल प्रदेश को रायल्टी, फीस, कर, आधिभार के रूप में कुछ वार्षिक धन अभिभाजन करने के लिए कोई उचित तरीका निकाला जाए। यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी उठाया गया है और मामले पर पत्राचार हो रहा है।

औद्योगिक एककों को एलकोहल की सप्लाई

1021. **श्री सरजू पांडे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरे की चोरबाजारी और औद्योगिक एककों को ऐलकोहल उपलब्ध न होने से ऐलकोहल आधारित उद्योगों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में एलकोहल सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शीरे की चोरबाजारी के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि चालू एलकोहल वर्ष में शीरे तथा एलकोहल का उत्पादन आवश्यकताओं से बहुत कम रहा है।

(ख) देशीय उपलब्धि बढ़ाने के लिए सरकार ने विदेशों से 40,000 मीटरी टन एलकोहल का आयात करने की इजाजत दे दी है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अनावश्यक खपत में मितव्ययिता अपनाने की हिदायत भी कर दी है।

Cases of violation of Traffic Rules pending with Courts in Delhi

†1022. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) the number of cases of violation of traffic rules pending with various Courts in Delhi at present ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government for expeditious disposal of cases ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale):

(a) 1,56,942 cases at the end of October, 1972.

(b) The following steps have been taken to expedite the disposal of these cases :

(i) The number of traffic magistrates have been raised from 2 to 4.

(ii) A special drive was made to reduce the number of traffic challans during the month of June, 1972. The Civil Courts were closed from 10-6-72 to 9-7-1972

Four Sub-Judges were detained during the summer vacations and they were deputed for the disposal of the pending traffic cases. Excepting the magistrates, who were deputed as Duty Magistrates, almost all the Magistrates were deputed to do the traffic cases and for two weeks the Magistrates only disposed of traffic cases on the spot. The spot prosecution scheme was organised from 12-6-1972 to 19-6-72 and 20-6-72 to 27-6-72 and during the said period all the Judicial Magistrates were deputed for traffic work.

(iii) Traffic cases pending with magistrates at Kashmiri Gate were re-distributed among 18 other magistrates at Tis Hazari for disposal.

(iv) The Judicial Magistrates dealing with the traffic cases have been directed to give better disposal.

(v) For the expeditious disposal of traffic cases the traffic courts have been directed to utilise the provisions of section 130 of the Motor Vehicles Act and to indicate the amount of fine on the processes which may be deposited or sent by money-order by the accused in case he does not want to contest the said challan. The Traffic Magistrates are following the said instructions.

(vi) It is proposed to put more Judicial Officers on the traffic work, shortly.

Development of Petro-Chemical Industries with the help of U.S.S.R.

1023. **Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether any new agreement has been concluded with the Soviet Union for the development of Petrochemical Industries; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

'मैंथाल' तेल के मूल्य में गिरावट

1024. **श्री फूलचंद वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'मेंथाल' तेल का वार्षिक आवश्यकता कितनी है और इसका देश में कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या इस वर्ष मेंथाल तेल का बड़ी मात्रा में आयात करने के कारण इसके मूल्य में इतनी गिरावट आ गई है जिससे भारतीय किसान इसे बहुत कम मूल्य पर बेचने पर विवश हो गये हैं ; और

(ग) इस संबंध में पूर्ण तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : सम्भवत : मान्यवर सदस्य पीपरमैंट तेल का जिक्र कर रहे है। जो कि मैंथाल के निर्माण के लिये कच्चे मालों में से एक है। अभी व्यव-

स्थित क्षेत्र में ४ एकक है जो कि डाइरेक्टोरेट जनरल आफ् टेक्निकल डेवलपमेण्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। इनमें से दो को डीमेंथोलाइज्ड-पीपरमैंट आयात करने की आज्ञा दी है (अर्थात् कुछ मेंथाल प्राप्त करने के बाद बचा तेल) और बाकी के दो अपनी पीपरमैंट तेल की आवश्यकता ठेके के आधार पर, देशीय स्रोतों से अर्थात, उनके द्वारा बनाये गये फार्मों से, प्राप्त कर रहे हैं।

पीपरमेंट तेल की वार्षिक आवश्यकता लगभग २०० टन है और देशी उत्पादन का अनुमान ५० टन का है।

मैंथाल उद्योग एक अग्रता उद्योग है अतः इस कच्चे माल, अर्थात् डीमेंथोलाइज्ड् पीपरमेंट तेल का, पुनः पूर्ति के आधार पर, आयात करने की आज्ञा है, और इन एककों द्वारा अधिक मात्रा आयात नहीं की गई है।

हमारे किसानों द्वारा मजबूर होकर बेचने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Unloading of Wagons at Nagda Booked for Gwalior Rayons

1025. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the wagons booked for Gwalior Rayons remain stuck up for days together at Nagda Jn. in Ratlam Division of the Western Railway and these wagons are not unloaded in time by the said concern ;

(b) whether attention of the Railway authorities was drawn to this fact previously also ; and

(c) if so, the steps taken by the authorities in this regard?

Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Demurrage charges amounting to Rs. 61,762 against total accrual of Rs. 77,202.20 have been collected during 1971.

Representation from Farmers for supply of Electricity to Farmers in Madhya Pradesh

1026. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh State has surplus electricity ;

(b) whether despite having surplus electricity, it is not made available to the farmers for irrigation purposes about which they have sent a representation to the Central Government; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) At present, Madhya Pradesh has some power surplus to its requiremts.

(b) & (c) : Power supply to farmers for irrigation purposes is being made by the Madhya Pradesh Electricity Board according to their programme of electrification.

This Ministry has not received any representations in this regard

Confirmation of Teachers of Schools on Western Railway

1027. **Shri Ishwar Chaudhry :**

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a number of teachers are still temporary in the Western Railway even after putting in 15 years' service ;

(b) the total number of teachers who have not been confirmed even after rendering service for 15 years ;

(c) the reasons therefor and the time by which they would be confirmed?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

कानपुर सैंट्रल गुडस शैड, जुही और फजलगंज में माल उतारने-चढ़ाने का ठेका देने के लिए टेंडरों को अन्तिम रूप देना

1028. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या रेल मंत्री कानपुर सैंट्रल गुडस शैड, जूही तथा फजलगंज में माल उतारने चढ़ाने का ठैका देने के लिए टेंडरों को अन्तिम रूप देने के बारे में 23 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 7040 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिन्टेण्डेण्ट, इलाहाबाद ने उपरोक्त ठेकों के लिए इस बीच नये टेंडर मंगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो नए ठेकेदार सोसाइटी को ठेका किस तिथि से दिया गया है ; और

(ग) निवर्तमान ठेकेदार को दिए गए दरों की तुलना में नए ठेकेदार को दी जाने वाली दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) वास्तविक कामगारों की एक असली स्थानीय श्रम सरकारी समिति से बातचीत करके उसे युक्ति युक्त शर्तों पर ठेका दिया जा सकता था, इसलिए नये टेंडर नहीं मांगे गये।

(ख) जनता लेबर को-आपरेटिव सोसाइटी लि० कानपुर को 1-8 1972 से कानपुर सेंट्रल माल गोदाम का और 1-9-1972 से फजलगंज सहित जुही यानान्तरण मालगोदाम का ठेका दिया गया था।

(ग) पिछली ठेका दरों की तुलना में, जनता लेबर को-आपरेटिव सोसाइटी, कानपुर के लिए कानपुर माल गोदाम की लदाई-उतराई के ठेके में 29 प्रतिशत और फजलगंज सहित जुही यानान्तरण और माल गोदाम के ठेके में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।

हाल्दौर और बिजनौर रेलवे स्टेशनों के बीच गोली से मारे गए दो रेलवे यात्री

1029. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

(क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या अक्तूबर, की हाल्दौर और बिजनौर रेलवे स्टेशनों के बीच दो रेलवे यात्रियों को गोलियों से मार दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे सुरक्षा दल उन यात्रियों को बचाने में सहायता नहीं कर सके थे ? ।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां । एक यात्री गोली से मारा गया था।

(ख) गाड़ियों में और रेल परिसरों में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारी रेलवे पुलिस की है। इस मामले की जांच में रेलवे सुरक्षा दल द्वारा रेलवे पुलिस के साथ आवश्यक सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखा गया था। इस अपराध से सम्बन्धित चार व्यक्तियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्मिक संघ और प्रबंधकों के बीच बार्ता

1030. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्मिक संघ और प्रबंधकों के बीच मंजूरी बढ़ाने के लिए बार्ता असफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किन बातों पर मतभेद हुआ है ; और

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग के कर्मचारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गस आयोग ने कई वेतन-वृद्धियों सहित वेतन-मानों के कतिपय पुनरीक्षणों की पेशकश की थी, बशर्ते कि उनका सरकार द्वारा अनुमोदन हुआ यूनियनों ने इस पेशकश को मंजूर नहीं किया था तथा एक प्रति-प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया था कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इस की सिद्धान्त रूप में स्वीकृति घोषित करनी चाहिए अर्थात् उनके वेतन-मानों का भारतीय का तेल निगम के वेतन-मानों के बराबर निर्धारण किया जाए। यूनियनों ने और बताया था कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के

प्रस्ताव की रूपरेखाओं के तदर्थ आधार पर एक समझौता किया जा सकता था किन्तु वह 31-12-1972 तक वैध होगा और जनवरी, 1971 से लागू होगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धकों ने निम्नलिखित कारणों से भारतीय तेल निगम के वेतन-मानों के बराबर यूनियनों द्वारा प्रस्तुत किये गए वेतन-मानों के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सहमति नहीं दी थी :—

(i) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकांश पदों के कार्य-भार (डियूटीज) भारतीय तेल निगम के पदों के कार्यभार से बिल्कुल भिन्न भिन्न है ; और

(ii) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में वेतन-मानों तथा वेतनों को भारतीय तेल निगम में पदों के तदनुरूपी स्तरों के बराबर लाने के लिए बहुत अधिक व्यय होगा। इस व्यय के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं है।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिकांश यूनियनों ने हड़ताल का नोटिस दिया है। इस विवाद को निपटाने के लिए उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्र), नई दिल्ली ने कार्य-वाही प्रारम्भ कर दी है।

कर सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही

1031. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने हाल ही में कर संबन्धी अपराधों को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही, जिसमें निवारक निरोध भी शामिल है, करने की सिफारिश की है : और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां। विधि आयोग ने, सामाजिक और आर्थिक अपराधों के विचारण और दंड पर, अपनी सैंतालीसवीं रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक अपासधों के बारे में कतिपय सिफारिशें की हैं जिनके अन्तर्गत ऐसे अपराधों के दोषी व्यक्तियों का निवारक निरोध है।

(ख) सरकार द्वारा रिपोर्ट की जाचं की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

1032. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछान के पूर्ववर्ती प्रस्ताव को त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). रेलवे का विकास राज्यवार अथवा क्षेत्रवार धारणा से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में समग्र विकास के विचार से किया जाता है। इसी नीति के आधार पर, कोट्टवलासा से बैलाडिल्ला तक एक नयी रेलवे लाइन लौह अयस्क के यातायात के लिए नवम्बर, 1968 में खोली गयी थी जिसका कोट्टवलासा से 118 किलोमीटर भाग आन्ध्र प्रदेश में पड़ता है। आन्ध्र प्रदेश की कुछ अन्य नयी लाइनें जिनके बारे में विचार किया गया, उनकी वर्तमान स्थिति नीचे बतायी गयी है :—

लाइन का नाम	वर्तमान स्थिति
(1) ओंगोल से हैदराबाद बरास्ता नागार्जुन सागर	सिकन्दराबाद (बीबीनगर) से नाडिकुडे (गुन्टूर–माचेर्ला खण्ड के आमान परिवर्तन सहित) तक की नयी लाइन के सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और रिपोर्टें रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। जांच पूरी हो जाने के बाद इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जाएगा।
(2) बैलाडिल्ला से काचेगुडम (भद्राचलम रोड)	1965 में जो सर्वेक्षण किये गये थे उनसे पता चला कि इस लाइन का औचित्य केवल तभी होगा जब दण्डकारण्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास बड़े पैमाने पर किया जाये जिसका अब तब कोई संकेत नहीं मिला है।
(3) भद्राचलम रोड कोव्वूर	1966 में जो व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन किया गया था उससे ज्ञात हुआ कि यह लाइन लाभप्रद नहीं होगी। लेकिन अध्ययन रिपोर्ट को हाल ही में अद्यतन किया गया है। इस अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भी यह रेल सम्पर्क अत्यधिक अलाभप्रद रहेगी। अतः इस लाइन पर विचार नहीं किया जा रहा है।
(4) निजामाबाद-पेड्डापल्लि	पहले जो जांच-पड़ताल की थी उससे पता चला कि इस लाइन का वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं है। अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए इस लाइन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं की ओर से मेरठ शटल में अधिक यात्री डिब्बे तथा डीजल इंजन जोड़ने संबंधी अभ्यावेदन

1033. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :

श्री सत्यचरण बेसरा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ताओं की ओर से गाजियाबाद से प्रातः 9 बज कर

दो मिनट पर नई दिल्ली को रवाना होने वाली मेरठ शटल में और अधिक यात्री डिब्बे तथा डीजल इंजन जोड़ने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव न तो यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न डीजल इंजनों की अनुपलब्धता तथा दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों पर अधिक लम्बी गाड़ियों के सम्हालने में परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक ही है।

भटिंडा तापीय बिजलीघर का निर्माण

1034. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :

श्री एस० सी० बेसरा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाटिंडा तापीय बिजलीघर का निर्माण कार्य निर्धारित समय से बहुत पीछे है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां। प्रथम उत्पादन-यूनिट का प्रचालन अनुसूची से 12 महीने पिछड़ गया है।

(ख) इसके कारण हैं : स्वदेशी सम्भरकों द्वारा उपस्करों की सप्लाई में विलंब, सिविल कार्यों में विलंब, पर्याप्त मात्रा में इस्पात का न मिलना, दस उच्च-दाबीय बैल्डरों की कमी तथा पकिस्तान-युद्ध के दौरान उत्पन्न असाधारण परिस्थितियां।

भारतीय तेल निगम के शेयरों की जनता को बिक्री

1035. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल अनिगम ने अपने शेयरों का एक भाग जनता को बिक्री करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के उर्वरक रिएक्टर में कथित तोडफोड़

1036. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर के उर्वरक कारखाने का उर्वरक रिएक्टर बंद पड़ा है ;

(ख) क्या इसमें तोड़फोड़ की कार्यवाही का संदेह है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

पर्वोत्तर, दक्षिण-पूर्व तथा मध्य रेलों में रेलयात्रियों की कमी

1037 **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1972 के अंत तक गत चार महीनों में पूर्वोत्तर , दक्षिण-पूर्व तथा मध्य रेलों में रेल यात्रियों की कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पांई) : (क) और (ख). जी हां, जुलाई, 1972 के अंत तक इन तीनों रेलों में प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात के लदान में मामूली कमी हुई थी। इस वर्ष विशेष रूप से अधिक गर्मी पड़ने के कारण रेल कर्मचारी भारी संख्या में अनुपस्थित रहे तथा भाप गाड़ियों के चालन के लिए पानी की कमी हुई जिसके फल-स्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में लदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

मई, जून में और कुछ हद तक जुलाई के महीने में भी दामोदर घाटी निगम और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली की सप्लाई में समय-समय पर खराबी पैदा होने के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे के गाड़ी संचालन पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मध्य रेलवे में पेंच और चंदा कोयला क्षेत्रे में अप्रैल और मई के दौरान अधिक समय तक मजदूरों की हड़ताल होने के कारण उस रेलवे पर कोयले का लदान कम हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे पर लदन में कमी का कारण मुख्यत : गन्ना यातायात का कम आना था ।

परिचालन की सामान्य स्थितियों में सुधार होने और रेलों द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप सभी भारतीय रेलों के प्रारम्भिक लदान में पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम छ: महीनों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष की उसी अवधि में 21.5 लाख मीटरिक टन की वृद्धि हुई ।

ओखला, दिल्ली सफदरजंग और हजरत निजामुद्दीन में रेस्ट गिवर इलैक्ट्रिकल सिग्नल मैनटैनर

1038. **श्री चद्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री इलैक्ट्रिकल/मकेनिकल सिग्नल मैनटेनर्स के काम के घंटों के विनियमन के अन्तर्गत वर्गीकरण के बारे में 30 मई, 1972

के अतारांकित प्रश्न संख्या 7878 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला, दिल्ली सफदरजंग और हजरत निजामुद्दीन में चौबीस घंटे की शिफ्ट ड्यूटी पर काम करने वाले 'रेस्ट गिवर' इलैक्ट्रिकल सिग्नल मेनटेनरों के पद बना दिए गए हैं ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे में अन्यत्र चौबीस घंटे की शिफ्ट ड्यूटी देने वाले इलैक्ट्रिकल/मकेनिकल सिग्नल मेनटेनरों को विश्राम देने वाले कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई)। (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में नई रेलवे लाईनेंस्टेशन

1039. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितनी लोकल रेल गाड़ियां चलती हैं ;

(ख) क्या दिल्ली में यात्रियों की भारी भीड़ की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए नई रेलवे लाइन तथा नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और यदि हां, तो संक्षेप में वह क्या है ; और

(ग) क्या इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है और यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई). (क) 64

(ख) और (ग)। दिल्ली क्षेत्र में यातायात की आवश्यकताओं के संबंध में व्यापक अध्ययन किया जा रहा है। इसमें एक अतिरिक्त टर्मिनल की व्यवस्था और व्यापक द्रुत परिवहन के लिए एक नये गलियारे के संबंध में जांच का काम शामिल है। आशा है कि ये अध्ययन 1973 में पूरे हो जायेंगे और इनकी रिपोर्ट मिलने पर योजना आयोग के परामर्श से इस के संबंध में विनिश्चय किया जाएगा।

रेलवे पर अपराध रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

1040. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलों में उत्तरोत्तर बढ़ रहे अपराध को रोकने हेतु रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन करने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बल के वर्तमान गठन में क्या मुख्य परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) उन परिवर्तनों को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के वर्तमान ढांचे में जो बड़े परिवर्तन किये जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) मौजूदा वर्दीधारी और सशस्त्र शाखाओं का विलय और उसके द्वारा एक मानक कम्पनी के ढांचे पर जांच शाखा। अभियोजन शाखा और सुरक्षा शाखा का निर्माण जिसमें सशस्त्र सैनिकों का प्रतिशत अधिक हो ;

(2) अपराध आसूचना शाखा में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ;

(3) मंडलीय और मुख्यालयों के स्तर पर प्रशासनिक परिवर्तन ; और

(4) जहां संभव हो निश्चित स्थल ड्यूटी के स्थान पर हलका एवं पतरोल ड्यूटी करके दल की कार्यप्रणाली में परिवर्तन।

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों को अभी हाल में हिदायतें जारी की गयी हैं। इन हिदायतों का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा।

राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन

1041. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान विद्युत् संकट का अध्ययन करने के लिए हाल ही में राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में स्थिति का क्या मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) इस सम्मेलन में विद्युत् के संकट वाले राज्यों में विद्युत् की सप्लाई में सुधार लाने के लिए क्या निर्णय किए गए हैं और उनको किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां। देश में विद्युत् की सप्लाई स्थिति पर विचार-विमर्श करने और विद्युत् कमी को दूर करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के मुख्य मंत्रीयों/विद्युत् मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

(ख) दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और असम को छोड़ कर समस्त देश में विद्युत् की कमी है। देश में कुल कमी, लगभग 25 मिलियन यूनिट/दिन है। कमी निम्नलिखित तथ्यों के परिणामस्वरूप हुई है :—

(1) जल-विद्युत् जलाशयों में जल की कमी के कारण जल-विद्युत् केन्द्रों से कम विद्युत्-जनन ;

(2) परमाणु केन्द्रों से विद्युत् में कमी ;

(3) विद्युत् मांग में संतत वृद्धि ; और

(4) विद्युत्-जनन क्षमता की वृद्धि में कमी।

(ग) जहां तक सम्भव हो सके, विद्युत् की कमी को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है :—

(1) सतपुड़ा केन्द्र से उपलब्ध फालतू विद्युत् को पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को उपलब्ध कराया जाए। हिमाचल प्रदेश में बरसों से पंजाब को और दिल्ली से हरियाणा को फालतू विद्युत् उपलब्ध कराई जाए। राजस्थान परमाणु केन्द्र से उपलब्ध फालतू विद्युत् उत्तरी क्षेत्र में दी जाए।

(2) गुजरात में ताप विद्युत् केन्द्र को उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए ईंधन तेल की आवृधित सप्लाई दी जानी चाहिए।

(3) पूर्वी क्षेत्र में सभी ताप विद्युत् केन्द्रों को अच्छे किस्म का कोयला सप्लाई करना चाहिए।

(4) निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे बदरपुर, भटिंडा, ओबरा, कोठागुडम और एन्नोर के निर्माण में तेजी लाई जानी चाहिए।

(5) पाण्डीचेरी और गोआ में क्रमश : 0.1 मिलियन यूनिट और 0.3 मिलियन यूनिट/दिन की कमी को चार राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर और तमिलनाड द्वारा पूरा किया जाएगा।

अतिरिक्त बिजली वाले राज्यों से बिजली की सप्लाई को अन्य राज्यों में भेजना

1042. **श्री राम सहाय पाण्डे** :

श्री समर गुह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त बिजली वाले राज्यों से बिजली लेकर, बिजली की कमी का सामना कर रहे राज्यों को बिजली की सप्लाई करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपायों की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) कमी वाले राज्यों के लिए अधिक विद्युत् प्रजनन के प्रबन्ध करने के लिए क्या शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब को राजस्थान द्वारा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा विद्युत् केंद्र से उपलब्ध 0.4 मिलियन यूनिट फालतू प्रति दिन सप्लाई करने की व्यवस्था कर दी गई है। कोटा-जयपुर 220 के० वी० लाइन के पूरा हो जाने पर इस सप्लाई को और बढ़ाना संभव हो जाएगा।

सतपुड़ा से फालतू विद्युत् उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को भी सप्लाई की जा रही है। दिल्ली से फालतू विद्युत् हरियाणा को भी दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बरसो जल विद्युत् परियोजना से फालतू विद्युत् पंजाब को दी जा रही है। केरल से फालतू विद्युत् तमिल नाडु और पाण्डीचेरी को सप्लाई करने की व्यवस्था की जा चुकी है। राणाप्रताप परमाणु विद्युत् परियोजना से फालतू विद्युत् उत्तरो भिंड को दी जाएगी।

(ग) (१) ताप-विद्युत् केंद्रों के लिए अच्छी किस्म के कोयले की व्यवस्था की जा रही है।

(२) विद्युत् उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात में ताप-विद्युत् केंद्रों के लिए अतिरिक्त इंधन-तेल की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है।

(३) तमिल नाडु में एन्नोर ताप-विद्युत् केंद्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में शीतल जल, जो कि अभी अपर्याप्त उपलब्ध था, के प्रबधो कार्यान्वित किया जा रहा है। एन्नोर में विद्युत् जनन में काफी मात्रा में सुधार हो चुका है।

(४) किसी भी विद्युत् प्लांट के खराब हो जाने पर उसको तुरन्त मरम्मत की जाती है।

(५) विद्युत् ऊर्जा को अधिकतम उपलब्धता के लिए रख-रखाव आउटेजिजों को क्षेत्रवार समन्वित अनुसूचियां तैयार की जा रही है।

न्यायाधीशों के लिए बेहतार पेंशन

1043 **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1972 के समाचार पत्र 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित भारत के मुख्य न्यायाधीश के इस कथन की ओर दिलाया गया है कि न्यायाधीशों की पेंशन उनके वेतन के बराबर होनी चाहिए ताकि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त नौकरी न ढूंढ़े अथवा प्रेक्टिस आरम्भ न करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) सरकार ने निर्दिष्ट समाचार देखा है। न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

दक्षिण-मध्य रेलवे के सफाई विभाग के कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई

1044. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के सफाई विभाग के कर्मचारियों को लगभग दो वर्ष पहले से वर्दियां सप्लाई करना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको वर्दियां, चप्पले और दस्ताने पुनः कब मिलने लगेंगे ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) . वर्दियों की सप्लाई मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर 1966 से बंद कर दी गयी थी । ये आदेश अभी भी लागू हैं ।

(ग) मितव्ययिता आदेश वापिस ले लिये जाने के बाद ही वर्दियों की सप्लाई की जायेगी । चप्पल और दस्ताने निर्धारित वर्दी के अंग नहीं हैं ।

भारतीय उर्वरक निगम के विपणन प्रभाग में बट्टे खाते का धन

1045. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्रि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के विपणन प्रभाग में बट्टे खाते का कुल धन कितना है ;

(ख) वर्ष 1969–70, 1970-71 तथा 1971–72 के दौरान बंगलौर विपणन कार्यालय के क्षेत्र में बट्टे खाते का कुल धन कितना है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो मे इस मामले की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायम मत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) से (ग) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम के विपणन के प्रभारी निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

1046. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त, 1971 से संसद सदस्यों से भारतीय उर्वरक निगम के विपणन के प्रभारी निदेशक के विरुद्ध शिकायतें मिल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री(श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) . इस संबंध वे कुछ आरोप प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के दमकल विभाग दुवारा आग बुझाने से इन्कार

1047. **श्री दशरथ देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनगर रेलवे स्टेशन की अग्निशमन व्यवस्था ने हाल ही में धर्मनगर में अग्निकांड के कारण हुई भारी क्षति के दौरान अपनी सेवा प्रदान करने से इन्कार कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन्कार किये जाने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) धर्मनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे का कोई फायर ब्रिगेड नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Taking over of Construction work of Rajasthan Canal

1048. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have taken over the construction work of Rajasthan canal under their own control; and

(b) if so, the time by which the work is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) the Rajasthan Canal Project continues to form a part of State Plan of Rajasthan Government.

(b) Stage-I of the Project is likely to be substantially completed by the end of Fourth Plan period. Works under Stage-II will be taken up thereafter.

Publication of Dictionaries containing legal terms and phrases in various languages

1049. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to bring out authentic Dictionaries containing legal terms and phrases in the various languages of the country; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में कृषि योग्य भूमि को सिंचाई

1050. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है और सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई ऐसी भूमी की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या चौथी योजना में शेष भूमि को भी सिंचाई के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बात क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) . मध्य प्रदेश में कृष्य-क्षेत्र लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर है। चौथी योजना के अन्त तक, यह प्रत्याशित है कि लगभग 2 मिलियन हैक्टेयर अथवा 10% सिंचाई शक्यता उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें से लगभग 1.17 मिलियन हैक्टेयर वृहद तथा मध्यम स्कीमों से तथा शेष लघु सिंचाई स्कीमों से उपलब्ध होगी।

मोटे तौर पर मूल्यांकन किया गया है कि राज्य की अंततः सिंचाई शक्यता लगभग 5.6 मिलियन हैक्टेयर वृष्त तथा मध्यम स्कीमों से तथा 2.4 मिलियन हैक्टेयर लघु सिंचाई स्कीमों से उपलब्ध होगी। यह आशा की जाती है कि यह शक्यता अगली दो या तीन पंचवर्षीय योजनाओं में विकसित हो जाएगी।

Inconvenience to Passengers travelling in Saurashtra and Triveni Mail

1051. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether passengers travelling by Saurashtra Mail and Triveni Mail are put to **great inconvenience decause there are no conductor in the rrains** ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to provide facilities to passengers in this regard?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Conductors have been provided on 5 Dn./6 Up Saurashtra Mail and 5 Up/6 Dn Triveni Express trains.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनाएं

1052. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितने सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ;

(ख) उनमें से कितनी सिंचाई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है ;

(ग) क्या इनमें से किसी परियोजना के लिए विदेशी सहयोग की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो उस परियोजना का नाम क्या है जिसके लिए विदेशी सहयोग अपेक्षित है और वह कहां स्थित हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) . सिंचाई एक राज्य विषय है। सिंचाई की केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई स्कीम नहीं है तथा सिंचाई स्कीमों का आयोजन, अन्वेषण और निर्माण राज्य सरकारों द्वारा उन्की विकासात्मक योजनाओं के अंग के रूप में, किया जाता है। राज्य-योजनाओं को केन्द्रीय सहायता, संपूर्ण राज्य योजनाओं के लिए ब्लाक ऋणें और अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा वह किसी विकास-शीर्ष अथवा परियोजना विशेष से सम्बद्ध नहीं होती।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं में से कुछ जैसे, चम्बल, तवा और वारना तथा अनेक मध्यम स्कीमों, दीर्घ काल से निर्माणाधीन है। ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है तथा उनके, चौथी योजना के अंत तक अथवा पांचवी योजना के प्रारम्भ में, काफी हद तक, पूर्ण होने की प्रत्याशा है।

मध्य प्रदेश सरकार से विदेशी सहयोग के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नंगल उरर्वक संयंत्र के विस्तार के लिये विश्व बैंक से सहायता

1053. **श्री सी० टी० दण्डपाणी** :

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने पंजाब में नगल उर्वरक संयंत्र की विस्तार परियोजना की सहायता करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या 75 करोड़ रुपये की उक्त परियोजना के लिए 29 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और क्या विश्व बैंक इतनी सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) . नंगल (विस्तार) प्रायोजना जिसपर लगभग 39 करोड़ रुपये की विश्व बैंक की विदेशी मुद्रा सहायता को सम्मिलित करते हुए लगभग 75.6 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ; विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है प्रायोजना के पूरा होने की समय सारणी कार्य के प्रारंभ की तिथि से 36 महीने है।

उड़ीसा द्वारा आन्ध्र प्रदेश को बिजली की सप्लाई

1054. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** :

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा ने बालोमेला, कोरापुट जिले में स्थित अपने नवनिर्मित पनबिजलीघर से उत्पन्न होने वाली पूरी बिजली आंध्र प्रदेश को बेचने को पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा द्वारा आंध्र प्रदेश को कुल कितनी बिजली दी जाएगी ; और

(ग) उसकी शर्तें क्या होंगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) उड़ीसा ने बलिमेला जल विद्युत् परियोजना से उत्पादन की जाने वाली सारी विद्युत् आंध्र प्रदेश को बेचने का प्रस्ताव नहीं किया है परन्तु उड़ीसा सरकार उस समय तक, जब तक कि बलिमेला-तलचर 220 के० वी० लाइन पूर्ण नहीं होती और बलिमेला से उड़ीसा ग्रिड को विद्युत् स्थानांतरित करने में समर्थ नहीं होता उड़ीसा बलिमेला-सिलेरू 220 के० वी० लाइन द्वारा बलिमेला जल-विद्युत् परियोजना से विद्युत् बेचने के आंध्र प्रदेश के अनुरोध पर विचार कर रही है। यह ज्ञातव्य है कि दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य मंत्रीयों के साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि बलिमेला परियोजना से अगर कोई विद्युत् फालतू हो, तो वह आंध्र प्रदेश द्वारा हो उपयोग में लाई जानी चाहिए।

(ख) प्रतिदिन सप्लाई किए जाने के लिए सम्भावित कुल विद्युत् लगभग 8 लाख यूनिट है।

(ग) ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य प्राधिकारियों के बीच विचाराधीन है।

बंगला देश के दर्शना स्टेशन पर एक भारतीय रेल गाडी का रोका जाना

1055. **श्री सी० टी० दण्डपाणी :**

श्री के० सूर्यनारायण :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1972 में बंगला देश में दर्शना स्टेशन पर 10 बोगियों वाली एक भारतीय रेलगाड़ी रोक ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) एक स्पेशल गाड़ी, जिसमें दो खाली मालडिब्बे और हार्डिंग पुल की मरम्मत का काम पूरा होने पर फालतू बचे सामान से लदे 11 माल डिब्बे थे, 25–10–1972 को दर्शना स्टेशन पर, मुख्यतः सीमा शुल्क की जांच के लिए रोक ली गयी थी। बंगला देश के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा माल की जांच हो जाने के बाद उन माल डिब्बों को 29–10–1972 को भारत में लाया गया।

Refund of a portion of fare in case a Train is late

1056. **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state : (a) whether a portion of Express train is refunded to the passengers in Japan in case Super Express trains run late for more than one hour;

(b) if so, whether such arrangements are proposed to be made in respect of certain trains in India also; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai): (a) Yes. In Japan, in addition to the basic fare, the passengers have also to pay the "Express Charges" if they travel by Super Express, Limited Express or Express trains. These "Express Charges" vary according to the type of train, sector and mileage and range between 50% to 400% of the basic fare. Refund for late running of trains is limited to "Express Charges alone. This is 100% if delay exceeds one hour on Super Express trains and 2 hours on other trains".

(b) No.

(c) The concept of "Express Charges" levied in Japan is quite different from Mail/Express fares charged in India. In Japan it is related to speed of Express trains varying from 110 kmph to 210 kmph. This situation does not obtain in India.

राष्ट्रीय राजपथों पर विद्युत् प्रजनन और मुख्य पारेषण लाइनों के संचालन के लिए चहुंमुखी संगठन।

1058. **श्री के० मालन्ना :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों पर केन्द्रीय विद्युत् प्रजनन और मुख्य बिजली पारेषण लाइनों के स्वामित्व और संचालन के नियंत्रण के लिए एक चहुंमुखी संगठन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) संगठन को स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (ग) . विद्युत् को बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से और ऐसी सप्लाई का मित्तव्ययिता-पूर्ण ढंग से प्रबंध करने हेतु यह आवश्यक समझा गया है कि विद्युत् सप्लाई उद्योग का उपयुक्त रूप से पुन: निर्माण किया जाए। इस समय इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है।

एस्सो कंपनी द्वारा अपना व्यापारिक हित बेचने का प्रस्ताव

1059. **श्री पम्पन गौडा :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही तीन विदेशी कंपनियों में से एक कंपनी एस्सो ने 26–74 प्रतिशत इक्विटी का उसका प्रस्ताव सरकार को मान्य न होने की स्थिति ने

भारत में अपने सम्पूर्ण व्यापारिक हित बेच देने के लिए बातचीत करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) 14-11-1972 को लोक सभा में पूछे गये अता० प्रश्न० सं० 253 के उत्तर में प्रस्ताव की मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है।

अपर कृष्णा परियोजना

1060. **श्री पम्पन गौडा :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपर कृष्णा परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कार्यरूप देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सिंचाई एक राज्य विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण राज्य योजनाओं के समग्र रूपरेखा के अंतर्गत सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों को केंद्रीय सहायता, संपूर्ण राज्य योजना के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और इसका संबंध किसी विकास-शीर्ष या परियोजना विशेष से नहीं होता।

मैसूर सरकार के हाथ में कई वृहद् परियोजनाएं हैं और वह अन्य परियोजनाएं जो कि अधिक अग्रिम चरणों में हैं तथा विकास के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के संदर्भ में अपर कृष्णा परियोजना-चरण एक के लिए धन की व्यवस्था कर रही है। वर्तमान सूचना के अनुसार, परियोजना छठी योजना में पूर्ण होनी संभवित है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि उन्हें कुछ विशेष केंद्रीय सहायता दी जाए तथा इस मामले पर योजना आयोग में विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र से मैसूर को पानी दिया जाना

1061. **श्री पम्पन गौडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कोयना से पानी देने के लिए कहा है, परन्तु अब तक पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में अपनेप्र भाव का प्रयोक्र करेगी

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी कि है उनको चालू फेयर मौसम अवधि में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

Job analysis of staff of Signalling and Telecommunication Department of Indian Railways

1062. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether modernisation of Signalling and Telecommunication Department of the Indian Railways has brought about changes in the workload and the working conditions of the Signal Inspectors, Telecommunication Inspectors and Assistant Inspectors of the said Department ;

(b) whether any job analysis in regard to the Inspectors and Assistant Inspectors of this Department, who are working on the maintenance of modern systems at various places such as Route Relay Interlocking, Centralised traffic control and Microwave, was under taken during the last three years ; and

(c) if so, the names of the places, where job Analysis was undertaken and the outcome thereof?

The Minister for Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) No. However, for determining the strength and jurisdiction of the maintenance staff of the Signal & Telecommunication Department, the individual Zonal Railways are already following their own yardsticks which take into consideration local conditions and quantum and type of equipment.

(c) Does not arise in view of the reply to (b) above.

Theft of Machines in the Signal and Telecommunication Department

1063. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways are suffering loss due to a large number of machines such as relay machines etc. being stolen away from the Signal and Telecommunication Department of the Railways ;

(b) the total number of such thefts committed in Indian Railways during 1972 in the various Railway Zones and the loss sustained thereby ;

(c) the steps taken by Railway Protection Force and the Railway Signal Engineers to check these thefts and the result thereof ; and

(d) the number of such thefts in Delhi area during 1972 and the loss sustained thereby?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes, to some extent.

(b) During 1972 (upto October) 1227 incidents of such thefts occurred on all Indian Railways and a loss of Rs. 4,36,857 was sustained.

(c) The following steps have been taken by Railway Protection Force and Railway Signal Engineering departments to prevent and detect such type of offence:—

Steps taken by Railway Protection Force

(i) Railway Protection Force staff are deployed for patrolling in the vulnerable sections.

(ii) Patrolling by Dog Squads.

(iii) Collection of crime intelligence and conducting raids over known suspected criminals and receivers of stolen property.

(iv) The cases detected by Railway Protection Force are being dealt with under Railway Property Unlawful Possession Act for deterrent punishment.

Steps taken by Signal Engineering Department

(i) Guarding of installations fitted with signal equipments at static places and stores by deploying Departmental watchmen.

(ii) Providing cover and protection to the impedence Bonds, Relays and other Signalling equipment installed along the Railway track.

(iii) Relay machines, batteries and other vulnerable Signal equipments are being centralised at static installations like cabins etc. along with works involving re-signalling.

(d) 47 cases of such thefts occurred in Delhi area from January, 1972 to October, 1972. The loss sustained is valued at Rs. 61,885.

Supply of Power in U.P.

1064. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :—

(a) whether the power has not been supplied in Uttar Pradesh even for two hours a day since the Middle of 1972 ; and

(b) the steps Government propose to adopt to supply power to the farmers to continuously without interruption?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel): (a) During drought of July/August, 1972, the irrigation demand increased very much and load shedding of rural feeders had to be resorted to for durations ranging generally from 10 to 12 hours a day, as thermal plant had been taken out for annual overhaul in accordance with the programme already fixed. The position was somewhat better in September, 1972, but since the middle of October, 1972, there is again acute shortage of power and load shedding for about 6 to 8 hours a day is being done.

(b) With the present power generating capacity, continuous power supply to farmer-is not possible. However, efforts are being made for supplying power for 18 hours a day in acs cordance with a pre-determined programme.

नये विद्युत् जोन की स्थापना

1065. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नया विद्युत् जोन स्थापित किए जाने की सम्भावना के बारे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इस प्रकार के विचार-विमर्श होने सम्बंधी कोई जानकारी केन्द्रीय सरकार को नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में अधिक शक्ति वाले तापीय बिजलीघर की स्थापना

1066. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला अधिक शक्तिशाली तापीय बिजलीगत स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है और उक्त तापीय केन्द्र के उपकरणों के आयात के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 12-10-72 को बम्बई में हुए विचार-विमर्श के दौरान एक सुझाव दिया गया था कि केन्द्र सम्भवत: 2-2 मिलियन किलोवाट क्षमता वाले दो ताप विद्युत् केन्द्रों का प्रतिष्ठापन करे जिनमें से एक सतपुड़ा में होगा ।

(ख) परियोजना की रूप-रेखा इत्यादि विस्तृत अन्वेषण करने तथा व्यवहार्यता-रिपोर्ट तैयार होने के उपरांत ही निश्चित की जाएगी ।

Earnings from Railways during 1972

1067. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway earnings have constantly falling for some years past, if so, the reasons therefor ;

(b) whether some measures were contemplated by Government to earn profit by removing those shortcomings;

(c) the position in this regard at the end of first six months of the current financial year; and

(d) whether there is any likelihood of an increase in the profit during the current year?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The net surplus/shortfall after meeting the annual dividend liability, during last five years was as follows :—

	Surplus (+)/Shortfall(—)
1967—68	(—) 31.53
1968—69	(—) 7.86
1969—70	(—) 9.83
1970—71	(—) 19.84
1971—72	(+) 17.84

The financial position showed considerable improvement in 1971-72. The unsatisfactory state of Railway finances in the earlier years was mainly due to the following :—

(i) The rates of freight and passenger fares have not kept pace with the increase in costs of both personnel and material, and

(ii) The growth of freight traffic during this period was below anticipation largely due to sluggish economic activity and to disturbed law and order conditions in the Eastern Zone.

(b) Numerous steps have been taken to maximise the earnings and curb the expenditure with a view to improve the financial results of railways.

There is an increasing emphasis on marketing survey and commercial activities. Various measures have been introduced to attract more and more high-rated traffic e.g. container service, freight forwarder scheme, station to station rates, etc. Steps have also been taken to control ticket-less travel.

On the expenditure side, efforts have been made to reduce the expenditure on fuel by increasing the efficiency of operation, checking thefts, pilferages and wastages, reducing to the inescapable minimum expenditure on repairs and maintenance and contingencies.

(c) The correct picture of financial results can be obtained only when the accounts for the whole year are closed as certain adjustments are made on annual basis and the figure of dividend payable can be known only when the year's entire capital expenditure becomes available.

(d) A number of uexpected developments have taken place during the year as a result of which the expenditure is likely to go up considerably. Some of more important developments are listed below.

(i) Grant of second instalment of Interim Relief sanctioned by Government with effect from 1st August, 1972 on the recommendation of the Pay Commission.

(ii) Implementation on Miabhoy Award.

(iii) Increase in the price of steel, coal, diesel oil, etc.

In the circumstances, the results for the current year may not compare favourably with those for the last year inspite of continued efforts to maximise earings and reduce expenditure.

A more comprehensive appraisal of the financial position for 1972-73 would be reflected in the revised estimates of the year which will be presented to the Parliament in the Budget Session.

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युत् योजनायें

1068. **डा० रानेन सेन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए अब तक कितनी ग्रामीण विद्युत् योजनायें मंजूर की गयी है ;

(ख) पश्चिम बंगाल के अनुमानतः कितनी राशि दी जाएगी ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल के लिए कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें मंजूर किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). ग्राम विद्युतीकरण निगम ने, जुलाई, 1969 में अपनी स्थापना से पश्चिम बंगाल को अभी तक 26 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत हैं जिसमें 1821.689 लाख रुपये की ऋणा सहायता शामिल है और जिनके अंतर्गत 4,873 ग्रामों का विद्युतीकरण, 19411 कृषि पंपों का ऊर्जन किया जाना है और 15869 लघु तथा कृषि उद्योगों को बिजली की सप्लाई की जानी है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड से प्राप्त और स्कीमों को निगम द्वारा निर्धारित मांग दण्ड के आधार पर जांच की जाएगी और यदि इसे तकनीकी रूप से संभव और वित्तीय आधार पर व्यवहार्य समझा गया तो इन्हें, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य विद्युत्

बोर्डों की ऐसी स्कीमों की स्वीकृति के लिए धन की उपलभ्यता पर निर्भर करते हुए, वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत कर लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में ग्रामों तथा नल-कूपों का विद्युतीकरण

1069. **डा० रानेन सेन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित किये गये 10,000 ग्रामों तथा 35,000 कम गहरे नल-कूपों के विद्युतीकरण के लक्ष्य में से कितने ग्रामों तथा कितने नल-कूपों का ग्राम विद्युतीकरण निगम की सहायता से विद्युतीकरण करने के लिए अनुमोदन दिया गया है ; और

(ख) यह कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अब तक 26 स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन स्कीमों में 4,873 ग्रामों का विद्युतीकरण, 19,411 कम गहरे नलकूपों का ऊर्जन और 15,869 लघु और कृषि उद्योगों को विद्युत् सप्लाई करना परिकल्पित है। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार इन स्कीमों के 2 से 5 वर्षों की अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

सरकारी क्षेत्र में माल डिब्बा निर्माण कारखाना

1071. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक नया माल डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) इसकी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य क्या है ; और

(घ) उस पर कितनी धन राशि खर्च होगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

न्यायाधीशों के वेतनमानों का पुनरीक्षण तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार

1072. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-मानों में वृद्धि करने तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य–मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). यह आम धारणा है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें और निबन्धन इतने आकर्षक नहीं है कि जिससे बार के योग्य सदस्य न्यायाधीश का पद स्वीकार करें। इसलिए, मामला सरकार के विचाराधीन है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उडीसा में रेलवे लाईनें

1073. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य को रेलवे विभाग की पर्याप्त सेवाय प्राप्त नहीं हैं तथा राज्य के अधिकांश गांव रेल-सेवा से जुड़े हुए नहीं है ;

(ख) क्या रेल मंत्रालय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में नई रेलवे लाइनें बिछाने का विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) हाल में बनायी गई और इस समय निर्माणा-धीन कटक-पारदीप रेल सम्पर्क सहित उड़ीसा की रेलवे लाइनें, वहां होने वाले यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ख) और (ग). पांचवी पंच वर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गावों को बिजली की सप्लाई

1074. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गावों को बिजली की सप्लाई करने के बारे में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या 2,000 से अधिक आबादी वाले 30,762 गावों में से केवल 20,596 गावों को ही अभी तक बिजली दी गई है ; और

(ग) बाकी गावों को बिजली देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). देश में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले कुल 30,762 गांवों में से 21,784 गांव 31–3–72 तक विद्युतीकृत किए जा चुके थे।

(ग) देश में हाथ में लिए गए तीव्र कार्यक्रम के साथ यह प्रत्याशित है कि निकट भविष्य में और गांवों भी विद्युतीकृत किए जाएंगे। एक दशाब्दी-योजना के अनुसार यह परिकल्पित किया गया है कि मार्च, 1981 के अंत तक, 500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव विद्युतीकृत कर दिए जाएंगे।

अपर कृष्णा परियोजना का पूरा होना

1075. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अपर कृष्णा परियोजना को निश्चित तिथि तक पूरा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या प्रकार प्रयास किये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सिंचाई एक राज्य विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण राज्य-योजनाओं की समग्र रूपरेखा के अंतर्गत संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों को केंद्रीय सहायता, संपूर्ण राज्य योजना के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और उसका संबंध किसी विकास-शीर्ष या परियोजना विशेष से नहीं होता।

मैसूर सरकार के हाथ में कई वृहद् परियोजनाएं हैं और वह अन्य परियोजनाएं कि जो अधिक अग्रिम ऋणों में हैं तथा विकास के अन्य क्षेत्रों को आवश्यकताओं के संदर्भ में अपर कृष्णा परियोजना-चरण एक के लिए धन की व्यवस्ता कर रही है। वर्तमान सूचना के अनुसार, परियोजना छठी योजना में पूर्ण होनी संभावित है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि उन्हें कुछ विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाए तथा इस मामले पर योजना आयोग में विचार किया जा रहा है।

मैसूर में कालिंदी विद्युत् परियोजना

1076. **श्री सी० के जाफर शरीफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष में कालिन्दी विद्युत् परियोजना के लिए 13.5 करोड़ रुपये देने पर सहमत होने से मैसूर राज्य में स्थित इस परियोजना को पूरा करने में नया उत्साह मिला है ;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और क्या केन्द्रीय सरकार इसे पूरा करने के लिए राज्य को पूरी सहायता देने के लिए सहमत ही गई है ; और

(ग) इस परियोजना के विभिन्न चरणों सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) काली नदी परियोजना, चरण-एक की अनुमानित लागत 32.10 करोड़ रुपए है। काली नदी परियोजना राज्य क्षेत्र की परियोजना है। जहां तक इस परियोजना के प्रथम चरण को 1972–73 और 1973–74 में आवश्यकता का सम्बंध है, बहरहाल, केन्द्र आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने को सहमत हो गया है।

(ग) काली नदी परियोजना का कार्यन्वयन दो चरणों में होना है। विकास के प्रथम चरण में नागझारी विद्युत् केन्द्र पर नदी के प्रवाह का उपयोग करके 270 मैगावाट को प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ 100 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत् जनन, शरावती जनन यूनिटों के साथ समेकित प्रचालन द्वारा करना परिकल्पित है। विस्तृत रूप में स्कीम के अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्य होने हैं :—

1. बोम्मन हल्ली में एक पिक-अप बांध ;
2. एक जल संवाहक प्रणाली के अंतर्गत 21.5 फीट व्यास की शीर्ष रेस टन्नल ;
3. एक 75 फीट व्यास का सर्ज टैंक ;
4. 1140 फीट के एक शीर्ष पर दो जनन सैटों के लिए 11.5 फीट व्यास के दो पेन-स्टाक ;
5. नागझारी में 135–135 मैगावाट की दो जनन यूनिटों का एक तल विद्-युत् घर।

काली नदी परियोजना के द्वितीय चरण के विकास के अंतर्गत नागझारी विद्युत् केन्द्र में 135–135 मैगावाट के चार अतिरिक्त सैटों और सूपा में बांध विद्युत् घर में 100 मैगावाट के सैट का प्रतिष्ठापन न करना है। इसके अंतर्गत निम्नांकित कार्य आते हैं:––

(1) सूपा में 316 फीट ऊंचा चिनाई बांध––सूपा नगर के एक मील नीचे एक आर० एल० के साथ 1845 आर० एल० पर 148.6 टी० एम० घन फुट की कुल संचयन क्षमता के साथ।

(2) टट्टी हल्ला में एक बांध और बोम्मनहल्ली झील की व्यपवर्तन सुरंग।

(3) अपर कनेरी पर एक बांध और सूपा जलाशय की व्यपवर्तन सुरंग।

(4) 300 फीट के शीर्ष के अंतर्गत 50–50 मैगावाट की दी जनन यूनिटों के प्रतिष्ठापन के साथ एक बिजली घर।

(5) 1140 फीट के एक मध्य शीर्ष के अंतर्गत, आवश्यक सहायक उपस्कर के साथ 135–135 मैगावाट की चार अतिरिक्त जनन यूनिटें।

परियोजना के प्रथम चरण की लागत 37.94 करोड़ रुपए अनुमानित की गई जिसमें 32.10 करोड़ रुपये विद्युत् जनन तथा 5.84 करोड़ रुपये पारेषण कार्यों के लिए हैं।

परियोजना के द्वितीय चरण की लागत 112.5 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है जिसमें 90.12 करोड़ रुपए द्वियुत् जनन तथा 22.38 करोड़ रुपए पारेषण कार्यों के लिए हैं।

रेलवे खान-पान व्यवस्था के स्तर में गिरावट

1077. **श्री समर गुहः** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे खान-पान व्यवस्था के स्तर में गिरावट आई है और दरें बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डाक गाड़ियों और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर खान-पान व्यवस्था के स्तर में सुधार करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं या करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख). सेवा और भोजन की घटिया किस्म के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। लेकिन, चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में प्राप्त शिकायतों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त शिकायतों की संख्या से कम रही है।

10–4–68 से चाय और काफी की दरों में और 20–12–70 से भोजन के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) रेलों पर खान-पान व्यवस्था के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) अच्छा भोजन और अच्छी सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खान-पान संबंधी यूनिटों के निरीक्षणों एवं पर्यवेक्षण को तीव्र करने के लिए अधिकारियों और निरीक्षकों से कहा गया है।

(ii) विशेष शिकायतों के मिलने पर जांच-पड़ताल की जाती है और दोषी ठेकेदारों या खान-पान व्यवस्था के विभागीय कर्मचारियों को दण्ड दिया जाता है।

(iii) विभागीय खान-पान यूनिटों के लिए अच्छे किस्म के कच्चे माल की खरीद और सप्लई सुनिश्चत की जाती है और इस्तेमाल किये जाने वाले विभिन्न संघटकों का अनुपात निर्धारित करके विस्तृत अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(iv) विभागीय खान-पान सम्बन्धी स्थापनाओं में नियुक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध किया गया है।

(v) नयी दिल्ली और बम्बई के बीच फ्रंटियर मेल गाड़ियों के लिए, स्थिर यूनिटों पर बना भोजन लेकर गर्म बक्सों में रख दिया जाता है और पेंट्री कारों से परोसा जाता है। प्रस्ताव यह है कि अन्य महत्वपूर्ण गाड़ियों में भी इसी प्रकार की पद्धति धीरे धीरे चालू की जाये।

चौथी योजना में विद्युत् उत्पादन के लक्ष्य में कमी

1078. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना में किसी भी एक वर्ष में विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चौथी योजना के प्रत्येक वर्ष में विद्युत् जनन में कितनी कमी रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बजनाथ कुरील) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिष्ठापित विद्युत्-जनन क्षमता की वृद्धि में कमी हुई है।

(ख) इसके कारण ये हैं :—

(i) देशी और विदेशी सम्भरकों से उपस्कर की सप्लाई में देरी।

(ii) इस्पात, सीमेंट और अन्य सामग्री की कमी के कारण सिविल कार्यों की धीमी प्रगति, और

(iii) वहन के दौरान क्षतिगस्त उपस्कर के आयातित प्रतिष्ठापन पुर्जों की मरम्मत और प्राप्ति में देरी तथा इसके परिणामस्वरूप संयंत्रों के प्रतिष्ठापन एवं प्रचालन कार्य का रुक जाना।

(ग) 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के दौरान विद्युत् के उत्पादन में कमी क्रमश: 0.8 मिलियन किलोवाट, 0.3 मिलियन किलोवाट और 0.6 मिलियन किलोवाट थी।

भारतीय तेल निगम के मार्केटिंग डिविजन में भ्रष्टाचार के कथित मामले

1079. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल कर्मचारी संघ की पूर्वी शाखा ने वर्ष 1972 में भारतीय तेल निगम के मार्केटिंग डिवीजन में बड़े बड़े ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार तथा कदाचारों के ऐसे कुछ विशिष्ट मामले पेश किये थे जिनके कारण देश को तथा भारतीय तेल निगम को भारी हानि हो रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच सहित अन्य सभी प्रकार की जांचों को शक्तिशाली दबाब डालकर अस्त व्यस्त किया गया है ; और

(ग) क्या इस संबंध में एक जांच आयोग नियुक्त करने तथा उतरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). इंडियन आयल इम्पलाइज यूनियन, ईस्टर्न ब्रांच कलकत्ता ने सरकार को मई, 1972 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें इंडियन आयल कारपोरेशन, मार्केटिंग डिवीजन की ईस्टर्न ब्रांच में काम कर रहे कई ठेकेदारों द्वारा की गई कई अनियमितताओं एवं कदाचारों का उल्लेख किया गया था। उचित प्राधिकारियों द्वारा इन आरोपों की जांच की जा रही है। अब अग्रगति अन्वेषणों के परिणामों की जांच के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

नेपाल के सीसापानी और बराह क्षेत्र में बाढ़ की पुर्व सूचना देने की व्यवस्था

1080. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री नेपाल में सीसापानी और बराहक्षेत्र में बाढ़ की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था के बारे में 22 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3168 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोशी, कमला, अधबाड़ा और गंडक नदियों में अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए, क्या बराहक्षेत्र और सीसापानी तथा अन्य स्थानों पर बाढ़ की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ नेपाल सरकार से परस्पर हित में कोई बातचीत की गई है या की जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). इस समय, बाराहा क्षेत्र, सिसापानी और नेपाल के अन्य क्षेत्रों में बाढ़ पूर्व-सूचना केंद्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पटना में एक केंद्रिय बाढ़ पूर्व सूचना यूनिट, जिसके नियंत्रण कक्ष मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर में हैं, गंडक बूढ़ो गंडक, अधवारा, बागमती व कमला नदियों और बक्सर तथा फरक्का के मध्य मुरव्य गंगा संबंधी बाढ़ पूर्व-सूचना जारी करने के लिए पहले स्थापित कर दी गई है। कोसी की बाढ़ों की पूर्व-सूचना जारी करने के लिए बीरपुर में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। बाढ़ पूर्व-सूचना यूनिट द्वारा जारी की गई पूर्व-सूचनाएं बिलकुल संतोषजनक पाई गई। पूर्व-सूचनाओं में सुधार लाने के लिए, बिहार और नेपाल के क्षेत्र में बेतार केंद्रों की स्थापना के सहित उपायों का आयोजन करने के लिए अधययन किये जा रहे हैं।

नार्थ-ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देना

1081. **श्री मोगेन्द्र झा** :

श्री सरजू पाण्डे :

क्या रेल मंत्री नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देने के बारे में 22 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3172 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राप्त हुई कानूनी सलाह के अनुसार नार्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता देने के मामले पर किये गये विचार के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) क्या पटना में लिये गये निणर्य के अनुसार दोनों संघों की मान्यता समाप्त हो गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इस मामले पर विचार हो रहा है।

(ख) स्थिति वही है जो लोक सभा में 22-8-1972 को अतारांकित प्रश्न 3172 के उत्तर में बतायी गयी थी।

झंझरपूर से लोकाहा तक लाईन का विस्तार तथा समस्तीपूर से, बरास्ता दरभंगा रकसोल तक छोटी लाइन का बडी लाइन में परिवर्तित करना

1082. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री झंझरपुर से लोकाहा, सकारी से रोसेरा तक नई लाइन बिछाने तथा समस्ती पुरसे बरास्ता-दरमंगा रकसोल तक बडी लाइन का विसतार करने के बारे में 1 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्य 281 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झंझरपुर से लोकाहा तक मीटर लाइन का विस्तार करने तथा समस्तीपुर से, बरास्ता-दरभंगा, रक्सोल तक मीटर लाइन को बेड़ी लाइन में परिवर्तित करने संबंधी प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या निकर्ष निकला तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सकारी-हसनपुर के लिए टेरिफ सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है, और यदि नहीं, तो इस मामले संबंन्धी बर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). आशा है कि इन रिपोर्टों की जांच का काम शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

(ग) सर्वेक्षण की मंजूरी 10-8-1972 को दी गयी थी और काम चल रहा है। यह काम आगामी कुछ ही महीनों में पूरा हो जायेगा।

ठीक समय पर आने-जाने वाली रेलगाड़ियों की प्रतिशतता

1083. **श्री प्रबोध चन्द** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी रेल गाड़ियों की प्रतिशतता कितनी है जो गत तीन वर्षों के दौरान अपने निर्धारित समय पर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुची; और

(ख) और अधिक रेल गाड़ियों की सेवाओं को समय की पाबेंद करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) सभी भारतीय रेलों पर जितनी गाड़ियां चलीं उनकी तुलना में गंतव्य स्थलों पर ठीक समय पर पहुंचने वाली सवारी गाड़ियों की प्रतिशतता लगभग इस प्रकार थी :—

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
1969—70	82—0	84.9
1970—71	79.6	86.2
1971—72	80.3	89.1

(ख) गाड़ियों के समय-पालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय रेलों के सभी स्तरों पर और महत्वपूर्ण गाड़ियों के सम्बन्ध में रैलवे बोर्ड के स्तर पर कडी निगाह रखी जाती हैं। समय पालन में सुधार लाने के उद्देश्य के परिहार्य विलम्ब की तत्काल जाँच की जाती है और उपयुक्त उपचारी या दंडातमक कार्रवाई की जाती है। समय पालन मैं सुधार लाने के उद्देश्य से कुछ गाड़ियों की खतरे की जैजीर सम्बन्धी उपकरण हटा लिये गये हैं।

बोनस की अदायगी के लिये रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

1084. **श्री० एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री वी० के० दास चौधरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारीयों ने अगले महीने तथा बोनस की अदायगी संबंधी मांग स्वीकार न किये जाने पर अगले वर्ष के प्रारम्थ मैं हड़ताल करने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) . रेल कमंचारियों इस प्रश्न के भाग (ख) मे मेउल्लिखत जैसा कोई विनिश्चय नहीं किया है लेकिन **नैशनल फैडरेशन** आफ इंडियन रेलवेमैन की कार्य समिति द्वारा अपनी 21-10-72 की बैठक में पारित एक संकल्प के अनूसार फेडरेशन की सामान्य परिषद की बैठक 19 से 21 नवम्बर, 1972 तक होगी ताकि "स्थिति का आकलन किया जा सके और आगे की जाने वाली कार्रवाई निर्धारित की जा सके, जिसमे भारतीय रेलों में आम हड़ताल कराने के लिए मतदान का कार्य भी शामिल है।"

बर्मा शैल को पुनर्गठित करने संबंधी मार्गदर्शी निदेश

1085. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** :

श्री वी० के० दासचौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल कम्पनी ने स्वयं को सरकार द्वारा स्वीकार्य रूप में पुर्नगठित करने के लिए उनके मंत्रालय से मार्गदर्शी निदेश देने को कहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां, बर्मा शैल ने अपनी शोधनशाला और विपणन कम्पनियों में सरकार या जनता द्वारा पर्याप्त साम्य साझेदारी के प्रश्न पर बातचीत के लिए प्रस्ताव पेश किया है। उनकी पेशकश, शोधनशाला क्षमता और विपणन संक्रियाओं के विस्तार, कच्चे तेल के मूल्यों के निर्धारण, उनके अशोधित तेल के वर्तमान अशोधित आयात आदि के लगभग 85 प्रतिशत के लिए न्यूनतम वाणिज्य पेशकश को अनुकूल बनाने के लिए कच्चे तेल की सप्लाई के अधिकार के स्थान पर विकल्प के प्रतिस्थापन पर निर्भर है। वे अपने बढ़े हुए उत्पादन के एक भाग को भारतीय तेल निगम को तयशुदा शर्तों पर देने में सहमत हो गये हैं। उन्होंने उत्पाद-मूल्यों में वृद्धि, जो कि कच्चे तेल के मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, और कुछ समय के लिए लाभ के कारण विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की किसी प्रकार की सीमा की स्वीकृति की मांग की है।

(ख) इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा प्रस्ताव की विस्तृत जांच की जा रही है और वह विचाराधीन है।

वर्ष 1972–73 में रेलवे माल भाड़ा यातायात में कमी

1086. **श्री एस० एस० शिवस्वामी**

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 में रेलवे माल भाड़ा यातायात में कोई कमी पायी गयी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण है ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं । चालू वित्तीय वर्ष 1972–73 के पहले छः महीनों में 1971–72 की इसी अवधि की तुलना में राजस्व उपार्जक मीटरिक टन भार में बीस लाख मीटरिक टन से अधिक की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता।

Memorandum for providing Civic Amenities in Railway Colony, Delhi Kishanganj

1087. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a memorandum has been received in regard to the civic amenities in the Railway Colony, Kishanganj, Delhi; and

(b) if so, Government's reaction in this regard?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b) . No memorandum has been received in regard to civic amenities in the Railway colony, Kishanganj, Delhi. However, representations have been received from time to time regarding repairs to quarters and provision of amenities in this colony. The various points raised in these representations as also the action taken are given in the statement attached. (Placed in the Library. See No. L.T. 3742/72)

मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) के वरिष्ठता सम्बन्धी नियम

1088. **श्री फुल चन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (रेलवे) द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सम्बन्धी नियम क्या है ;

(ख) क्या 'चयन' तथा 'गैरचयन' पदों को भरते समय इन्डियन रेलवे एस्टेब्लिशमैंट मेनुयल के पैरा 321, अध्याय III के उपबंधों को ध्यान में रखा जाता है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पदोन्नति के लिये वरिष्ठता सूचियां समूचे प्रोजेक्ट अथवा विभिन्न शाखाओं के आधार पर बनाई जाती हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई). (क) से (ग) . कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में महानगर परिवहन परियोजना संगठन स्थापित किये जा रहे हैं। विस्तृत वरिष्ठता नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। आशय यह है कि जहां तक सम्भव है, भारतीय रेल स्थापना नियमावली के अध्याय III में दिये गये नियमों का अनुसरण किया जायेगा।

दोहद, घार और झाबुआ से होकर इंदौर और बड़ौदा के बीच रेलवे लाइन

1089 **श्री फुल चन्द वर्मा** :

श्री गंगा चरण दीक्षित :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या झाबुआ के लोगों ने दोहद, घार और झाबुआ से होकर इंदौर और बड़ौदा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का निर्माण करने का सरकार से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) झबुआ के रास्ते इन्दौर दोहद के बीच बड़ी लाइना/मीटर लाइन के लिए 1953-55 में एक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्टों से यह पता चला कि इस लाइन पर 7.94 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और यह अत्यन्त अलाभप्रद होगी। इस लाइन पर आय की अपेक्षा व्यय अधिक होगा। अतः इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया। इसके उपरान्त जिस क्षेत्र से प्रस्तावित लाइन गुजरेगी उस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास हुआ प्रतित नहीं होता। इस बात को तथा नयी लाइनों के निर्माण के लिए उपलब्ध कम साधनों को देखते हुए, इस समय इस लाइन के निर्माण को आरम्भ करना संभव नहीं है।

बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं द्वारा क्षेत्रों की सिंचाई

1090. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा तथा उत्तर और मध्य भारत की नदियों के पानी का उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत की कुल आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण उपयोग किया जायेगा ; और

(ख) क्या दक्षिण की नदियों के पानी का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है और यदि नहीं, तो उत्तर मध्य और पश्चिम की नदियों और दक्षिण की नदियों का कितना पानी समुद्र में बेकार बह जाता है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सिंचाई आयोग ने जिसने देश में सिंचाई का सम्भावनाओं की जांच की है, विभिन्न

नदी प्रणालियों में बहाओं का मूल्यांकन किया है। सम्भावित समुपयोजन और आधिक्य जल इस प्रकार है :—

नदी प्रणाली	औसतन वर्षिक बहाव	सपुपयोज्य बहाव	आधिक्य
	(मिलियन एकड़ फूटों में)		
गंगा	400	150	250
ब्रहमपुत्र	310	10	300
महानदी तथा गंगा और महानदी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियां	160	100	60
तापि और नर्मदा के अलावा पश्चिम की और बहने वाली नदियां	200	40	160
नर्मदा, तापि, गोदावरी कृष्णा, कावेरी तथा अन्य नदियां	200	200	..
सिन्धु	40	40	..

राज्यों में सिंचाई के लिए पानी की कमी

1091. श्री **डी० डी० ढ़ेसाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कच्छ और मध्य प्रदेश में सिंचाई के पानी की अत्यंत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरी और मध्य भारतीय नदियों से भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में पूरी सिंचाई करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कूरील) : (क) सिंचाई आयोग तथा कृषि मंत्रालय ने जिन्होंने देश में सूखा-प्रवण क्षेत्रों के प्रश्न की जांच की है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मु-काश्मीर में ऐसे क्षेत्रों का अधिज्ञान किया है।

(ख) अनेक सिंचाई परियोजनाएं पहले से ही राज्य सरकारों के हाथ में हैं। अन्य परियोजनाओं का आयोजन किया जा रहा है तथा संसाधनों के उपलब्ध होने पर राज्य सरकारें उन्हें हाथ में ले लेंगी। आधिक्य वाले क्षेत्रों से स्थानांतरित फालतु जल, अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए प्रस्तावित है।

चौथी पचंवर्षीय योजना में विद्युत् परियोजनाएँ

1092. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थापित विद्युत् उत्पादन क्षमता कार्यक्रमों की क्रियान्वित करने में चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में ठीक ठीक कितनी कमियां रही ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के विद्युत् परियोजनाओं का विवरण क्या है, उनकी क्षमता क्या क्या है, प्रत्येक को आरम्भ करने का निश्चित समय क्या है तथा बी० एच० ई० एल० और एच० ई० एल० द्वारा टर्बो जनरेटर सैटों की सप्लाई न किये जाने के कारण कितना-कितना विलम्ब होगा ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है तथा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कूरील): (क) अतिरिक्त प्रतिष्ठापित जनन क्षमता में यथातथ्य कमी 1969–70. 1970–71 और 1971–72 से क्रमश: 0.8 मिलियन किलोवाट, 0.3 मिलियन किलोवाट और 0.6 मिलियन किलोवाट थी।

(ख) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न उपाबंध में दिया गया है।
[मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० —3743/72]

(ग) कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(1) परियोजनाओं को देशी निर्माताओं द्वारा उपस्कर की सुपुर्दगी का निरंतर पुनरावलोकन किया जा रहा है और उसमें शीघ्रता लाई जा रही है।

(2) निर्माणाधीन परियोजनाओं के शीघ्र प्रचालन के लिए कार्यों में तेजी लाई जा रही है।

Electrification of Villages in Madhya Pradesh

1093. **Shri Dhan Shah Pradhan**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) The number of villages in the tribal and backward areas of Madhya Pradesh which are proposed to be electrified by Government during the current year, and

(b) the provision made for the electrification of these areas in the next Five Year Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel): (a) As intimated by Madhya Pradesh Electricity Board, it is proposed to electrify 300—400 villages and energise 9100 pumpsets/tubewells in 15 tribal and backward districts of that State during 1972—73.

(b) Fifth Five Year Plan has not been finalised as yet and therefore, programmes/allocations for Madhya Pradesh are not available.

कोलाबा और रत्नगिरि जिलों को जोड़ने के लिए पश्चिम तट रेलवे

1094. **श्री शंकर राव सावन्त:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वेक्षण दल ने कोलाबा और रत्नगिरि जिलों में पश्चिम तट रेलवे के अन्तर्देशीय मार्ग और तटवर्ती मार्ग के बारे में अपने प्राक्कलन और राय दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन दो मार्गों के लिए क्या प्राक्कलन हैं और उपरोक्त दल ने किस मार्ग की सिफारिश की है;

(ग) इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में रेलवे बोर्ड और योजना आयोग को कितना समय लगेगा; और

(घ) क्या केवल पश्चिमी तट ही ऐसा क्षेत्र है जो रेल द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख). आप्टा (बंबई के निकट) से मंगलूर तक नयी रेल लाइन के लिए इंजीनियरिंग।

(ग) टोह एवम् यातायात सर्वेक्षण हाल ही में पूरे हुए हैं और रिपोर्टों की रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। अनुमान है कि 909 किलोमीटर लंबी लाइन पर द्वारा 233 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। रेलवे बोर्ड द्वारा सभी दृष्टियों से सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच × × × × × कर लिए जाने के बाद ही इस लाइन के निर्माण के संबंध में विनिश्चय किया जाएगा।

(घ) जी नहीं। कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां रेल संचार व्यवस्था समुचित दूरी के भीतर उपलब्ध नहीं है।

बिजली घरों का नियंत्रण

1095. **श्री मुहम्मद शरीफ:**

श्री पी० वेंकटासुब्बय्या:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिजली घरों का किसी केन्द्रीय निकाय के माध्यम से नियंत्रण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). कम लागत पर विद्युत् सप्लाई करने की आवश्यकता तथा विद्युत् की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, विद्युत् सफाई उपयोग की पुनसर्रचना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय विद्युत् उत्पादन संस्था पर भी इसी पुनसर्रचना के अंग के रूप में विचार किया जा रहा है।

पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत् उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

1096. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी को दूर करने के लिए तथा पश्चिमी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायता देने के लिए दो केन्द्रीय विद्युत् उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रलाय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने हेतु उपयुक्त प्रस्तावों को तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोलफील्ड एक्सप्रेस 309 अप तथा 310 डाउन का पानागढ़ पर रुकना

1097. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को 309 अप तथा 310 डाउन कोलफील्ड एक्सप्रैस को पानागढ़ पर भी रोकने के बारे में कोई प्रतिनिधि मंडल मिला है अथवा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) 309 अप/310 डाउन कोलफील्ड एक्सप्रैस गाड़ियों को पानागढ़ स्टेशन पर ठहराने का कोई औचित्य नहीं समझा गया है क्यों कि पानागढ़ स्टेशन पर ठहरने वाली सवारी गाड़ियों की वर्तमान संख्या पानागढ़ की यातायात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है और इनमें 21 अप/22 डाउन नार्थ बिहार एक्सप्रेस भी शामिल है जो 309 अप/310 डाउन कोलफील्ड एक्सप्रैस गड़ियों के समय के आस-पास ही चलती है।

पश्चिम बंगाल में मार्टिन लाईट रेलवे का पुन चालू किया जाना

1098. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्टिन लाईट रेलवे, हावड़ा के कार्यकरण को विनियमित करने संबंधी अपने निर्णय की उनके मंत्रालय ने अभी हाल में घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य वस्तुत: कब से प्रारंभ होगा ; और

(ग) क्या रेलवे को चलाने के लिए पहले की ही तरह कर्मचारी रखे जायगे ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा सरकार की रेंगाली तथा भीमकुड परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को दिए गए प्रतिवेदन

1099. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने हाल ही में रेंगाली तथा भीमकुंड परियोजनाओं सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना प्रतिवेदनों पर इस समय केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में विस्तृत जांच की जा रही है।

कटक रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी रेलवे पुल

1100. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी रेलवे पुल का निर्माण करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस बारे में निर्णय लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : कटक यार्ड में उत्तरी और दक्षिणी सिरे के दोनों समपारों के बदले कटक स्टेशन के उत्तरी सिरे पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव उड़ीसा सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। यह निर्माण कार्य रेलों के 1972–73 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

कटक और पारादीप के बीच रेल सम्पर्क

1101. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल** मंत्री कटक-पारादीप रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में 1 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कटक और पारादीप के बीच रेल लाइन का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : जून, 1973 तक ।

पश्चिम बंगाल में विद्युत् सप्लाई के प्राइवेट लाइसेंस-धारियों के लाइसेंस समाप्त करना

1103. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने 13 सितम्बर, 1972 को कालिमपोंग में यह कहा था कि "सरकार राज्य में विद्युत् सप्लाई के सभी प्राइवेट लाइसेंस समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है और इस आशय का एक अध्यादेश शीघ्र ही प्रख्यापित किया जाएगा :

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का निर्णय केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी क्षेत्र की उन विद्युत् जनन तथा सप्लाई कम्पनियों के नाम क्या है जिनको अध्यादेश के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) एक प्रेस विज्ञाप्ति के अनुसार पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कहा था कि निजी लाइसेंसधारी संस्थाओं को नियंत्रण में लेने के लिए एक अध्यादेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा ।

(ख) से (घ) . प्रस्तावित विधान पश्चिम बंगाल में सभी निजी लाइसंस धारी संस्थाओं घर लागू होगा । इस सम्बंध में पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं तथा उनकी जांच की जा रही है ।

उत्तर भारत को कोयले की ढुलाई करने के लिए रेलवे वैगन

1104. **श्री ज्योतिर्मय बासु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत को कोयले की ढुलाई करने के लिए पश्चिम बंगाल के कोयला उद्योग को रेलवे वैगनों की सप्लाई करने के बारे में वहां के कोयला उद्योग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या उक्त ज्ञापन में कोयला उद्योग ने यह शिकायत की है कि मुगलसराय से आगे के स्थानों के लिए पर्याप्त संख्या में रेल विभाग द्वारा वैगन न सप्लाई करने के कारण ही पश्चिम बंगाल से उत्तर भारत को कोयले की सप्लाई होने में प्रमुख कठिनाई उत्पन्न हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो सही स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) :(क) और (ख) . ऐसा कोई ज्ञापन रेलों के पास नहीं आया है। लेकिन कुछ एसोसियेशनों और राज्य सरकार ने रानीगंज कोयला क्षेत्र से मुगलसराय से ऊपर की ओर भेजने के लिए माल डिब्बों के अपर्याप्त आवंटन के बारे में अभ्यावेदन भेजा था।

(ग) चालू वर्ष में आसनसोल क्षेत्र की कोयला खानों से लादे गये कोयले के कुल डिब्बों और मुगलसराय से ऊपर की ओर के लिए लादे गये माल डब्बों को कुल संख्या पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में इस प्रकार थी :—

(अप्रैल से अक्तूबर तक का लदान)

	1972–73	1971–72
(1) आसनसोल क्षेत्र से कोयले का कुल लदान	1951	1795
(2) मुगलसराय से ऊपर की और के लिए लदान	657	670

(आंकड़े दैनिक औसत चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से)

इन आंकडों से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में चालु वर्ष में आसनसोल से हुए कुल लदान में काफी सुधार हुआ है। इन कोयला क्षेत्रों के निकटतर स्थित अन्य उप-भोक्ताओं की मांग को भी ध्यान में रखते हुए, कोयले के लदान का दिशावार वितरण करना पड़ता है। फिर भी इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि लदान में और भी सुधार किया जाए और ऐसा करने से मुगलसराय से ऊपर की दिशा में भी संचलन बढ़ जाएगा।

राजस्थान नहर का निर्माण

1105. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के निर्माण कार्य के द्वितीय चरण के लिए धन की व्यवस्था करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक के विशेषज्ञों से बात-चीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है : और

(ग) प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ग). भारत सरकार ने विश्व बैंक को, वित्तीय सहायता के लिए, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें 110 प्रतिशत सिंचाई सघनता के साथ, 0.61 मिलियन हैक्टेयर (1.5 मिलियन एकड़) कृष्य कमांड क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए वितरण जाल सहित, राजस्थान मुख्य नहर का 200 किलो मीटर से 470 किलोमीटर तक, 85.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, विस्तार करना परिकल्पित है। विश्व बैंक सर्वेक्षण मिशन ने जो इस समय भारत में है, परियोजना क्षेत्र का दौरा किया है तथा सम्बंधित केन्द्रीय और राज्य अधिकारों के साथ विचार-विमर्श किया है। इस प्रस्ताव पर विश्व बैंक की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

वर्ष 1972 में यात्रियों की संख्या में वृद्धि

1106. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री वी० मायावन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल और जुलाई, 1972 के बीच गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रेलवे में यात्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में रेलवे को रेल गाड़ियों द्वारा माल ढोने से होने वाली आय में कितनी वृद्धि हुई है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) लगभग 8 प्रतिशत।

(ख) 19.89 करोड़ रुपये या, कहिए 9 प्रतिशत।

बिजली घरों के रख-रखाव के लिए "कार्यदल" की नियुक्ति करना

1107. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बिजलीधरों के रख-रखाव सम्बंधी कार्य में सुधार के लिए "कार्य-दल" की नियुक्ति करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की विशिष्ट बातें क्या हैं और "कार्य-दल" की रचना का ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सरकार ने दो विशेषज्ञ दलों का एक जल विद्युत् केन्द्रों के लिए और दूसरा ताप विद्युत् केन्द्रों के लिए, वर्तमान विद्युत् केन्द्रों का दौरा करने, उनके कार्यप्रचालन का निरीक्षण और

उनके प्रचालन, विशेषकर रख-रखाव और प्रचालन के सम्बंध में, सुधार लाने हेतु सिफारिशों करने के लिए, गठन किया है। इन दलों का गठन निम्न प्रकार से है :—

ताप-दल

(1) श्री के० आर० राधाकृष्ण, रिटार्यड अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड, मद्रास।

(2) श्री सी० लक्ष्मीपति, रिटायर्ड मुख्य अभियंता, आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, हैदराबाद।

(3) श्री एल० जे० सेने, रिटार्यड मुख्य अभियंता, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, जबलपुर।

जल-विद्युत् बल

(1) श्री के० एल० विज, रिटार्यड उपाध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग, नई दिल्ली।

(2) श्री जी० एस० ज्ञानी, रिटायर्ड सदस्य, भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड, चण्डीगढ़।

(3) श्री बी० गणपति, रिटायर्ड तकनीकी सदस्य, केरल राज्य बिजली बोर्ड, त्रिवेन्द्रम।

तेल के मामले में रियायत के लिए भारत की ईराक की पेशकश

1108. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक में तेल सम्बन्धी रियायत के लिए भारत की पेशकश की स्वीकृति के मामले में ईराक ने अपना निर्णय भारत सरकार को सूचित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय योजना मंत्री, जिन्होंने उस देश का दौरा किया था, इस प्रश्न पर ईराक सरकार के साथ बातचीत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री० एच० आर० गोखले) :

(क) से (घ) . ईराक के क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में तेल के अन्वेषण तथा विकास करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईराक नेशनल आयल कम्पनी (आई एन ओ सी) को भेजी गई बोली के पश्चात्, विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए आई एन ओ सी द्वारा जो पार्टियाँ चुनी गई थी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उन में एक

थी। बात-चीत का पहला दौर हाल ही में हुआ था और आई एन ओ सी द्वारा कोई निर्णय ले लिये जाने तक शायद यह भविष्य में जारी रहे।

उस बात-चीत को, जो उस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आई एन ओ सी के बीच होनी थी, को दृष्टि में रखते हुए इस मामले को केन्द्रीय योजना मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल के ईराक के दौरे के दौरान सामान्य शर्तों में उठाया गया था।

बरौनी में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

1109. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री बरौनी में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के बारे में 4 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त पैट्रो-रसायन उद्योग समूह का स्थान बदलने के लिये मुजफ्फरपुर के आसपास के राष्ट्रीय राजपथ के निकटवर्ती क्षेत्र का चयन करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) एरोमेटिक्स के उत्पादन की सम्भावनाओं की जांच करने तथा इन सुविधाओं के लिए उचित स्थान के बारे में सुझाव देने के सम्बन्ध में गाव अध्ययन दल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(ख) उपर्युक्त "क" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए स्थान के निर्धारण का प्रश्न अपरिपक्व अवस्था में है।

Re-opening of old line between Nirmali and Saraigarh

1110. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey was conducted to reopen the old Railway line between Nirmali and Saraigarh of North Eastern Railway, if so the report thereof ;

(b) whether Government propose to construct a Railway bridge on Kosi river between Nirmali and Saraigarh; and

(c) whether there is any scheme to reopen this Railway line during fair weather until the bridge on Kosi river is constructed?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (c). According to the report of an Engineering feasibility and a traffic appreciation recently completed, this 42.26 kms. long metre gauge rail link is estimated to cost Rs. 2.79 crores. Final decision will be taken after the examination of the report is completed in the Railway Board.

Survey for New Line from Saraigarh to Radhopur

1111. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey was conducted by the Railway Department two years ago with view to reconstruct the Railway line from Saraigarh to Radhopur; and

(b) if so, the gist of the report submitted by the survey team and the time by which the old Railway line from Saraigarh to Radhopur is likely to be reopened?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) & (b) . A rapid study was carried out between November, 1970 and April, 1971, for restoring the old abandoned lines between Saraigarh and Forbesganj *via* Radhopur. The report revealed that the line would be 56 kms. long and cost Rs. 2.94 crores. The proposal was seen to be heavily unremunerative. However, a traffic Survey for restoration of this line has since been sanctioned in April, 1972, and the Survey is in progress. This will be further considered after the results of the survey are known.

राजस्थान से नमक की ढुलाई के लिए माल डिब्बे .

1112. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री प्रसन्न मेहता :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में रेल से ढुलाई करने के लिए डीडवाना में 6 लाख क्विंटल नमक तथा बाड़मेर जिले के पचपदरा स्थान पर साढ़े चार लाख क्विंटल नमक पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; तथा रेलवे विभाग ने नमक की ढुलाई के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई). (क) और (ख) : नमक की ढुलाई के लिए यद्यपि कुछ मांग-पत्र बाकी हैं लेकिन डीडवाना और पचपदरा पर पड़े हुए नमक की सही मात्रा की जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है। 1 अप्रैल से 10 नवम्बर 1972 की अवधि में मारवाड़ बालिया / डीडवाना से 1471 और पचपदरा से 1664 नमक के माल-डिब्बे लादे गये। उस अवधि में मारवाड़ बालिया/डीडवाना से 1191 और पचपदरा से 943 माल डिब्बों के मांग-पत्र वापिस ले लिए गये थे जिससे यह संकेत मिलता है कि सभी बाकी मांग-पत्र वास्तविक नहीं है।

फिर भी अनिवार्य वस्तुओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश की आवश्यकता के अनुरूप, डीडवाना और पचपदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सभी पदार्थों के लिए समान रूप से माल डिब्बों की सप्लाई को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

रेल-यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए की गई कार्यवाही

1113. **श्री वनमाली पटनायक:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलयात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) उसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) . एक विवरण संलग्न है जिसमें यह बताया गया है कि रेल यात्रा को अधिक निरापद बनाने के लिए गत तीन वर्षों में क्या कारवाई की गई है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० --3744/72]

रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने के लिए की गई कार्यवाही

1114. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या **रेल** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए ; और

(ख) प्रत्येक यात्री को कम से कम बैठने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) . लाइन क्षमता, टर्मिनल सुविधाओं, चलस्टाक अदि के रूप में अपेक्षित साधनों की उपलब्धता के अनुरुप, नयी गाड़ियां चलाने, वर्तमान गाड़ियों के चालन क्षेत्र बढ़ाने और उनमें डिब्बों की संख्या बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जाते हैं। कुछ अधिक भीड़भाड वाली लम्बी दूरी की तेज गाड़ियों के मामले में, भाप इंजनों की जगह डीजल इंजनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके भार में औसतन तीन से चार डिब्बों की वृद्धि हो जाती है। 1969–70 से 1971–72 तक की अवधि में 484 गाड़ियों का सूत्रपात किया गया है या चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया है जिसके फलस्वरूप 33,662 दैनिक गाड़ी किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 1-5-72 और 1-11-72 से लागू समय सारणियों में 109 गाड़ियां चालू की गयीं या उनका चालन क्षेत्र बढ़ाया गया जिसमें 6919 दैनिक गाड़ी किलोमीटर की वृद्धि हुई। 1-4-69 के बाद बड़ी लाइन की 14 जोड़ी गाड़ियां और मीटर लाइन की 9 जोड़ी गाड़ियां डीजल इंजन से चलायी जाने लगी हैं।

रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने और उसे सुचारु रूप से चलाने के लिए गठित समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों का शामिल किया जाना

1115. **श्री रामावतार शास्त्री:** : क्या **रेल** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने और उसे सुचारु रूप से चलाने संबंधी मालों में उनको परामर्श देने के लिए रेलवे बोर्ड के चैयरमैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जिसमें दो मान्यताप्राप्त संघों के तीन प्रतिनिधि शामिल किये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने केवल मान्यता प्राप्त संघों से कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर किया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सरकार ने एक संयुक्त मंच स्थापित किया है जो "कारपोरेट एंटरप्राइज ग्रुप आफ मैनेजमेंट एंड लेबर " (संक्षिप्त नाम "सी ई जी")

कहलायेगा। इसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, अपर सदस्य एंव सचिव, और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन तथा आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के तीन-तीन प्रतिनिधि हैं। इसका उद्देश्य रेलवे उद्यम के संचालन और रूप निर्धारण के बारे में मुक्त रूप से विचारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करना है।

(ख) नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन और आल इंडिया रेलवे मैनस फेडरेशन रेलवे के दो केन्द्रीय श्रम संगठन हैं और क्षेत्रीय रेलों पर उन संगठनों से सम्बद्ध मान्यता-प्राप्त यूनियनें हैं। इन दोनों फेडरेशनों में अधिकतम संख्या में रेल कर्मचारी शामिल हैं और संयुक्त वार्ता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् में इन दोनों फेडरेशनों को संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

तीन वर्षों की सेवा के बाद तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थापी दर्जा दिया जाना

1116. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्षों की लगातार सेवा पूरी कर लेने पर शापों और डिपुओं में कुशल कारिगरों कों सभी प्रयोजनों के लिए स्थायी कर्मचारी माना जाता है;

(ख) क्या अन्य वर्गों के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ऐसे कोई आदेश नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी इसी प्रकार की सुविधायें देने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार किसी कारखाने में नियुक्त कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल कर्मचारियों को भर्ती के मूल पदक्रम में तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर लेने पर 'सभी प्रयोजनों के लिए स्थायी माना जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। "कारखाने के कर्मचारियों" को छोड़कर दूसरे कर्मचारियों को स्थायी किया जाना स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता और कर्मचारियों द्वारा कुछ निर्धारित मानदण्ड पूरे किये जाने पर निर्भर करता है।

धनबाद डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में कथित गोलमाल और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए समिति

1117. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1972 के 'इण्डियन नेशन' में 'न्यू ट्रैंड' शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादकीय टिप्पणी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की, विशेषकर, इस टिप्पणी के बारे में क्या प्रतिक्रिया है कि "पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में जो कुछ चल रहा है वह भ्रष्टाचार नहीं बल्कि रेलवे के धन की लूट खसोट है"; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के कथित कांडों और इस डिवीजन में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए कोई उच्च सत्ता प्राप्त समिति/आयोग बना रही है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा, जिन्होंने भ्रष्टाचार की समस्या का अध्ययन किया है, की गयी सिफारिशों के अनुसरण में, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे और रेलवे बोर्ड में पूर्ण विकसित सतर्कता संगठन का काम कर रहे हैं। केवल धनबाद मण्डल से ही नहीं बल्कि रेलों के किसी भी भाग से सम्बन्धित भ्रष्टाचार और कदाचार के वास्तविक विशिष्ट आरोपों की सतर्कता संगठन द्वारा निरपवाद रूप से जांच करके उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इस समय उच्चाधिकार प्राप्त समिति को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रेलवे कार्यालयों (पूर्व रेलवे) में लेखन सामग्री की कमी

1118. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के रेलवे कार्यालयों में लेखन-सामग्री की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या रेलवे कार्यालयों को दी जाने वाली लेखन-सामग्री बहुत ही घटिया किस्म की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्वी रेलवे में अभिकेखों के समुचित तथा कुशल रख-रखाव के लिए अच्छी तथा पर्याप्त मात्रा में लेखन-सामग्री की सप्लाई करने का है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी तेल कम्पनी का उनकी साम्य पूंजी में सरकार द्वारा भाग लिये जाने का प्रस्ताव

1119. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही किसी विदेशी तेल कंपनी ने सरकार के संमक्ष यह विशिष्ट प्रस्ताव रखा है कि सरकार उसकी साम्य पूंजी में साझेदारी करे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रुपरेखा क्या है?

(ग) इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या विदेसी तेल कंपनियों द्वारा लाभ तथा आरक्षित निधि को स्वदेश योजने पर नियंत्रण रखने के बारे में कोई वैकल्पिक प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) . आवश्यक सूचना लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 253 के उत्तर में 14-11-1972 को दी जा चुकी है।

(घ) सरकार को बाहर भेजे जाने वाली धन की विशिष्ट राशि की उपयुक्त देखने का अधिकार है। जहां तक शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश पूर्णतया या आंशिक रूप में आरक्षित निधि से बाहर भेजा जाना रिजर्व बैंक के सन्तुष्ट दान से प्रतिवन्धित है कि (i) आरक्षित निधि में से धन केवल लाभांश की माला पिछले 5 सालों के औसतन या चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो बनाये रखने के लिये निकाला गया है, (ii) आरक्षित निधि से निकाला गया धन चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से और वर्ष के आरम्भ में कम्पनी के स्वतन्त्र आरक्षिन निधि से अधिक नहीं है और (iii) निकास के उपरान्त शेष स्वतन्त्र आरक्षित निधि कुल चुकता पूंजी के 15 प्रतिशत और उपशेक्त (ii) के आरक्षित निधि से कम न हों। उपशेक्त फारमुला अप्रैल, 1972 में निकाला गया था और यह उसके बाद लाभांश बाहर भेजे जाने पर लागू है।

भाखड़ा-प्रबंध बोर्ड द्वारा पंजाब को बिजली और सिंचाई-जल की सप्लाई

1120. **श्री आरबिन्द नेतामः** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा प्रबंध बोर्ड ने पंजाब राज्य को बिजली और सिंचाई-जल की सप्लाई में कमी कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उस क्षेत्र में औद्योगिक और कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) . भाखड़ा वाह् क्षेत्र में मानसून के फेल हो जाने के कारण जल-संचय साधारण 5.7 मिलियन एकड़ फुट के स्थान पर लगभग केवल 3 मिलियन एकड़ फुट था। इसलिए जल के छोड़ने को सीमित करना पड़ा। इससे विद्युत्-जनन प्रभावित हुआ है और क्षेपता अवधि के दौरान विदयुत् में कटौती अत्यावश्यक है।

बहरहाल, खरीफ फसल पकने की अवधि के दौरान सामयिक वर्षा होने के कारण कृषि-उत्पादन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है। बहरहाल, रबी के अंतर्गत कुछ क्षेत्र प्रभावित होगा।

सप्लाई की प्रतिपूर्ति अन्य संसाधनों से करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इससे पंजाब को मिला कर भागो राज्यों के औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए कुछ राहत मिलने की संभावना है।

शयन-डिब्बों (स्लीपर कोच) की कमी

1121. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाडियों में शयन-डिब्बों की कमी है ; और

(ख) क्या सरकार उनकी संख्या में वृद्धि करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) . सामान्यतः, वर्तमान गाडियों को चलाने के लिए शयन-यानों की कमी नहीं है। फिर भी, अतिरिक्त गाडियां चलाने के लिए, निर्माण यूनिटों को अतिरिक्त शयन-यानों के निर्माण के लिए आर्डर दिये गये हैं।

बाबूगढ़ रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद-गाजियाबाद मालगाड़ी के गार्ड की हत्या

1122. **श्री अरविन्द नेताम** :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद-गाजियाबाद मालगाडी के गार्ड की 14 अक्तूबर, 1972 की रात को बाबूगढ़ छावनी के निकट चलती गाड़ी में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन व्यक्तियों को गिरफतार किया गया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी ए० पाई) : (क) जी हां। यह घटना 14/15–10–1972 की रात को हुई।

(ख) पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफतार किया है और एक दूसरे व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। मुकदमें की जांच पड़ताल की जा रही है।

अरुणाचल में पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली का उत्पादन

1123. **श्री कमला प्रसाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल के कामिंग डिवीजन में एक बड़ी पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस कार्य को कब तक प्रारम्भ करने और पूरा करने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव में अरुणाचल में टेंगा नदी की सहायक नदी बिचम के 100 क्यूसेक प्रवाह की 9.6 किलोमीटर लम्बी सुरंग द्वारा व्यपवर्तन करना और 500 मीटर का एक शीर्ष विकसित करने के लिए इसे टेंगा के 240 क्यूसेक सम्मिलित जल के साथ एक कामेंग में गिराना और इसके द्वारा 50% लोड फैक्टर पर 296 मे० वा० विद्युत् जनन करना परिकल्पित है। परियोजना में प्रारम्भ में 50–50 मै० वा० के चार सैट तथा बाद में 50 मैगावाट का एक अन्य सेट लगाना शामिल है।

(ग) विस्तृत अन्वेषण पहले ही किये जा चुके हैं। परियोजना पर कार्य पांचवी योजना के प्रारंभिक चरण में शुरु होने की आशा है। परियोजना से पांचवी योजना के अंत तक लाभ प्राप्त होना प्रत्याशित है।

तेजपुर से भोमोरागुड़ीघाट (पूर्वोतर सीमंत रेलवे) तक रेल लाइन का बढ़ाया जाना

1124. **श्री कमला प्रसाद**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेजपुर से ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे पर स्थित भोमोरागुड़ी घाट तक पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की लाइन को बढ़ाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) वास्तविक कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है और वह कब तक पूरा हो जायेगा?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख). इस परियोजना के लिये यातायात सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और अक्तूबर, 1972 में रेल प्रशासन द्वारा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सभी प्रकार से विचार हो जाने के बाद ही लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देहातों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था

1125. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह**:

श्री प्रभुदास पटेल:

क्या **सिंचाई और बिद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देहातों में बिजली पहुंचाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए नियतन और कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) . पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इस लिए प्रत्येक राज्य के लिए योजना आवंटनों तथा कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

बिहार के देहातों को बिजली की सप्लाई

1126. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में ऐसे देहातों की संख्या सब से अधिक है जिनमें बिजली नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवी योजना में ऐसी क्या व्यवस्था की गई है जिससे बिहार बिजली की सप्लाई के सम्बंध में पिछड़ा हुआ न रहे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बिहार के 67,665 ग्रामों में 8569 ग्राम (12.7 %) 31-8-72 तक विद्युतीकृत हो चुके थे। बिहार में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के मुकाबले धीमी है किन्तु असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के मुकाबले अधिक अच्छी है।

(ख) अभी तक पांचवीं पंच-वर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए बिहार के लिए कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है।

बीकानेर-जयपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1127. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर से जयपुर तक की मीटरगेज रेल-लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की लागत कितनी होगी और उसके क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय नदियों के लिए स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना

1128. **श्री राम प्रकाश** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय नदियों के लिए एक स्वायत्तशासी बोर्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों द्वारा मांग की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). इस प्रकार की कोई भी प्रार्थना किसी भी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा गठित सिंचाई आयोग ने अपने प्रतिवेदन में एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और नदी बेसिन आयोगों के गठन के लिए सिफारिश की है। इन सिफारिशों और कानूनी पहलुओं सहित एक राष्ट्रीय जल नीति के विकसित तथा कार्यान्वित करने में निहित अन्य पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है।

वैगन निर्माताओं के लिये प्रोत्साहन

1129. **श्री राम प्रकाश** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में **वैगन** निर्माताओं की ओर से वैगन बनाने में कुछ सुस्ती दिखाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वैगन निर्माताओं को क्या प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) हाल में गैर-सरकारी क्षेत्र में माल डिब्बा निर्माण उद्योग में मालडिब्बों का उत्पादन गिर गया था। माल डिब्बा निर्माताओं ने हाल में 1971–72 की तुलना में अपने उत्पादन को तेज कर दिया है।

(ख) माल डिब्बों के उत्पादन के बढ़े हुए स्तर को बनाये रखने के लिए मालडिब्बा निर्माताओं को निम्नलिखित सहायता दी जा रही है :

(i) माल डिब्बों के पर्याप्त आर्डर दिये गये हैं।

(ii) देशी स्रोतों से इस्पात की उपलब्धता में जितनी कमी रहती है, उतना इस्पात रेलों द्वारा आयात किया जा रहा है।

(iii) मालडिब्बों के बढ़े हुए उत्पादन के अनुरूप पहियों के सैट, सेंटर बफर कपलर और रोलर बियरिंग घुरा बक्स जैसी मुक्त सप्लाई वाली मदों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाती है।

फ्रांस की फर्म के सहयोग से कम घनत्व की पोलीथिलीन का निर्माण

1130. **श्री राम प्रकाश** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पैट्रोरसायन निगम ने कम घनत्व की पोलीथिलीन का निर्माण करने हेतु फ्रांस की एक फर्म से समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० ने दो फ्रांसीसी फर्मों के साथ सहयोग करार किये हैं। ये करार सरकार द्वारा अनुमोदन होने के पश्चात् ही लागू होंगे।

(ख) ये करार, प्रक्रिया जानकारी, मूल इंजीनियरिंग तथा विशेषज्ञ सहायता की व्यवस्था से संबंधित हैं।

हिन्दी रेलवे समय सारणी के प्रकाशकों को सुविधाएं

1131. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि रेलवे बोर्ड रेलवे समय सारणी का केवल अंग्रेजी संस्करण ही प्रकाशित करता है ; और

(ख) क्या कारण है कि रेलवे समय सारणी के हिन्दी संस्करण के प्रकाशकों को वही सुविधायें नहीं दी जातीं जो अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशकों को दी जातीं हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इस समय क्षेत्रीय रेलवे की समय सारणियां अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय रेल प्रशासनों द्वारा और अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी अंग्रेजी में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती है। 1956 तक रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी हिन्दी में भी प्रकाशित की जाती थी। इस प्रकाशन की छपाई में कठिनाई के साथ-साथ वित्तीय हानि होने तथा एक निजी संस्था द्वारा जोकि रेलवे बोर्ड द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाने वाली अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी के साथ साथ एक दूसरी समय सारणी पहले से ही प्रकाशित कर रही थी, हिन्दी की अखिल भारतीय समय सारणी की समूची मांग पूरी करने में तत्परता दिखाने के कारण, यह विनिश्चय किया गया कि अक्तूबर, 1956 के अंक से रेलवे बोर्ड द्वारा हिन्दी में अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी की प्रतियां सरकारी उपयोग के लिए तथा संसद् सदस्यों एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को मानार्थ प्रदान करने के लिए सीमित संख्या में छपायी जायें। लोक सभा की प्राक्कलन समति से प्राप्त एक हवाले के सम्बन्ध में इस पर और आगे विचार करने पर यह विनिश्चय किया गया कि अक्तूबर, 1968 के अंक से इसका प्रकाशन बिल्कुल बन्द कर दिया जाये और सरकारी उपयोग के लिए तथा संसद् सदस्यों एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को मानार्थ प्रदान करके के लिए इसकी प्रतियां अखिल भारतीय रेलवे हिन्दी समय सारणी के निजी प्रकाशक से ही खरीद ली जायें।

(ख) रेलवे समय सारणी कार्यालय, वाराणसी को आवश्यक सामग्री जैसे गाड़ियों के समय, क्षेत्रीय रेलों की समय सारणियां, शुद्धि पत्र आदि के रूप में सभी संभव सुविधाएं पहले से ही दी जा रही हैं।

रेलवे समय सारणी के हिन्दी संस्करण के समय पर प्रकाशन में बाधाएं

1132. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे समय सारणी के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन का कार्य छोड़ देने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे की हिन्दी में समय सारणी के प्रकाशन को पुनः आरम्भ करने की सम्भावना है ; और यदि नहीं, तो हिन्दी में समय सारणी को समय पर प्रकाशित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इस समय क्षेत्रीय रेलवे की समय सारणियां अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय रेल प्रशासनों द्वारा और अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी अंग्रेजी में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। 1956 तक रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी हिन्दी में भी प्रकाशित की जाती थी। इस प्रकाशन की छपाई में कठिनाई के साथ-साथ वित्तीय हानि होने तथा एक निजी संस्था द्वारा, जोकि रेलवे बोर्ड द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाने वाली अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी के साथ साथ एक दूसरी समय सारणी पहले से ही प्रकाशित कर रही थी, हिन्दी की अखिल भारतीय समय सारणी की समूची मांग पूरी करने में तत्परता दिखाने के कारण, यह विनिश्चय किया गया कि अक्तूबर, 1956 के अंक से रेलवे बोर्ड द्वारा हिन्दी में अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी की प्रतियां सरकारी उपयोग के लिए तथा संसद सदस्यों एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को मानार्थ प्रदान करने के लिए सीमित संख्या में छपायी जायें। लोक सभा की प्राक्कलन समिति से प्राप्त एक हवाले के सम्बन्ध में इस पर और आगे विचार करने पर यह विनिश्चय किया गया कि अक्तूबर, 1968 के अंक से इसका प्रकाशन बिल्कुल बन्द कर दिया जाये और सरकारी उपयोग के लिए तथा संसद सदस्यों एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को मानार्थ प्रदान करने के लिए इसकी प्रतियां अखिल भारतीय रेलवे हिन्दी समय सारणी के निजी प्रकाशक से ही खरीद ली जायें।

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी का हिन्दी में प्रकाशन फिर से शुरु करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अखिल भारतीय रेलवे हिन्दी समय सारणी का समय पर प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे समय सारणी कार्यालय, वाराणासी को आवश्यक सामग्री जैसे गाड़ियों के समय, क्षेत्रीय रेलों की समय सारणियां, शुद्धि-पत्र आदि के रूप में सभी संभव सुविधाएं पहले से ही दी जा रही हैं।

Confirmation of Daily Wages Employees of S & T Department, Delhi, Moradabad and Ferozepore Division (Northern Railway)

1133. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether employees are working on daily wages on temporary basis in the maintenance and construction side, of the Signal and Telecommunication Department of Delhi, Moradabad and Ferozepore Divisions on the Northern Railway for the last three years;

(b) the number of times the screening was done in the maintenance and construction side, separately to make these employees permanent, during the last two years; and

(c) the number of employees selected on the construction as well as in the maintenance sides as result of such screening?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (c). Casual labourers are working both on the Construction and Maintenance sides of the Signal and Telecommunication Department of Delhi, Moradabad and Ferozepore Divisions. Those working on the Maintenance side have been screened once on all the three Divisions. But the results of the

screening on Delhi and Moradabad Divisions have not been finalised. On Ferozepore Division 122 Casual Labourers on Maintenance side were selected. As Casual Labourers on the Construction side have not been screened, orders have been issued that the result of any screening done this year should not be declared till Casual Labourers on the Construction side have been screened and interpolated with those working on the Maintenance side.

उत्तर रेलवे के 'फार्मासिस्टों' के साथ भेदभाव

1134. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रारम्भिक वेतनमानों मे उच्चतर वेतनमानों में वेतनों के निर्धारण का लाभ 1-7-1959 से दिया गया था:

(ख) क्या 'फार्मासिस्टों' के 17 पदों को जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे के पत्र संख्या 751-आई-एस-11-(3 टी सी) दिनांक 20 मई, 1963 के अनुसार रुपये 205-280 (ए० एस०) के वेतनमान में 1 जुलाई, 1959 से पदोन्नत किया गया था;

(ग) क्या पदोन्नत किए गए 17 पदों को यह लाभ एक जुलाई, 1959 से नहीं दिया गया था अपितु उनकों यह लाभ उस तिथि से दिया गया था जब उन्होंने स्टेशनों पर कार्य-भार सम्भाला था और कार्यभार लेना उनके नियंत्रणाधीन नहीं था क्योंकि उनका पोस्टिंग प्रशासन के हाथ में था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी हां।

(ख) से (घ) फार्मासिस्टों के 7 पद 150-225 रु० (नि० वे०) के ग्रेड में पहले से थे और उन्हें 1-7-1959 से तदनुरूपी 205-280 रु० का प्राधिकृत वेतनमान आवंटित कर दिया गया। 1-7-1959 से 10 पदों का ग्रेड बढ़ा कर 205-280 रुपये प्राधिकृत वेतनमान में कर दिया गया था और ऐसे कर्मचारियों को जो वास्तव में बढ़ाये गये ग्रेडों पर काम कर रहे थे, बढ़े ग्रेड वाले पदों का लाभ 1-7-1959 से दिया गया। बढ़े हुए ग्रेड़ों के लाभ के लिए शेष पात्र कर्मचारियों को ऊंचे ग्रेड का लाभ उन तारीखों से दिया गया जिन तारीखों को उन्होंने वास्तव में बढ़े ग्रेडों का चार्ज लिया था।

रेलवे सैलून सुविधा प्राप्त अधिकारियों को दैनिक भत्ते का भुगतान

1135. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अधिकारियों को रेलवे सैलून की सुविधा दिये जाने के बावजूद भी पूरा दैनिक भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सैलून में परिवार के ठहरने की व्यवस्था और इंधन, क्राकरी, कटलरी, विस्तरों आदि की नि:शुल्क व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के दैनिक भत्ते की दर में कुछ कमी करने का है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, रेलवे बोर्ड के सदस्यों के सिवाय, सभी रेलवे अधिकारियों को पूरा पूरा दैनिक भत्ता दिया जाता है। लेकिन यदि बोर्ड के सदस्य सैलूनों में यात्रा करते हैं तो वे यात्रा के दौरान पड़ने वाले ठहरावों के लिए दैनिक भत्ता पाने के पात्र हैं।

(ख) जी नहीं। यात्रा के दौरान अधिकारियों को सुलभ की जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रख कर ही दैनिक की दरें निर्धारित की गयी हैं। चीनी मिट्टी के वर्तन, कटलरी, विस्तर आदि निरीक्षण यानों के साज-सामान में ही शामिल हैं और निरीक्षण यानों में उपयोग के लिए सप्लाई किये जाने वाले ईंधन का खर्च अधिकारी को देना होता है।

उर्वरक संयंत्रों में अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन करना।

1136. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में उर्वरकों का उत्पादन लगभग 12.5 लाख टन होने का अनुमान था और राष्ट्रीय खपत 27.50 लाख टन थी ;

(ख) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरकों की कुल अधिष्ठापित क्षमता 19.64 लाख टन है ;

(ग) क्या आयात कम करने के विचार से सरकार उर्वरकों के उत्पादन में अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार वृद्धि करने के लिए तुरन्त और कठोर कार्यवाही करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1971–72 में नाइट्रोजन युक्त एवं फास्फेटक उर्वरकों के रूप में पौधों के पोषण तत्वों का देशीय उत्पादन 12.30 लाख मीटरी टन या जबकि उसी वर्ष में उसकी कुल खपत 23.58 लाख मीटरी टन थी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) . उर्वरक कारखानों में क्षमता के अधिकतम प्रयोग में बाधा डालने वाले तथ्यों को ध्यान पूर्वक पहचान लिया गया है तथा उत्पादन को बढ़ाने के विचार से उचित औपचारिक उपाय अपनाये गए हैं अथवा अपनाए जा रहे हैं और इस दिशा में कुछ सफलता प्राप्त हो चुकी है।

ग्रमीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राजस्थान में मंजूर की गई योजनाएं

1137. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य की कितनी योजनाओं को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूरी दी गई है ; ये योजनायें, कौन-कौन सी हैं और उनके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) क्या कुछ योजनायें निगम के विचाराधीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं और उनका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम, अपने जुलाई, 1969 में शुरू होने से अब तक राजस्थान को 21 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकृति दे चुका है जिसमें 1127.038 लाख रुपये की ऋण सहायता सम्मिलित है। इन स्कीमों के नाम तथा स्वीकृत धनराशि उपाबंध में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिए संख्या एल० टी०—3745/72]

(ख) और (ग). 557.617 लाख रुपये की अनुमानित लागत की राजस्थान की दस ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, जिनका लक्ष्य 545 ग्रामों का विद्युतीकरण और 9180 पम्प-सैटों/नलकूपों का ऊर्जन करना है, निगम के पास विचार करने के लिए निलम्बित पड़ी हैं। इन स्कीमों की निगम द्वारा नियत मानदण्ड के आधार पर जांच की जाएगी और यदि इन्हें तकनीकी और वित्तीय रूप से सम्भाव्य पाया गया तो अन्य राज्य बिजली बोर्डों को ऐसी स्कीमों की स्वीकृती के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इन स्कीमों को वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित कर दिया जाएगा।

विदेशी तेल कम्पनियों का दबाव डालने का अभियान

1138. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत विदेशी तेल कम्पनियों ने दबाव डालने का नया अभियान आरम्भ किया है जिससे तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता न हो सके तथा तेल उत्पादक मित्र देशों के साथ पारस्परिक लाभ के आधार पर सम्बंध स्थापित करने के भारत के प्रयास समाप्त हो जाये;

(ख) यदि हां, तो यह अभियान किस प्रकार का है ; और

(ग) उन अभियानों को बेकार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). यह प्रतीत होता है कि कुछ विदेशी तेल कंपनियां मालिकों पर अपने राष्ट्रीयकृत नार्थरुमेला तेल क्षेत्रों से किसी गंतव्य स्थान (भारत को सम्मिलित करते हुये) को ईराकी कच्चे तेल को न भेजने पर दवाव डालती रही है। इस तथ्य का पता तब चला जब किराये पर टैंकर लेने के लिये मार्किट में प्रारंभ की गई जांचों से कोई पेशकश उचित शर्तों पर प्राप्त न हो सकी। भारतीय नौवहन निगम के दो टैंकर जो अन्तर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों के पास चार्टरित थे, प्राप्त किये गये हैं तथा एक भारतीय नौवहन फर्म से एक और टैंकर इस सेवा के लिए उपलब्ध हुआ है।

कानपुर में दो और ऊपरी पुलों का निर्माण

1139. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में दो और ऊपरी पुल बनाने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने आधा व्यय वहन करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) से (ग). कानपुर में दो ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव है। पंकी में लखनऊ-झांसी रोड पर समपार सं० 81-क के बदले एक ऊपरी सड़क पुल बनाया जायेगा। इस काम को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और पुल खास पर रेलवे की ओर से जितना काम किया जाना है, उसके 1-6-1973 तक पूरे हो जाने की संभावना है। दूसरा पुल कानपुर में मुरे समपार के बदले बनाया जायेगा। यह प्रस्ताव अभी भी अन्तिम रूप दिये जाने की प्रारम्भिक अवस्था में है। राज्य सरकार की ओर से इस काम पर अपने हिस्से की लागत वहन करने की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में संसद् सदस्यों के लिए आरक्षित कोटा

1140. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों ने मांग की है कि नई दिल्ली से कलकत्ता और नई दिल्ली से बम्बई जाने वाली राजधानी ऐक्सप्रैस गाड़ियों में उनके लिये स्थान आरक्षित किये जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस माँग पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) संसद् सदस्यों और उनकी पत्नियों/उनके पतियों की सीधी बुकिंग के लिए संसद् भवन के आरक्षण एवं बुकिंग कार्यालय को 102 डाउन नयी दिल्ली-हवड़ा और 152 अप नयी दिल्ली-बम्बई सेन्ट्रल राजधानी एक्सप्रेसों में से प्रत्येक के वातानुकूल कुर्सी यानों में पांच पांच सीटों का कोटा आबंटित किया गया है।

जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के प्रतिक्षालय में रिटायरिंग रूम बनाना

1141. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी के एक प्रतीक्षालय को रिटायरिंग रूम बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे यात्रियों को और असुविधा नहीं होगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

विद्यार्थियों द्वारा जंजीर खींचने के कारण हिमाचल एक्सप्रैस का देर से चलना

1142. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों द्वारा जंजीर खींचने के कारण हिमाचल एक्सप्रैस (दिल्ली से नांगल डैम और वापस) के देर से चलने के बारे में बार-बार शिकायतें की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनावश्यक तथा बार-बार देरी होने से बचने के लिये जंजीर को हटाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या कुछ गाड़ियों से जंजीर हटाई जा चुकी है, और यदि हां तो उन गाड़ियों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). इन गाड़ियों का समय पालन आम-तौर पर संतोषप्रद है। लेकिन खतरे की जंजीर खींचने के कारण कुछ गाड़ियों को विलम्ब हुआ विशेषकर 54 डाउन नंगल डैम-दिल्ली हिमाचल एक्सप्रेस को अतः 19–10–72 से उस गाड़ी की खतरे की जंजीर अस्थायी तौर पर काट दी गयी है।

(ग) जी हां। एक सूची संलग्न हैं [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी–3746/72]

शरावती पनबिजली परियोजना, मैसूर के लिए उपकरणों का आयात

1143. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 से मैसूर में होने वाली बिजली की सम्भावित कमी के कुछ भाग को पूरा करने के लिए शरावती पनबिजली परियोजना में 27.5 मैगावाट के दो अतिरिक्त यूनिट बनाये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए कुछ उपकरण आयात किये जायेंगे ; और यदि हां, तो उनके लिये कितनी विदेशी मुद्रा अपेक्षित होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां।

(ख) मैसूर सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि उपस्करों का विदेश से आयात किया जाए ताकि इसका प्रचालन शीघ्र हो सके। इसके लिए 2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

अहमदाबाद के लिये महानगरीय परिवहन व्यवस्था

1144. **श्री प्रमुदास पटेल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गुजरात सरकार को आश्वासन दिया है कि वह शीघ्र ही अहमदाबाद को महानगरीय परिवहन व्यवस्था योजना में शामिल करेगी और अव्यवस्थित ढंग से बसे इस शहर और गांधीनगर के लिये विद्युत्-चालित रिंग रेलवे की व्यवस्था करेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ; और

(ग) इस पर कुल कितना धन खर्च होगा।

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). नगरीय परिवहन की वृद्धि के हल के रूप में गुजरात सरकार ने सर्कुलर रेलवे योजना के लिए जो प्रस्ताव किया है उसे नगर के वृहत यातायात और परिवहन योजना के लिए अनुकूल बनाना होगा। यह योजना राज्य सरकार के यातायात स्कन्ध द्वारा अभी तैयार की जानी है। इस योजना को तैयार करने के लिए क्या कार्रवाई की जाय, इस सम्बन्ध में योजना आयोग के महानगर परिवहन दल ने राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया था।

ज्योंही इस काम की आवश्यकता सिद्ध हो जायेगी और योजना आयोग से यह निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध प्राप्त हो जायेगा, रेलवे बोर्ड ऐसी योजना को प्रारम्भ करने और उसके निर्माण के लिए एक विशेष संगठन की स्थापना करेगा।

Assistance to Bihar for Irrigation Schemes

1145. **Shri M. S. Purty:**

Shri Ram Bhagat Paswan :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether, in view of the drought situation, Central Government have provided funds for irrigation schemes in Bihar in the current year; and

(b) if so, the District-wise break-up of the amount and the action being taken by Government to take the scheme under their own supervision?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b). No special funds have been specifically provided in the current year for major and medium irrigation schemes in Bihar by the Central Government in view of drought situation in the State.

However, special minor irrigation schemes amounting to Rs. 17.17 crores have been approved in connection with the measures to meet drought situation in the State. An amount of Rs. 429.50 lakhs, representing first instalment of 25% of the total amount approved for execution of these schemes has already been released to the State Govt. Further releases would be made on the basis of progress of expenditure and performance of the programmes from time to time. District-wise allotment of the funds by the State Government is not available.

New Flood Control Scheme in Bihar

1146. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have accepted the new flood control schemes of Bihar and sanctioned some advances therefor; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) (a) & (b). The Hon'ble Member presumably refers to the priority flood control schemes for which the Centre has agreed to provide special financial assistance outside Plan during the Fourth Plan period. The position in respect of the priority schemes of Bihar is given in the ANNEXURE. Out of the total indicated assistance of Rs. 9 crores for these schemes during 1972-73 and 1973-74, the amount approved for release so far is Rs. 145 lakhs and the amount actually released is Rs. 50 lakhs. Further amounts are to be approved and released on the basis of the approval to the schemes and the progress of expenditure.

Statement

Sl. No.	Name of the Scheme	Estimated cost Rs. crores	Area benefited in lakh hectares	Present position
1	2	3	4	5
1.	(a) Mahananda embankment scheme	5.3	1.0	Scheme approved and under execution.
	(b) Embankment on the Kankai (tributary of Mahananda)	The scheme is yet to be formulated by the State Government.		
2.	Ganga embankment from Buxar to Koilwar.	9.7	1.0	Schemes received at the Centre and are under finalisation for putting up to the Technical Advisory Committee of Planning Commission for approval.
3.	Construction of embankment on both banks of Pun Pun.	8.1	0.5 Stabilisation of existing benefits.	
4.	Raising and strengthening of existing Ganga embankments.	5.4		
5.	Embankments and protection works on the Gandak.	The scheme is yet to be formulated by the State Government.		

Corridors in First Class coaches

1147. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the utility of the corridors which are built in the first class coaches ;

(b) whether the corridors not only cause inconvenience to the passengers in taking their luggage in and out of the compartments, but also cause loss to the Railway Department as they do not get return in proportion to the expenditure incurred by them in this regard ; and

(c) whether Railway Department propose to stop manufacturing such type of compartments?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The corridors in I Class coaches provide mobility to the passengers in dispersing within the coach and access to any of the four lavatories in each coach. In the case of vestibuled trains, the corridors provide passage for movement of passengers and railway staff from coach to coach for making use of dining car facilities and for ticket checking while the train is in motion. By having the corridors, the strength of the coach has been increased and hence it provides safer travel.

(b) Taking their luggage in and out of the compartments should not be inconvenient to the passengers if only such items which are normally required during the journey are taken inside the compartments and heavy items booked by the brake-van. Provision of corridor has enabled the lavatories being situated at either end of the coach and thus helped optimum utilisation of the floor space for passenger occupation. Consequently, provision of corridors has not caused any loss to the Railways.

(c) No.

देहरी-आन-सैन-बरवाडीह लाइन पर यात्री गाड़ियों का लूटा जाना

1148. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरी-आन-सैन-बरवाडीह लाइन पर यात्रा करने वाले रेलवे यात्रियों को लूटने के मामले हुये हैं तथा रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की जान-माल की रक्षा करने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी; और

(ग) वर्ष 1972 में कुल कितने यात्रियों को लूटा गया ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, इस वर्ष दो बार। गाड़ियों तथा रेल परिसरों में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की सरकारी रेलवे पुलिस की है। फिर भी, गाड़ियों तथा रेल परिसरों में यात्रियों की सुरक्षा एवम् संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल द्वारा सरकारी रेलवे पुलिस के साथ आवश्यक सम्पर्क और समन्वय रखा जाता है।

(ख) (i) सुरक्षा के उपायों का बारिकी से अध्ययन किया गया है और उन्हें और तेज किया गया है।

(ii) संबन्धित खण्ड पर ऐसे अपराधों में शामिल कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(iii) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सवारी गाडियों में पहरे की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) 8 व्यक्ति ।

लूटपाट और डाकाजनी की घटनाओं में वृद्धि

1149. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में लूटपाट और डाकाजनी के मामलों में वृद्धि हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो लूटपाट आदि से रेलवे यात्रियों को बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). इस प्रकार के अपराधों का रुख पूर्वी राज्यों में कुछ बढ गया है, अतः रेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों को अत्यावश्यक पत्र लिख कर उनसे अनुरोध किया है कि महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों पर, विशेषकर अधिक दुष्प्रभावित क्षेत्रों में, सशस्त्र मार्गरक्षकों की व्यवस्था करें, ताकि यात्री जनता और रेल कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके ।

क्लोरोटेट्रासाईक्लाइन की अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन

1150. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मासिटिकल्स लिमिटेड के संयंत्रों में क्लोरोटेट्रासाईक्लाइन की अधिष्ठापित क्षामता कितनी है और गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) जब यह पता चल गया है कि यह औषधि मनुष्यों के खाने के योग्य नहीं है तो अब इसका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

विधी और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). इस उद्देश्य के लिए प्रतिवर्ष 26.5 मीटरी टन की क्षमता स्थापित की गई थी किन्तु इस औषधि का इण्डियन ड्रग्ज़ एण्ड फार्मास्यूटिकल लि० के एण्टीबायोटिक्स प्लाट में उत्पादन नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में निर्मित सुविधाओं का टेट्रासाइक्लिन जैसी अन्य औषधियों के उत्पादन के लिए धीरे धीरे व्यपवर्तन किया जा रहा है । क्लोरोटेट्रासाइक्लीन का एक सिद्ध आरोग्यकर मूल्य है तथा इसका देश में मानव उपभोग के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

जल के भूमिगत संग्रह के लिए 'डीप एक्वीफरस' की खोज

1151. **श्री सी० के० पंडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी यूरोप की और अमरीकी देशों की हाल की यात्रा में जल प्रदाय के लिए भूमिगत जल संग्रह पद्धति का अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वहां की जल संचय पद्धतियों के आधार पर उस जल को संचित करने, जो इस समय समुद्र को जा रहा है विशेष रूप से गंगा बेसिन से "डीप एक्वीफरस्" का पता लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क): जी, हां।

(ख) और (ग). एक्वीफरस के रीचार्ज के प्रस्तावों के निम्नलिखित प्रकार के अध्ययनों की आवश्यकता है :–

(एक) सरंध्रता और पारगम्यता के संबंध में शक्यतापूर्ण स्थानों का हवाई-अभिज्ञान ;

(दो) संग्रह का निश्चय करने के लिए गहनता-लक्ष्यों का अध्ययन करना और भण्डार की मात्रा तथा भूमिगत डाइलों के संभव स्थानों का निश्चय करने के दृष्टिकोण से प्राकृतिक भूमिगत जल-निस्सार भागों की जांच करना ;

(तीन) ऐसी सुरक्षित गहराई निश्चित करने के लिए वर्तमान प्राकृतिक रीचार्ज तथा जल-सारपियों का अध्ययन करना; जहां तक कि भण्डार बनाये जा सकते हों, जिसके परिणामस्वरुप कम लागत पर पंपिंग की जा सके तथा जलाक्रांति के साथ-साथ वाष्पीकरण द्वारा हानियों से भी बचा जा सके।

देश में, भू-जल के नियमानुसार अध्ययन हाल ही में हाथ में लिए गए हैं तथा कृषि मंत्रालय के केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं। भू-जल के लिए अन्वेषणों के दौरान इस प्रकार के भू-जल भण्डारों के लिए उपयुक्त आशाजनक क्षेत्रों को ढूंढने तथा उनके अध्ययनों पर उपयुक्त ध्यान दिया जाएगा।

भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिये गये डिप्लोमाओं को मान्यता देना

1152. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विधि संस्थान द्वारा दिये गये डिप्लोमाओं को मान्यता देने का प्रश्न 1969-70 से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या इस संस्थान के पुराने डिप्लोमा धारकों को भी कुछ अतिरिक्त प्रश्न पत्र पास करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रदान किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) भारतीय विधि संस्थान (i) श्रम विधि, (ii) प्रशासनिक विधि और (iii) कम्पनी विधि में डिप्लोमा देता है। संस्थान ने (i) प्रशासनिक विधि और (ii) कम्पनी विधि में डिप्लोमा को मान्यता देने के लिए भारत सरकार से कोई निवेदन नहीं किया है।

किन्तु संस्थान ने श्रम विधि में डिप्लोमा को मान्यता देने के लिए सरकार से सितम्बर, 1968 में अनुरोध किया था।

(ख), (ग) और (घ). श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) में भारत सरकार ने श्रम अधिकारी (केन्द्रीय पूल) भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 1951 के प्रयोजनार्थ श्रम विधि में उस डिप्लोमा को मान्यता दे दी है जो सितम्बर, 1972 से प्रारम्भ हो कर जून, 1973 तक संस्थान द्वारा दिया जाए । कोई भी ऐसा छात्र जिसने श्रम विधि में पहले डिप्लोमा प्राप्त किया था पुनः इस शर्त के अधीन प्रवेश ले सकेगा कि वह विधी स्नातक है या समाज विज्ञान के किसी एक विषय में एम० ए० (द्वितीय श्रेणी) है।

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय में वकालत करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन

1153. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा किये गये उस विनिश्चय की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने से रोकने के लिये संविधान में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). सरकार को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की प्रति मिल गई है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय के किसी भी सेवा निवृत्त न्यायाधीश को अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का हकदार नहीं होना चाहिए। इस मामले की जांच की जा रही है।

भारत-ईराक संयुक्त तेल शोधक कारखाना

1154. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक के मंत्री ने, जिन्होंने हाल में भारत का दौरा किया था, भारत और ईराक द्वारा संयुक्त रूप से तेल शोधक कारखाने की स्थापना की सम्भावना का उल्लेख किया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का सार क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख). उत्तर-पश्चिम शोधनशाला में ईराक द्वारा साझेदारी किये जाने की संभावनाओं पर ईराक के विदेश मंत्री, जब वह अगस्त, 1972 में भारत आये थे, से बातचीत की गई थी, लेकिन ईराक और भारत के बीच हो रही बातचीत इस समय अस्थाई है और अन्वेषी अवस्था में है।

समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा जयनगर तक बड़ी लाइन का बिछाया जाना

1155. **श्री राम भागत पास्वान :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार समस्तीपुर से बरास्ता दरभंगा जयनगर तक नई बड़ी रेलवे लाइन बिछाने पर सहमत क्यों नहीं है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : फिलहाल समस्तीपुर से जयनगर तक के खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्यों कि वर्तमान मीटर लाइन की क्षमता यातायात को संभ्हालने 10 से 15 के लिए पर्याप्त है। फिर भी, इस खण्ड के समस्तीपुर से दरभंगा तक के भाग को अगले वर्षों में लगभग 3200 कि० मी० मीटर लाइन के बडी लाइन में बदलने के काम को संदर्शी योजना में शामिल कर लिया गया है। समस्तीपुर से रकसौता तक बड़ी लाइन बढ़ाने के प्रस्ताव के संबंध में .इस पर अलग से विचार किया जा रहा है, जिसके संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है।

भारतीय उर्वरक निगम को होल्डिग कम्पनी बनाना

1157. **श्री राम भगत पास्वान:** क्या **पेट्रोलियम और रसायनमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम को होल्डिग कम्पनी के अर्न्तगत लाने का प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो होल्डिग कम्पनी स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : अपनी जिम्मेदारियों, जो उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसके नियंत्रणाधीन विभिन्न बड़ी बड़ी प्रायोजनाओं की संख्या में हुई वृध्दि के कारण काफी बढ़ गई है और जटिल भी हो गई है, को और दक्षतापूर्ण ढ़ंग से निभाने के लिए इनमें और बातों के साथ साथ इसका अन्ततः होल्डिंग कंपनी में बदला जाना शामिल है। इसकी जांच की जा रही है।

मैसूर राज्य में कपिला और तराका परियोजनाओं का निर्माण

1158. **श्री डी० बी० चन्द्र गोड़ा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कपिला और तराका परियोजनाओं का कार्य कब प्रारंभ किया गया था और उनके निर्माण के लिए कुल कितना धन स्वीकार किया गया था ;

(ख) क्या परियोजनाओं का कार्य धीमे चल रहा है और यदि हां. तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य की गति बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील : (क) योजना आयोग ने 2.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर काबिनी परियोजना को 1958 में स्वीकृत किया था। जुलाई, 1970 में मैसूर सरकार ने 36.50 करोड़ रुपये को अनुमानित लागत पर एक संशोधित काबिनी परियोजना भेजी थी। इस परियोजना से केरल में जलमग्नता और अन्य अन्तर्राज्यीय पहलु सम्बद्ध हैं। भारत सरकार ने संशोधित परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है।

योजना आयोग ने तराका परियोजना को 1.70 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर 1970 में स्वीकृत किया था।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट मैसूर सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल निगम द्वारा ईरान से अशोधित तेल का आयात

1159. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने ईरान से अशोधित तेल के आयात के लिए एक समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने तेल का आयात किया जायेगा और उसमें से कितना भारतीय जहाजरानी द्वारा लाया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, सरकार ने 6 से 10 वर्षों की अवधि के दौरान हल्दिया शोधनशाला के लिये ईरान से 9 मिलियन टन की सप्लाई के लिये टोटल ईंटरनैशनल लि० के साथ एक करार कर लिया है।

क्योंकि हल्दिया शोधनशाला के लगभग 1973 के मध्य तक चालू किये जाने की आशा है, इस के लिये कच्चे तेल के आयात हेतु अभी तक परिवहन प्रबन्ध नहीं किये गये हैं। तथापि, शिपिंग कारपोरेशन चार 87,000 मीटरी टन टैंकरों का क्रय कर रही है, जिनके, जब यह टैंकर परिचालन स्थिति में होंगे, हल्दिया के लिये कच्चे तेल के परिवहन हेतु प्रयोग किये जाने की आशा है।

भारतीय उर्वरक निगम के विपणन निदेशक की नियुक्ति

1160. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन के बारे में रामकृष्णय्या समिति की सिफारिशों के बारे में 14 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2887 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समिति ने पृथक् विपणन निदेशक बनाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). अध्ययन दल जिसके संयोजक श्री रामाकृष्णय्या थे, की सिफारिशों के अनुसार निदेशक (विपणन) के पद का सृजन किया गया है।

श्रीनगर में राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों का सम्मेलन

1161. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के सिंचाई और विद्युत् मंत्रियों के श्रीनगर में हुए अंतिम सम्मेलन में किये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या सम्मेलन में गठित की गई समितियों ने इस बीच कोई सिफारिश की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) सूचना का विवरण संलग्न है। (**ग्रन्थालय में रखा गया**। देखिए संख्या एल० टी०-3747/72)।

(ख) सम्मेलन में गठित समितियों की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1162. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मीटरगेज को बड़ी लाइन में बदलने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका सारांश क्या है; और

(ग) सरकार की उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) से (ग). आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल में जिन लाइनों के आमान-परिवर्तन के संबंध में जो प्रस्ताव दिये हैं, उनसे संबंधित स्थिति इस प्रकार है:

लाइन का नाम	**स्थिति**
1. विजयवाड़ा-हुबली	विजयवाड़ा से गुंटुर और गुंतकुल्लू से होस्पेट तक के खंडों पर बड़ी लाइन की सेवाएँ पहले से ही उपलब्ध हैं। गुंटुर से गुंतकुल्लू और होस्पेट से हुबली तक के भाग के आमान-परिवर्तन का काम विचाराधीन है। इसके लिए पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय द्वारा बेलारी-होस्पेट लौह अयस्क निक्षेप के समेंकित विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं की जाँच के उद्देश्य से स्थापित अध्ययन दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। अध्ययन दल की सिफारिशों की प्राप्त होने के बाद इन लाइनों के आमान-परिवर्तन के लिए यदि सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा जायेगा तो उसे किया जायेगा।
2. सिकंदराबाद-गुंतकुल्लू	एक नयी बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है और सर्वेक्षण का काम चल रहा है।
3. तिरुपति-कटपाड़ी	इस समय इस खंड पर जितना यातायात हो रहा है, उससे इस खंड को बड़ी लाइन में बदलने का औचित्य नहीं बनता। यातायात मीटर लाइन की क्षमता से अधिक हो

जाने के बाद ही इस खंड को बड़ी लाइन में वदलने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

4. गुंटूर–माचेर्ला — सिकंदराबाद से नाडिकुड़े तक बड़ी लाइन के निर्माण और गुंटूर-माचेर्ला मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम मिश्रित परियोजना के रूप में विचाराधीन है। इस मिश्रित परियोजना का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिर्पोटों की जाँच की जा रही है।

Construction of a Dam on Northern Bank of Ganga in Bihar

1163. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted the scheme regarding the construction of a dam from Narayanpur to Katharia on Northern bank of Ganga River in Bihar State in order to protect the entire population and cultivation land from floods; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a)& (b) It is reported by the State Government of Bihar that the scheme is under investigation. It is not included in the Fourth Plan.

Electrification of Harijan Villages During Silver Jubilee Year of India's Independence

1164. **Shri G. P. Yadav :**

Shri S. D. Somasundaram :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of Harijan villages electrified in rural areas during the Silver Jubilee year of India's Independence, State-wise, and

(b) the names of Harijan villages electrified in Purnea and Bhagalpur Districts of Bihar?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The information is given in the Statement enclosed. (*Placed in the Library*. See No LT-3748/72.)

(b) The names of Harijan villages electrified in Purnea and Bhagalpur Electrical Circles are given below :—

Purnea Electrical Circle	*Bhagalpur Electrical Circle*
1. Vikrampur	Keshopur
2. Damtoli, Arya Nagar hat	Gandhi Tola
3. Mehtar Tola near Railway Station	Bramastan
4. Harijan Tola-Kuski Bagh	Navghdahi
5. Saveria Tola Kasva	Charav
6. Harijan Tola Aur Passi Tola (Kasba)	Amarpur
7. Chamar Toli-Line Bazar	Santhar English
8. Harijan Quarters, Dusad Toli Barihat	Biloo
9. Chamar Toli Naya Tola	Scindia
10. Dusal Tola Line Bazar Purnea	Hasanpur

11.	Harijan Quarters Dom-Tola Barihat	Bank K
12.	Harijan Tola Vinodpur (Khatiar)	Kathgarh
13.	Harijan Tola Cheria Bariapur	Sadhi Kapoor
14.	Harijan Tola Rajiapoor	Gauri Tola
15.	Harijan Tola Balachalk	Lalu Pokhai
16.	Harijan Tola Olapur Khagaria	Sonar para (Papur road)
17.	Harijan colony (near old Post Office-Soopal Jai Pradash Nagar)	Mochipara (Rasikpur)
18.	Harijan Tola-New Market	Manikpur
19.	Mehtar Toli Kali Bazar	Sarsani
20.	Gidaria Harijan Tola	Kanman Kathi
21.	Tatwan Tola and Mushar Tola Arrirya	Jassidih
22.	Gop-alan Tola (Jogbani)	Charki Pahari
23.	Mushhari Tola Chammari Tola, Baqali Tola (Dholbaja)	Rampur Phunsia
24.	Daksora Kishanganj	Chakspia
25.		Bosi
26.		Gauri
27.		Motia
28.		Kherama
29.		Kharibank
30.		Gopalpur
31.		Bajalpur
32.		Hussainabad
33.		Mor.

लघु एककों को बढ़िया किस्म के पौलिएथिलीन का वितरण

1165. **श्री आर० वी० वड़े :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित होस्टेलीन ही बढ़िया किस्म का पौलीएथिलीन है और प्लास्टिक उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल है ;

(ख) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि नई दिल्ली स्थित कार्यालय, जो इस माल का एकमात्र वितरक है, लघु एककों को माल बिल्कुल नहीं दे रहा है बल्कि इसे चोर-बाजारी में बेच रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस चोर-बाजारी को रोकने और लघु एककों को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में मैसर्स पोलिवलीफिन्ज़ इंडस्ट्रीज़ लि०, बम्बई ही हाई डैंसिटी पोलिथिलीन (होस्टेलीन) के केवल निर्माता हैं। हाई डैंसिटी पोलिथिलीन उन प्लास्टिक कच्चे माल की सामग्रियों में से है जिनका देश में आगामी प्रक्रिया के लिये प्रयोग किया जाता है।

(ख) और (ग). जी नहीं। तथापि, हाल ही में इस वस्तु में कुछ कमी हुई है और सरकार ने राज्य व्यापार निगम की मार्फत प्रतिबंधित आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं को आयात की इज़ाज़त देकर इस परिस्थिति पर काबू पाने के कदम उठाये गये हैं।

चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण

1166. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ; और

(ख) चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चतुर्थ योजना दस्तावेज के अनुसार 444.65 करोड़ के योजना परिव्यय में देश में 12.5 लाख पम्प अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह उम्मीद की गई थी कि वित्तीय संस्थानों द्वारा उपलब्ध धन-राशियों में से और 2.5 लाख पम्प सैट अर्जित किए जा सकते हैं। जबकि ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, यह सामान्यत: उम्मीद की गई थी कि पम्पों के अर्जन के परिणामस्वरूप लगभग 50,000 ग्राम विद्युतीकृत हो जाएंगे।

(ख) 1-4-1969 से 30-9-72 तक, देश में 54294 ग्राम और 9,13,325 पम्प सैट/नलकूप अर्जित किए जा चुके हैं।

सिचाकी तथा चौधरी बांध रेल स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का लूटा जाना

1167. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के ग्रान्ड कार्ड पर 7 अक्तूबर, 1972 को चिचाकी तथा चौधरी बांध स्टेशनों के बीच एक दस्यु दल ने 117 अप मालगाड़ी से लगभग 1 लाख रुपये के मूल्य की सामग्री लूट ली थी ;

(ख) क्या उक्त सड़क से कुछ ही दिन पहले इसी स्थान पर एक और मालगाड़ी भी लूटी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों घटनाओं से सम्बद्ध अपराधियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में लूट की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं। लेकिन 5–10–72 को 14-15 अपराधियों ने चिचाकी और चौधरी बांध स्टेशनों के बीच अप माल गाड़ी नं० 1173 पर हमला करके 3500 रुपये का माल चुरा लिया था।

(ख) जी हां, 7–9–1972 को चेगरी ब्लाक हट और चौधरी बांध स्टेशनों के बीच।

(ग) पुलिस बड़ी तत्परता से जांच कर रही है। 5–10–72 वाले मामले में एक अपराधी पकड़ लिया गया है।

(घ) (i) इस खण्ड में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा माल गाड़ियों के मार्ग-रक्षण का काम और तेज़ कर दिया गया है।

(ii) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल और पुलिस मिल कर प्रयास कर रहे हैं।

ग्रामीण बिजली निगम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण

1168. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण बिजली निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिये राज्यों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों ने गांवों के विद्युतीकरण हेतु कितनी राशि का आग्रिम धन दिया है ; और

(ग) क्या चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जुलाई, 1969 से, जब यह स्थापित हुआ था, अभी तक 5 ग्राम विद्युत् सहकारिताओं समेत, सभी राज्य बिजली बोर्डों को 309 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 181 करोड़ रुपये को ऋण सहायता शामिल है। इसमें से 70 करोड़ रुपये की राशि 23–10–1972 तक ग्राम विद्युत् सहकारिताओं को बांट दी गई थी।

(ख) 1969–72 के गत तीन वर्षों के दौरान देश में 48,182 ग्राम विद्युतीकृत हुए थे और 8.02 लाख पम्प सैट अर्जित किए गए थे; और

(ग) चतुर्थ योजना में लक्ष्यों के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

रेलवे परियोजनाओं के लिए भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और तकनीशियनों को भेजने का विदेशों द्वारा अनुरोध

1169. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों ने भारत के इंजीनियरों और तकनीशियनों को अपने यहां भेजने का अनुरोध किया है जो उनकी विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को आरम्भ करने में सहायता करेंगे ;

(ख) क्या सरकार ने इन अनुरोधों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) . जी हां ।

(ग) सम्बन्धित सरकारों या संयुक्त राष्ट्र एजंसियों के अनुरोध पर विगत में विभिन्न देशों में विशोषज्ञ प्रतिनियुक्त किये गये हैं। इराक सरकार से हाल में प्राप्त एक अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

बंगला देश में रेल व्यवस्था के पुन : संचालन के लिये भारतीय सहायता

1170 **श्री एस०, ए० मुरुगनन्तम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश में रेल व्यवस्था के पुन : संचालन के लिये भारतीय रेलवे ने उन्हें क्या सहायता दी है ; और

(ख) बंगला देश में रेल व्यवस्था के पुन : संचालन में इस सहायता से कितना सहयोग मिला है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा बंगला देश को दिये गये 10 करोड़ रुपये के ऋण में से लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से भारत सरकार ने रेल पथ, पुलों, सिगनल और दूर संचार प्रणाली की पुन : स्थापना और रेल पथ के सामानों, निर्मिति गडंरों, अन्य भंडारों, आजारों और संयंत्रों तथा जहाजी बेड़ों आदि की सप्लाई का काम प्रारम्भ कर दिया है। बंगला देश की रेल प्रणाली पर यातायात के निबांध संचलन के लिए ये काम महत्वपूर्ण हैं जिनसे इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने की संभावना है।

रेलवे में यात्री यातायात से होने वाली आय तथा यात्री सेवाओं के सुधार पर किया गया व्यय

1171. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के पहले आठ महीनों में यात्री यातायात से कुल कितनी आय हुई ;

(ख) यात्री सेवा की भिन्न-भिन्न श्रेणियों से कितनी-कितनी आय हुई है ;

(ग) चालू वर्ष में यात्री सेवाओं में सुधार करने के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(घ) तृतीय श्रेणी के यात्रियों की यात्रा सुविधाओं में सुधार करने के लिये कितनी राशि व्यय की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). यात्री सेवाओं से उपार्जित राजस्व के स्थूल आंकड़े चालू वर्ष के केवल पहले सात महीनों के ही उपलब्ध हैं। ये इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपयों में)
वातानुकल	1.85
पहला दर्जा	16.82
दूसरा दर्जा	6.13
तीसरा दर्जा	179.83
जोड़ :	204.63

(ग) और (घ). यात्री सेवाओं के सुधार पर किये गये खर्च का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता।

देश में बिजली का उत्पादन

1172 : **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितनी बिजली का उत्पादन होता है ; और

(ख) इसमें से कितनी बिजली पनबिजली धरों में पैदा की जाती है और कितनी तापीय तथा परमाणु बिजली घरों में ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1971–72 (अंतिम वर्ष जिसके लिए आंकड़ों का संकलन किया गया है) वर्ष के लिए देश में कुल विद्युत् उत्पादन 65214 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।

(ख) 27,347 मिलियन यूनिट जल विद्युत् केंद्रों, 36,677 मिलियन यूनिट ताप केंद्रों और 1190 मिलियन यूनिट तारापुर में परमाणु विद्युत् केंद्र द्वारा विद्युत् उत्पादन हुआ था।

पांचवीं योजना की अवधि के लिए मालडिब्बों की आवश्यकता

1173. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना की अवधि में कितने रेल मालडिब्बों की आवश्यकता का अनुमान है ;

(ख) देश में इस समय मालडिब्बों के निर्माण करने की क्षमता क्या है ; और

(ग) सरकार का विचार पांचवीं योजना के लिए आवश्यक रेल मालडिब्बों की पूर्ति किस प्रकार करने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पांचवीं योजना अवधि में परिवहन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए रेलवे बोर्ड में योजना आयोग के तत्वावधान में विभिन्न उपयोगकर्ता मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद मालडिब्बों की आवश्यकताओं का हिसाब लगाया जायेगा।

(ख) निजी क्षेत्र में और रेल कारखानों में मालडिब्बा उत्पादन क्षमता इस प्रकार है :—

निजी क्षेत्र : निजी क्षेत्र में 16 यूनिटों की कुल लाइसेंस शुदा क्षमता चौपहियों के हिसाब से, 40,869 मालडिब्बों की है। उनकी कुल संस्थापित क्षमता 31,869 मालडिब्बों की है। लेकिन, विभिन्न कारणों से वास्तविक उत्पादन संस्थापित क्षमता की अपेक्षा कम है।

रेल कारखाने : इस समय केवल तीन रेलकारखानों में मालडिब्बे बनाये जा रहे हैं और 1972-73 के लिए इन तीनों कारखानों की कुल क्षमता, चौपहियों के हिसाब से, लगभग 2860 मालडिब्बों की है।

(ग) पांचवीं योजना में मालडिब्बों की आवश्यकताओं का हिसाब लगाये जाने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

ईंधन तेल के मूल्य में कमी

1174. **श्री डी० के० पंडा :**
श्री अरविन्द नेताम :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग को और रियायत देने के विचार से सरकार ने ईंधन तेल का मूल्य घटाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इससे गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में ईंधन तेल का बड़ी मात्रा में उपयोग हो सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों में उर्वरक कारखानों में कितने ईंधन तेल का उपयोग होने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). सरकार ने उर्वरक उत्पादन के लिये कच्चे माल के रूप में होने वाले ईंधन तेल पर उत्पादन कर से छूट देने का निश्चय किया है। ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक प्लांटों की अर्थ व्यवस्था को सुधारने हेतु मूल्य संमंजन के कुछ अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों में इन उपायों से उर्वरक उत्पादन के लिए ईंधन तेल की कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने में वृद्धि की आशा है।

(ग) निश्चित परियोजनाओं के लिए पांचवीं योजना के अंत में जब ये प्रायोजनाएं अधिकतम उत्पादन स्तर पर पहुंचेंगी, ईंधन तेल की कच्चे माल के रूप में आवश्यकता 5 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष होगी। अपेक्षित ईंधन तेल ईंधन पर आधारित अतिरिक्त पर निर्भर होगा।

बिजली केंद्रों का कार्यकरण

1175 : **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ बिजली केंद्र अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अधिष्ठापित क्षमता से कम का उपयोग करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्तमान बिजली केंद्रों को अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). देश में विद्युत् घरों का कार्य तथा उनमें अधिष्ठापित क्षमता का समुपयोजन, कुछ मामलों को छोड़कर, जहां अधिष्ठापित क्षमता का समुपयोजन निम्नलिखित कारणों से नीचा रहा है, आमतौर पर, संतोषजनक रहा है :—

(1) ईंधन अर्थात् कोयला, लिगनाइट आदि का उचित मात्रा में उपलब्ध न होना।

(2) पूर्वी क्षेत्र विद्युत् केंद्रों में निम्नकोटि के कोयले और दो स्टेज वामरो बाढ़-प्रोडक्ट का प्रयोग।

(3) वर्षा न होना और परिणायस्वरूप जल विद्युत् जलाशयों का न भरा जाना, जिसका जल विद्युत् केंद्रों के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

(4) प्रचालन में कठिनाइयों तथा परमाणु केंद्र, तारापुर में मजबूरन आउटजिज ;

(ग) वर्तमान केंद्रों में विद्युत्-जनन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) उत्पादन बढ़ाने के लिए ताप विद्युत् केंद्रों को कोयला/लिगनाइट/अवशिष्ट ईंधन तेल को सप्लाई में तेजी लाना ;

(2) पूर्वी क्षेत्र में ताप विद्युत् केंद्रों को अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई का प्रबन्ध करना।

(3) आउटेज के अंतर्गत यूनिटों की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य में तेजी लाना।

(4) जो यूनिट फालतू पुर्जी के अभाव में बन्द हो गए हैं उनके लिए इनको सप्लाई में शीघ्रता करना।

(5) सरकार ने दो विशेषज्ञ दलों को एक जल बिद्युत् केंद्रों के और दूसरा ताप विद्युत् केंद्रों के निरीक्षण करने और उनके वर्तमान अनुरक्षण और प्रचालन पर रिपोर्ट देने और उनके कार्य में और सुधार लाने के वास्ते सिफारिश करने के लिए गठित कर दिए हैं।

पांचवीं योजना में बिजली की मांग

1176 : **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
डा० गोबिन्द दास रिछारिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में बिजली की कितनी मांग होगी ;

(ख) पांचवीं योजना की अवधि में बिजली उत्पादन का अस्थायी लक्ष्य कितना नियत किया गया है ; और

(ग) पांचवीं योजना में किन नई विद्युत् प्रजजनन योजनाओं को शामिल करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पांचवीं योजना में विद्युत् की संभावित अधिकतम मांग 28 मिलियन किलोवाट होने का अनुमान है।

(ख) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा अनुमानित विद्युत् उत्पादन के लिए अस्थाई लक्ष्य 1978–79 तक 42 मिलियन किलोवाट की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता का है।

(ग) पांचवीं योजना में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित नई जल विद्युत्, ताप और परमाणु विद्युत् उत्पादन स्कीमों की सुची उपपबंध के रूप में विवरण में दी गई है। **[गोन्थालय में रखी गई।** देखिए संख्या एल० टी–3749/72]

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

1177. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उर्वरकों के मूल्य बढ़ाने का सुझाव दिया है :

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि का सुझाव किस आधार पर दिया गया है ;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय उर्वरकों के मूल्य में इस वृद्धि के विरुद्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो उर्वरकों के मूल्यों सम्बन्धी कठिनाई को सरकार का किस प्रकार हल करने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) से (घ). कुछ निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि निवेश की लागत में वृद्धि तथा अन्य तथ्यों के कारण मुख्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों, अर्थात यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के मूल्यों, जो अब निर्धारित किये गये हैं, से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती है सभी संबंधित तथ्यों की ध्यान में रखते हुये सरकार इस बारे में अपनाये जाने वाले उपायों पर गंभीरता से विचार कर रही है।

रेल भाड़ा पद्धति में संशोधन

1178. **श्री भोला मांझी:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल–भाड़ा पद्धति को और अधिक युक्ति संगत बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो भाड़ा पद्धति में कौन से संशोधन करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की कमी का रेल सेवा के विद्युतीकृत सैक्शनों पर पड़ने वाला प्रभाव

1179. **श्री झारखन्डे राय :**

श्री राज राज सिंह देव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय चल रही बिजली की कमी से रेलवे के विद्युतीकृत सैक्शन प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र में तथा किस सीमा तक ; और

(ग) रेलवे को पर्याप्त बिजली की सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) पूर्वांचल के बिजलीकृत खण्डों में अनेक दिनों तक, बिजली कम उपलब्ध होने के कारण, माल डिब्बों का संचलन आम तौर पर मन्द रहा।

(ग) संबंधित रेल प्रशासन बिजली की सप्लाई लगातार चालू रखने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर स्थानीय राज्य सप्लाई प्राधिकारियों से निरंतर सम्पर्क बनाये हुए हैं अन्य कम अनिवार्य उपभोक्ताओं की तुलना में, रेलवे कर्षण भारों को उच्चतम अग्रता पहले से प्राप्त है। सिगनलों के लिए आपात्कालीन सप्लाई तथा संकट के समय निकटवर्ती सब-स्टेशनों से फीड्स के विस्तार की भी व्यवस्था की जा रही है। इन सब उपायों से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिली है कि बिजली की कमी के कारण गाड़ी सेवाएं अधिक दुष्प्रभावित न होने पायें। जहां सप्लाई में अवरोध अपरिहार्य है, वहां भी कम से कम प्रभाव पड़ा है।

रूस द्वारा भारत में उर्वरक कारखाने की स्थापना

1180. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए रूस से बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए रूस से संयंत्र एवं मशीनरी की संभावनाओं तथा इनकी सप्लाई की मात्रा का अन्वेषण किया जा रहा है। कोरवा उर्वरक प्रायोजना के लिए आयतित प्रदाय के अंश को रूस से प्राप्त करने की आशा है।

प्रमुख शहरों के लिए बड़े रेल स्टेशन

1181. **श्री निंबालकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, दिल्ली, मद्रास कलकत्ता तथा कानपुर जैसे बड़े शहरों के स्टेशन बढ़ते हुए रेल यातायात की दृष्टि से पर्याप्त बड़े हैं : और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करन का है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क)बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण टर्मिनलों पर टर्मिनल संबंधी वर्तमान क्षमता अतिरिक्त सवारी गाड़ियों को सम्हालने में बाधक हो रही है।

(ख) इन स्टेशनों पर टर्मिनल क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा कदम उठाने आवश्यक हो सकते हैं, इस पर विचार करने के लिए विभिन्न यातायात सर्वेक्षण अध्ययन पहले ही से किये जा रहे हैं।

Setting up of Thermal power Plant at Muzaffarpur in North Bihar

1182. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the specific reasons for which Thermal Power Plant is being set up at Muzaffarpur in North Bihar and not at Motipur, Chakiya or at a place between Muzaffarpur and Motihari ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigaton and Power (Shri B. N. Kureel) : The setting up of a Thermal Power Station at Muzaffarpur is based purely on techno-economic considerations.

Generation of Power from Atomic Energy

1183. **Shri R. V. Bade :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the power generation has decreased in the country as a result of scarcity of rains,

(b) if so, whether Government propose to generate power from atomic energy instead of generating power from water, and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) Yes, Sir.

(b) At present, there is only one atomic power station operating in the country and that too, due to forced outages, is unable to generate the full rated output. The generation of power from atomic sources would be in addition to (and not in place of) that from water power.

(c) As a long-term measure, Government intend to achieve a balanced development between hydro, thermal and atomic resources of the country.

At present, generation from available thermal generating sets is being stepped upto the extent possible.

केरल में नई दोहरी लाइनें बिछाना

1184. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए किन-किन सैक्शनों/मार्गों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) किन–किन सैक्शनों पर दोहरी रेल लाइनें बिछानें का कार्य चल रहा है; और

(ग) किन–किन सैक्शनों पर नई रेल लाइनें बिछाने का कार्य चल रहा है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेलों का विकास किसी राज्यवार या क्षेत्रीय आधार पर नहीं किया जाता। फिर भी, निम्नलिखित परियोजनाएँ, जो अंशत: या पूर्णत: केरल राज्य में पड़ती हैं, उनके संबंध में सर्वेक्षण किये गये :—

(1) तेल्लिचेरी––मैसूर––237 कि० मी०

(2) कायम कुलम––एर्णाकुलम––97 कि० मी०

(3) तिरूवनंतपुरम––कुमारी अंतरीप––100 कि० मी०

(4) गुरुवायुर और करेंगानोर के रास्ते कुट्टीपुरम––एर्पाकुलम––128 कि० मी०

(5) त्रिचुर––कोलांगोद––68.04 कि० मी०

(6) चालकुडी––वालपरै––71.49 कि० मी०

(ख) पोडान्नूर––ओल्लवकोड––52 कि० मी०

मूलूरकरै––वाडाकांचारी––8 कि० मी०

अलवाई––एर्णाकुलम––19.50 कि० मी०

पुडुकोड––इरींगलाकुड––10 कि० मी०

(ग) तिरुवनन्तपुरम––कुमारी अंतरीप––100 कि० मी०

केरल में कालोंडा नदी घाटी परियोजना का निर्माण

1185. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में कालोंडा नदी घाटी परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक परियोजना में कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) कल्लाडा सिंचाई परियोजना, योजना आयोग द्वारा 1966 में स्वीकृत की गई थी।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पारापार पर बांध के नींव का खुदाई कार्य और ओटाक्कल पर बीयर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और चिनाई बांध पर कार्य की व्यवस्था कर दी गई है। दक्षिण तट नहर और कुछ बृहत् शाखाओं का विस्तृत अन्वेषण उनके द्वारा पूर्ण कर दिया गया है।

केरल सरकार ने सूचित किया है कि यदि वर्ष-वार पर्याप्त धन उपलब्ध होता रहा तो उन्हें आशा है कि परियोजना 1977 तब पूर्ण हो जाएगी।

अधिक बिजली के उत्पादन के लिए केरल में परियोजनाओं को स्वीकृति देना

1186. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में अधिक बिजली उत्पादन के लिए विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति देने के बारे में केंद्रीय सरकार के अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वैजनाथ कुरील): (क) जी, हां।

(ख)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता मैगावाट	अनुमानित लागत (करोड़ों में)	क्या सलाहकार समिति ने अनुमोदित कर दी है	अभ्युक्ति
	इद्दीकी जल-विद्युत् परियोजना विस्तार	3 × 130	11.8	15-2-1971 को अनुमोदित	स्वीकृति देने के लिए योजना आयोग में विचार हो रहा है।
1.	साइलेंट घाटी जल-विद्युत् स्कीम	3 × 40	24.88	10-10-72 को अनुमोदित	स्वीकृति के लिए योजना आयोग में निलम्बित है।
2.	इजामलायर बहूद्देश्यीय परियोजना	3 × 30	12.66 (विद्युत् भाग)	नहीं	जांच की जा रही है
3.	मणानथोडी बहूद्देश्यीय परियोजना	4 × 50	14.00	नहीं	जांच की जा रही है
4.	केरल भवानो बहूददेश्-यीय परियोजना	2 × 50	9.18	नहीं	जांच की जा रही है

योजना आयोग में विचाराधीन पडी केरल सरकार की विजली और सिंचाई योजनायें

1187. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल सरकार द्वारा भेजी गई कितनी बिजली और सिंचाई योजनाएं योजना आयोग की स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी है; और

(ख) ये योजनाएं कब से विचाराधीन पड़ी है और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वैजनाथ कुरील): (क) दो विद्युत् स्कीमें (१) इद्दिकी जल विद्युत् परियोजना विस्तार और (II) साइलैंट घाटी जल-विद्युत् परियोजना, योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए निलम्बित पड़ी है। योजना आयोग के पास कोई भी सिंचाई स्कीमें निलम्बित नहीं पड़ी हुई है।

(ख) इद्दिकी स्कीम 15-2-71 से और साइलेंट स्कीम 10 अक्तूबर, 1972 से निलम्बित पड़ी है।

दिल्ली तथा उपनगरों में बिजली फेल हो जाना

1188. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली तथा उपनगरों में बार-वार बिजली फेल हो जाने की समस्या की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का क्या पग उठाने का विचार है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वैजनाथ कुरील): (क) और (ख). सरकार को दिल्ली और इसके सबर्बो में बिजली के फेल होने और बिजली की सप्लाई में अवरोध पड़ने के बारे में जानकारी है।

बिजली की सप्लाई लगातार और स्थायी रूप से हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान वितरण लाइनों और उपकेन्द्रों को मजबूत करने के लिए दिल्ली में विद्युत् सरम्भण प्राधिकरण उपयुक्त कार्यवाही कर रहे है।

कोचीन तेल शोधनशाला में तकनीकी जानकारी का उपयोग करने के लिए फिलिप्स कम्पनी को किया गया भुगतान

1189. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) कोचीन तेल शोधनशाला में तकनीकी जानकारी का उपयोग किये जाने के लिए फिलिप्स कम्पनी को अब तक कुल कितने रुपये का भुगतान किया गया है ; और

(ख) इस अवधि में उन्हें कितना रुपया लाभांश के रुप में दिया गया ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) और (ख). वित्तीय वर्ष 1966-67 से 1971-72 तक फिल्लिपस पेट्रोलियम कम्पनी को (भारत के अन्दर एवं बाहर दोनों स्थलों पर) अदा की गई तकनीकी फीस की कुल राशि 358.51 लाख रुपये थी तथा वित्तीय वर्ष 1967-68 से 1970-71 तक अदा की गई लाभांश की राशि 141.71 लाख रुपये थी। दोनो समग्र राशियों में स्रोत पर ली गई आय-कर की राशियां सम्मिलित है।

कोचीन तेल शोधनशाला प्रबन्ध द्वारा समझौते को लागू न करना

1190. **श्री वयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन तेल शोधनशाला कर्मचारी संघ की ओर से प्रबन्ध मण्डल और संघ के बीच हुए समझौते के उपबन्धों को लागू न करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसने क्या कार्रवाई की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी हां।

(ख) प्रबन्धकों द्वारा यह बताया गया है कि मामले को समझौता कार्यवाही में शामिल किया गया है। सरकार समझौता-अधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगी।

पोंग बांध क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा देना

1191. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में अर्जित भूमि के लिये मुआवजे के रूप में अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ख) शेष राशि का कब तक भुगतान किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मध्य अक्तूबर, 1972 तक, 19.34 करोड़ रुपये, पोंग बांध क्षेत्र में अर्जित भूमि के लिए मुआवज़ के रूप में दे दिए गए है।

शेष धन की अदायगी पंचाटों के मूल्यांकन तथा घोषणा जिन पर कार्य प्रगति पर है, के अनुसार की जायेगी।

बम्बई तथा कोचीन के बीच रेल सेवा

1192. **श्री एम० के कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या सरकार बंबई और कोचीन के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्य रूप दिये जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया शोधनशाला के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति

1193. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया शोधनशाला में कार्य कब तक प्रारंभ हो जायेगा ; और

(ख) शोधनशाला कब तक अपना लक्षित उत्पादन करने लगेगी ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री **(श्री एच० आर० गोखले)** : (क) और (ख) . हल्दिया शोधनशाला निम्नलिखित दो चरणों में चालू की जायेगी :–

(1) ईधन खण्ड के लगभग 1973 के मध्य तक पूरे होने की आशा है और यदि कोई प्रमुख औद्योगिकी या अन्य समस्याएं उत्पन्न न हुई तो इसका नियमित उत्पादन 1973 के तीसरे चतुर्थार्श के अन्त तक प्रारंभ हो जायेगा।

(2) लूब खण्ड के 1973 के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

(3) शोधनशाला के 1973 के अन्त तक रुपांकित थुपुट को साफ करने की आशा है।

मुस्लिम वैयक्तिक विधि के बारे में जस्टिस वी० खालिद की टिप्पणी

1194. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री मुस्लिम वैयक्तिक विधि के बारे में जस्टिस वी० खालिद की टिप्पणी के बारे में 8 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 1270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने मामले की जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मामले की जांच की जा रही है।

सिविल प्रक्रिया संहिता का पुनरीक्षण

1195. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सम्पूर्ण सिविल प्रक्रिया संहिता का पुनरीक्षण करने का कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क), से (ग). 1964 में सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 पर पेश की गई अपनी सत्ताईसवीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने सम्पूर्ण संहिता का पुनरीक्षण किया था। अब भारत सरकार ने आयोग से खर्चे कम करने और मुकदमों में विलम्ब कम करने के मूल दृष्टिकोण से संहिता की फिर से जांच करने के लिए कहा है। इस दृष्टि से सम्पूर्ण संहिता का पुनरीक्षण आयोग के विचाराधीन है। रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार की जा रही है और सरकार को शीघ्र ही पेश कर दी जाएगी।

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन

1196. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को कार्यरूप देने के लिये आवश्यक विधान पर विधि आयोग द्वारा कब तक विचार आरम्भ किये जाने की आशा है ; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). विधि आयोग ने राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विधान पर पृथक् रूप से विचार आरम्भ नहीं किया है। किन्तु विधि आयोग ने अपने प्रारंभ से कई रिपोर्टें पेश की हैं जो नीति निदेशक तत्वों के भागरूप सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों का तथा दूसरे सिद्धान्तों का परिपालन करती हैं। उनमें से विशेष हैं–सामाजिक और आर्थिक अपराधों पर रिपोर्ट (सैंतालीसवीं रिपोर्ट), दंड प्रक्रिया संहिता पर रिपोर्ट (सैंतीसवीं, इक्तालीसवीं और अड़तालीसवीं रिपोर्ट) और संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 पर रिपोर्ट (छियालीसवीं रिपोर्ट)।

निदेशक तत्वों से विरोध समाप्त करने की दृष्टि से कई और केन्द्रीय अधिनियम विधि आयोग के विचाराधीन हैं।

हिन्दी में अनुदित कानून की पुस्तकें

1197. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी में कानून की मूल पुस्तकों की एसी कितनी पाण्डुलिपियां है जो मूल्यांकन समिति के समक्ष रखी गई है :

(ख) गौरव ग्रंथां के स्तर की एसी चुनी हुई कानून की पुस्तकें कितनी है जो अब तक हिन्दी में अनूदित की जा चुकी हैं ; और

(ग) हिन्दी में कानून की मूल पुस्तकों के नाम तथा ब्यौरा क्या है तथा साथ ही उन 25 लेखकों के नाम क्या हैं जिनके साथ उन पुस्तकों को लिखने के करार किये गए है ।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सात पुस्तकों की पूर्ण पाण्डुलिपियां और दो अन्य पुस्तकों के कुछ अध्यायों के प्रारूप मूल्यांकन समिति के सामने रख दिए गए हैं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) हिन्दी में विधि पुस्तकों के मूल रूप से लिखे जाने के लिए 28 लेखकों के साथ करार किए गए थे। दों लेखकों की बाद में मृत्यु हो गई। तीन के मामलों में सौंपे गए कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई और करार समाप्त कर दिया गया। एक विवरण, जिसमें शेष 23 विषयों की और जिन लेखकों को वे सौंपे गए हैं उनके नामों की सूची दी गई है, संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी–3750/72]**.

केन्द्रीय विधियों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

1198. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षा में राज्यों द्वारा केन्द्रीय विधियों का अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराने पर व्यय की गई रकम की प्रतिपूर्ति राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) केन्द्रीय विधियों के हिन्दी में अनुवाद पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) संविधान का हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कब तक पूरा हो जाएगा ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) राज्य सरकारों को अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवाद के लिए प्रतिपूर्ति की गई रकम का राज्यवार विभाजन नीचे दिया गया है :–

राज्य का नाम	भाषा	वर्ष 1969-70	प्रतिपूर्ति की वर्ष 1970-71	गई रकम वर्ष 1971-72
गुजरात	गुजराती	कुछ नहीं	कुछ नहीं	56,264–00 रु०
उड़ीसा	उड़िया	कुछ नहीं	कुछ नहीं	3,760–00 रु०
जम्मू-कश्मीर	उर्दू	कुछ नहीं	कुछ नहीं	13,740–00 रु०

शेष अ-हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों ने उक्त अवधि के दौरान राजभाषा (विधायी) आयोग को प्रादेशिक भाषाओं में किसी भी केन्द्रीय अधिनियम का अनुवाद अनुमोदन के लिए नहीं भेजा है, इस लिए उनको इस लेखे से कोई संदाय नहीं किया गया है।

(ख) केन्द्रीय विधियों का हिन्दी में अनुवाद करना राजभाषा (विधायी) आयोग को सौंपे गए कृत्यों में से केवल एक कृत्य है। आयोग को यथासंभव सब राजभाषाओं में उपयोग में उपयोग के लिए एक विधिक शब्दावली तैयार और प्रकाशित करने और केन्द्रीय अधिनियमों और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाओं में अनुवाद करने की व्यवस्था कराने का काम भी सौंपा गया है। आयोग को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसरण में उन सब कानूनी नियमों, आदेशों आदि का हिन्दी में अनुवाद करवाने का काम, जिन्हें संसद् के सदन या सदनों के समक्ष रखा जाना है और यथास्थिति लोक सभा या राज्य सभा में पुर: स्थापित सब विधेयकों को, जिसमें पुर: स्थापित संशोधन विधेयक और उससे संबंधित रखे गए सब शासकीय संशोधन भी सम्मिलित है, हिन्दी अनुवाद देने का काम भी सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त आयोग को भारत के संविधान का हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद तैयार करने उसका प्रकाशन करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

मार्च, 1972 के अन्त तक आयोग पर उपगत कुल व्यय 1,18,91,455 रुपये है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आयोग के कार्यों में केन्द्रीय विधियों के हिन्दी अनुवाद के अतिरिक्त अन्य कार्य भी सम्मिलित हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि पृथक् रूप से केन्द्रीय विधियां के हिन्दी अनुवाद पर कितना व्यय होगा।

(ग) भारत के संविधान के आसामी, गुजराती, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलगु अनुवाद अब तक पूरे किए जा चुके हैं। आशा है कि संविधान के बंगला, कन्नड़ और उर्द्ध अनुवादों को शीघ्र ही अन्तिम रुप दे दिया जाएगा। संविधान का प्राधिकृत और अद्यतन हिन्दी रुपान्तर तैयार करने के प्रश्न पर भी सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

श्रीलंका में एक तेलशोधक कारखाने की स्थापना

1199. **श्री ई० वी० विखे० पाटिल:**

श्री एम० एस० संजीवी राय:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार के सहयोग से श्रीलंका में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता ।

सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों के कार्यकाल को आगे बढाया जाना

1200. **श्री लालजी भाई :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता विभाग में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के तीन वर्ष के कार्यकाल को आगे बढाने की प्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त स्थिति में सुधार करने हेतु प्रशासन का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). वर्तमान आदेशों के अनुसार सतर्कता निरीक्षकों का कार्यकाल 4 वर्ष है जो 6 वर्ष तक वढ़ाया जा सकता है। प्रशासनिक कारणों से कुछ अपवादिक मामलों में यह अवधि 6 वर्ष से आगे भी बढ़ायी जा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० ए० शमिम (श्रीनगर) : मैं विरोधी पक्ष की ओर से प्रधान मंत्री को उनके जन्मदिवस पर बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हम सब उन्हे बधाई देते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति के बारे में ध्यान प्रस्ताव की सूचना दी थी। वहां पर पीने के पानी की बहुत कमी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको स्वीकार नहीं किया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आन्ध्र प्रदेश में मुल्की कानूनों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे :

"आंध्र प्रदेश में मुल्की कानूनों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति"

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : भूतपूर्व हैदराबाद रियासत में हैदराबाद सिविल सेवा विनियमावली के अंश के रूप में एक नियम के अधीन यह व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति यदि वह मुल्की नहीं न हो तो किसी भी सरकारी सेवा में, चाहे वह उच्च हों या निम्न, बिना निजाम की विशिष्ट स्वीकृति के नियुक्त नहीं किया जा सकता था। मुल्की दर्जा प्राप्त करने का एक आधार यह भी था कि कम से कम 15 वर्ष तक हैदराबाद रियासत में स्थायी निवास होना चाहिए। वर्ष 1948 में रियासत विलय के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही तथा उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 35 (ख) के अन्तर्गत इसे सुरक्षित रखा गया। वर्ष 1956 में आन्ध्र प्रदेश राज्य के गठन के समय आन्ध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों के नेताओं के बीच सहमति की एक बात यह थी कि सरकारी सेवा में रोजगार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना के लोगों को स्थानीय निवास सम्बन्धी अर्हता के आधार पर मिलने वाले लाभ नये राज्य में भी उस क्षेत्र के लिए जारी रहेंगे। तदनुसार संसद् ने सरकारी रोजगार (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम 1957 पारित किया जिसने मुल्की नियमों की धारा 2 के द्वारा निरस्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार को धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण के अन्तर्गत किसी अधीनस्थ सेवा अथवा पद में नियुक्तियों के सम्बन्ध में तेलंगाना क्षेत्र के भीतर निवास की आवश्यकता रखने वाले नियम बनाने के लिए समर्थ बनाया। इस धारा के अन्तर्गत

बनाए गए नियमों में तेलंगाना क्षेत्र में सरकारी सेवा में भर्ती के लिए उस क्षेत्र में 15 वर्ष के निवास की अपेक्षा को केवल अधीनस्थ सेवाओं तथा तहसीलदारों के पदों के लिए जारी रखा गया, जबकि पहले के मुल्की नियम सभा उच्च या निम्न पदों के सम्बन्ध में लागू होते थे। सरकारी रोजगार अधिनियम तथा धारा 3 के अन्तर्गत बनाए गए नियम, 1959 में लागू हुए और उन्हें 5 वर्ष तक के लिए प्रभावी रखा जाना था। किन्तु यह अवधि बाद में 5-5 साल के लिए दो बार अर्थात् कुल मिलाकर 15 वर्ष के लिए मार्च 1974 तक बढ़ाई गई।

2. सरकारी रोजगार अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को उच्चतम न्यायालय में ए० वी० एस० नरसिंहराव तथा अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य तथा एक अन्य द्वारा चुनोती दी गई और न्यायालय ने दिनांक 28 मार्च, 1969 के अपने निर्णय द्वारा अधिनियम की धारा 3 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों को जहां तक उनका सम्बन्ध तेलंगाना क्षेत्र से था संविधान के शक्तिवाह्य घोषित किया। सम्बद्ध प्रश्नों को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में विभिन्न मुकदमों द्वारा फिर उठाया गया और उच्चतम न्यायालय ने 3 अक्तूबर, 1972 के अपने निर्णय में अन्तिम रूप से यह निर्णय दिया है कि सरकारी रोजगार अधिनियम की धारा 2 भी, जहां तक उसका सम्बन्ध तेलंगाना क्षेत्र से है, खराब है और तेलंगाना क्षेत्र में मुल्की नियमों के अन्तर्गत रखी गयी सरकारी सेवा में भर्ती के लिए निवास सम्बन्धी अर्हता तेलंगाना क्षेत्र में जारी रहेगी।

3. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप जहां तेलंगाना क्षेत्र की ओर से यह मांग की गई है कि सभी सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए 15 वर्ष को स्थानीय निवास की अर्हता को लागू किया जाए, दूसरी ओर आन्ध्र क्षेत्र यह चाहता है कि सरकारी सेवा में रोजगार के सम्बन्ध में तेलंगाना के लोगों को जो भी संरक्षण पहले दिये गये थे उन्हें ही जारी रखा जाए। जब से उक्त निर्णय दिया गया है, राज्य के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के नेताओं के बीच तथा केन्द्रीय सरकार के साथ इस बात के लिए परामर्श जारी है कि इस समस्या का कोई सन्तोषजनक हल ढूंढ निकाला जाए। हैदराबाद जाने से पूर्व राज्य के नेताओं ने इस महीने के आरम्भ में अपनी वार्ता का प्रथम दौर समाप्त करने के बाद हैदराबाद में आगे विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली से रवाना होने से पहले एक वक्तव्य जारी किया था। जिसमें यह विश्वास व्यक्त किया गया था कि वे आन्ध्र प्रदेश के संयुक्त राज्य के ढांचे के भीतर ही किसी समझौते पर सहमत हो जाएंगे। वार्ता अभी भी जारी है और सरकार को आशा है कि शीघ्र ही दोनों पक्षों को अन्य कोई सन्तोषजनक हल ढूंढ निकाल लिया जाएगा।

श्री जी० वेंकटसुब्बया (नंदयाल) : श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न पूछने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैंने कल आपसे आनुरोध किया था कि ये बाते नाजुक स्थिति में पहुँच गई है और प्रधान मंत्री तथा अन्य नेता जन मानस तो विचलित करने वाली इस समस्य का ऐसा हल निकालना चाहते हैं जिस पर सबको सहमति हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि क्या इसे स्थगित किया जा सकता है ताकि इस बारे में एक सिद्धान्त बनाने के लिये उचित वातावरण तैयार किया जा सके। मैंने इस सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत गुप्त से भी बात की थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने क्या कहा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे इसे स्थगित करने का सुझाव दिया था। चूंकि थोड़ा दबाव था इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा। यदि इसे कुछ दिन तक स्थगित किया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसका कारण यह नहीं है कि मैं श्री वेकंटासुब्बया से कम चिंतित हूं। श्री वेकंटासुब्बया ने जो कुछ कहा है उसका तात्पर्य यह है कि हम यहां सभा में अधिक प्रश्न पूछेंगे और सरकार कुछ करेगी अत : स्थिति और जटिल हो सकती है। मेरा ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। यहां चर्चा न करने से हम बाहर क्या हो रहा है उसे नहीं रोक पाये है और हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है।

सरकार के वक्तव्य से ऐसा लगता है मानो स्थिति कतई गंभीर नहीं है। वक्तव्य के अंत में आशा प्रकट की गई है कि शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जायेगा परन्तु जिस ढंग से लोगों का व्यवहार है और रोजाना जो बाते हो रही है उनसे ऐसी आशा नहीं होती कि इस मतभेद पर पारस्परिक समझौता हो जायेगा। मैं केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि इस समय जब, गाड़ियों और बसें नहीं जलने दी जा रही है और यहां तक कि मंत्रीयों के विमानों को विजयवाडा में नहीं उतरने नहीं दिया जा रहा तो स्थिति गंभीर नहीं है तो कब गंभीर होगी ?

अतः यह वक्तव्य पूर्णतया असंतोषजनक है। सरकार ने कहा है कि दोनों पक्ष वार्ता कर रहे हैं और कोई न कोई समझौता अवश्य हो जायेगा। मेरे विचार से स्थिति काफी आगे बढ़ चुकी है और हम काफी समय से चुप्पी साधे बैठे रहे हैं। चाहे आपसी समझौते से या यदि वैसा संभव न हो तो केन्द्र द्वारा निर्णय लेकर घोषणा करने से यदि केन्द्र द्वारा शीघ्र ही कोई हल न निकाला गया, या अगले दो-तीन दिनों में इस मामले को न निपटाया गया तो कोई समझौता नहीं होगा और इसके विभाजन की मांग सामने आयेगी और एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करना होगा जिस विचार का हमारा दल समर्थक नहीं है परन्तु एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य की एकता को बनाये रखने के लिये आंध्र प्रदेश तथा केन्द्र में सत्तारूढ कांग्रेस दल चुप्पी साधे हुए बैठा है।

मैं एक बात कह सकता हूं कि वहां प्रतिक्रियावादी शक्तियां स्थिति का नाजायज फायदा उठा रही हैं। ऐसा समाचार मिला है कि श्री लछन्ना की स्वतन्त्र पार्टी ने आंध्र प्रदेश में जन समुदाय को यह नारा लगाने का आह्वान किया है कि आंध्र प्रदेश का न केवल दो राज्यों में अपितु तीन राज्यों में विभाजन किया जाये। देश के इस भाग के समाचार-पत्रों में ये समाचार नहीं आते हैं परन्तु उस क्षेत्र के समाचार-पत्रों में इसका विषद् वणन है। वे यह मांग कर रहे हैं कि तेलंगाना के लिये एक अलग राज्य, रायलसीमा के लिये एक अलग राज्य तथा सिरकारों का एक अलग राज्य बनाया जाये। स्वतंत्र पार्टी पर प्रभुत्व करने वाले यू-स्वामी जो सिरकार क्षेत्र पर नियंत्रण करते हैं अपने लिये छोटा सा राज्य बनाना चाहेंगे।

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न सब लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। आन्ध्र प्रदेश के संयुक्त राज्य के लिये बहुत लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया था। हमारे जैसे देश में भाषाई एकता के सिद्धान्त की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और यह एक क्षेत्रीय पिछड़ापन है। किसी राज्य के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय पिछड़ेपन को जादू के डंडे से रातों-रात दूर नहीं किया जा सकता। भाषाई आधार पर हमने जो समन्वय चाहा था उससे प्रशासनिक समन्वय ही नहीं रहना है वरन् लोगों की भावनाओं का समन्वय होना है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक शेष सभी समन्वय अस्थिर रहते हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जब से आन्ध्र प्रदेश बना है वहां के नेता दो क्षेत्रों के लोगों में भावनाओं की एकता स्थापित करने में असफल रहे हैं।

ऐसी स्थिति में सबसे प्रमुख गैरजिम्मेदाराना जो कार्य किया गया है वह यह है कि कुछ लोग जान-बूझकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या कर रहे हैं। केन्द्र अधिकारपूर्वक यह बताने में असफल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की यह व्याख्या है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद जब सबसे पहली बार युवा वर्ग, छात्र और अराजपत्रित अधिकारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया वह उन्हें जो बताया गया और उसी आधार पर ऐसा किया गया। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि जनसाधारण में कितने लोगों ने वास्तव में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पढ़ा है। किसी ने आकर उन्हें कह दिया कि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है उसका यह तात्पर्य है मानों उच्चतम न्यायालय ने पुराने मुल्की कानूनों को पूर्णरूपेण वैध घोषित किया हो। यह बात नहीं है। इसे सब जानते हैं।

मुल्की कानूनों की वैधता के बारे में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के ठीक अना में लिखा है कि 'यह मामला संसद के लिये है, हमारे लिये नहीं है। हमारा तो केवल उनकी वैधता के साथ सम्बन्ध है।" परन्तु दुर्भाग्यवश लोगों को यह विश्वास कराया गया है कि मुल्की कानूनों को इस ढ़ंग से पुनः लागू किया जा रहा है कि आन्ध्र क्षेत्र के लोगों को उससे भारी नुकसान होगा।

क्या मंत्री महोदय ने इस बात पर विचार किया है कि सरकार की राय में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और 1970 में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत और खुले रूप से दिये गये वक्तव्य में कितना अंतर है?

मुझे पता नहीं है कि 1970 में प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से स्थिति पर सहमत होने और उसे स्वीकृत करने से लेकर 1972 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बीच क्या कुछ हुआ है। जो एक मात्र अन्तर मुझे दिखाई देता है वह यह है कि अब कुछ लोग चाहते हैं कि तेलंगाना क्षेत्र के लोगों के लिये आरक्षण अथवा संरक्षण तेलंगाना के जिलों तक ही सीमित हो, हैदराबाद नगर पर वह लागू न हो। हैदराबाद नगर को एक अलग प्रकार की श्रेणी में रखा जाये। अब यह परिवर्तन क्यों? हमारा दल इस बात का समर्थन करने की स्थिति में नहीं है।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि इसके हल का आधार है। आन्ध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों, सभी दलों जिनमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, के 79 विधायकों

ने अब यह स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर कर दिये हैं इसमें जो बात सुझाई गई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। उस वक्तव्य में निम्न बातें कही गई हैं :—

1. जिला स्तर तक की सेवाओं को क्षेत्रीयकृत किया जाये।
2. संयुक्त विभागों में आन्ध्र और तेलंगाना के बीच 2:1 का अनुपात क्रियान्वित किया जाये।
3. क्षेत्रीयकरण की अवधि आपस में तय की जाये।
4. हैदराबाद नगर में रहने वाले आंध्र के लोगों के बच्चों के लिये शिक्षण, सुविधाएं दी जाये।

मैं यह भी प्रस्ताव करूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 16(3) में उचित संशोधन करने का केन्द्र का उत्तरदायित्व है परन्तु वह इस पर चुप है।

मुझे उस वक्तव्य से संतोष नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार अपनी उत्तरदायित्व संभालने से इन्कार कर रही है। कांग्रेस के दोनों पक्षों में इस मामले पर मतभेद है, अतः इस मामले पर प्रकाश डालिए।

क्या केन्द्र इस बात के लिये तैयार है कि यदि शुक्रवार तक पारस्परिक समझौता नहीं हुआ तो वह स्वयं निर्णय करके एकीकृत आंध्र प्रदेश राज्य उचित हल निकालने के मामले में उस निर्णय को क्रियान्वित करना सुनिश्चित करेगा ताकि संतोषजनक ढंग से यह मामला निपट जाये?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : थोड़े से समय में संक्षिप्त भाषण दिया गया है।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने बहुत सी बात उठाई हैं। यह कहा गया है कि केन्द्र इस मामले पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दे रहा है। यह मामला वास्तव में गंभीर है और केन्द्रीय सरकार चाहती है कि इसे शीघ्र और गंभीरता से निपटाया जाये परन्तु इस मामले में कई नाजुक और महत्वपूर्ण बात शामिल हैं जिन्हे अलग करना है। सरकार यह कोशिश कर रही है कि इस मामले में जिन लोगों का हित है वे परस्पर समझौता कर ले। सरकार जिस गंभीरता से इस मामले पर ध्यान दे रही है वह इससे स्पष्ट है कि श्री चव्हाण हैदरावाद गये और वहां वह विभिन्न दलों, संघों आदि से इस मामले के सम्बन्ध में मिले। दिल्ली में भी परामर्श जारी है। जब तक काफी बड़ी संख्या में लोग किसी निर्णय पर सहमत न हों तब तक आन्ध्र प्रदेश के लोगों पर कोई हल थोंपा नहीं जा सकता। वह परामर्श की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो सकता है और वह लगातार जारी है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : आन्ध्र प्रदेश पर इस समय दो संकट है, जिनमें से एक सर्वोच्च-न्यायालय का फैसला है जो आदमी का लाया हुआ है और दूसरा प्राकृतिक का वहाँ का सारा

जीवन अस्त व्यस्ता हो गया है। चारों ओर आतंक का राज्य है। इस फैसले, के कारण पैदा हुई स्थिति में सरकार समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या हैदराबाद के लोगों को अपने ही राज्य में समानता के व्यवहार के ओर अवसर मिलेंगे? क्या हैदराबाद के लोगों के परिक्षण और प्रयत्नों के कारण होने वाली आय का उसको विकास के लिए उपयोग किया जायेगा? जब भी आर्थिक असमानताएं उत्पन्न होती हैं तब ही इस प्रकार की गड़ बड़ी होती है। जहाँ भी पिछडा होगा वहाँ एकता की भावना नहीं आ सकती अतः क्या अब इस सारी स्थिति की जांच की जायेगी, जिससे भावनात्मक एकता स्थापित की जा सके?

सेवाओं के सम्बन्ध में पब्लिक एम्प्लायमेंट एक्ट के अनुसार संसद के अधिनियम के द्वारा 1974 तक की सीमा रखी गई है। प्रश्न यह है कि क्या इसे 1974 से भी आगे तक बढ़ाया जायेगा अथवा क्या इसे उचित वातावरण बनाने के लिए इस असमानता को समाप्त कर दिया जायेगा।

आन्ध्र की जनता केन्द्र के इस मत से सहमत है कि इस समस्या का हल स्थानीय लोगों द्वारा ही निकाला जाना चाहिए। हमें प्रधान मंत्री की सामर्थ्य में पूरा विश्वास है।

क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाये, वहाँ विकास बोर्डों की स्थापना की जाये, समानान्तर विधान सभाओं की नहीं।

श्री रामनिवास मिर्धा: सदस्य महोदय ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। उन्होंने एक मत रखा है। उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। केवल मात्र एक प्रश्न उन्होंने पूंछा है कि क्या सरकार उस समस्या की ओर सही-सही ध्यान दे रही है। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है हम इस पर गम्भीरता से कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल): मुझे खेद है कि तथ्यों के जाने बिना श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह कहा है कि यह आन्दोलन जमींदारों द्वारा चलाया गया हैं।

जैसाकि श्री वेकंटासुब्बया ने पब्लिक एम्प्लायमेंट एक्ट का जिक्र किया था वह आन्ध्र के कर्मचारियों के पहल करने पर समाप्त कर दिया गया था, इसके लिए तेलंगाना के लोग जिम्मेदार नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुल्की नियमों को मानने पर भी अभी तक उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में इस को ले जाने का निर्णय आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिया था। वह कानून तौर पर ऐसा करने को बाध्य है।

यह राज्य का विषय है। केन्द्र को इससे कोई लेना देना नहीं है आन्ध्र प्रदेश के अस्तित्व से पहले ही मुल्की नियम वहाँ थे। उस समय वहाँ निजाम का राज्य नहीं था, कांग्रेस का राज्य था और उसके बाद से वे अब तक लागू होते चलते रहे।

तेलंगाना को आन्ध्र प्रदेश में मिलाते समय राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी यह बात कही थी कि तेलंगाना के लोगों को डर है कि उन्हें उपनिवेशकी स्थिति में

रहना पड़ेगा आदि विकसित क्षेत्र के लोग उन पर प्रभुत्व जमोद रहेंगे। फिर भी हमें अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। 1969 में अलग तेलंगाना राज्य के लिए एक आन्दोलन चला था। वह किसी राजनीतिक दल ने नहीं चलाया था वरन् छात्रों आये राज्य कर्मचारियों द्वारा चलाया गया था क्योंकि जो सुरक्षाएं देने का हमें वादा किया गया था वे नहीं की गई थी। तेलंगाना से 107 करोड़ रुपये के लिए गये और उसे आन्ध्र क्षेत्र में खर्च किया गया अतः विलय से पहले तेलंगाना के लोगों और राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो मन व्यक्त किया था वह सच निकला क्योंकि आन्ध्र प्रदेश का विधान सभा में बहुमत रहा था और तेलंगाना की अल्प मत में था। मुख्य मंत्री भी वहीं का रहा। अब प्रधान मंत्री की हस्ताक्षर पर तेलंगाना का मुख्य मंत्री बना है।

मैं अब यह जानना चाहता हूं कि समय-समय पर तेलंगाना के लोगों से किए गये वायदों को कब पूरा किया जाएगा। इस अस्थिरता की स्थिति को कब समाप्त किया जाएगा।

तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने में क्या कठिनाई है। जबकि पूर्वी क्षेत्र में घोरे राज्य बनाने में कोई एतराज नहीं फिर इस क्षेत्र में उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। फिर तेलंगाना के लिए सब कुछ जैसे योजना निकाय, क्षेत्रीय समिति, बजर आदि सब अलग ही हैं तब अलग राज्य बनाने में क्या कठिनाई है। मैं आन्ध्र वासियों से कहना चाहता हूं कि तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश दो अलग -अलग राज्य बनाना हम सबके हित में होगा।

श्री राम निवास भिर्धा: इसमें उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं है।

श्री एस० बी० गिरि : सरकार ने अब तक तेलंगाना को अलग-अलग राज्य बनाने के प्रश्न पर विचार क्यों नहीं किया ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह कोई प्रश्न नहीं हुआ यह तो रय रयया वाक्य है जो बार-बार कहा गया है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : तेलंगाना के लोगों ने बड़ा सहन किया है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे है अतः यह कार्यवाही में नहीं दिया जाएगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव :***

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्सस मंत्री, गृह मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हम राज्य समस्या के समाधान के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे है। यह कहना गलत है कि लोगों को सहमत करना असम्भव है। मैं यह समझती हूं कि जब आदमी भावनाओं में बह जाता है तब वह इस

***कार्यवार्थ वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया Not recorded

प्रकार ही सोचता है। ऐसे कई अवसरों से हम गुजरे हैं। और उनका समाधान हमें मिला है। अत: मैं चाहता हूं कि श्री गिरि कृपा करके शांत रहे। हम तेलंगाना के लोगों को कष्ट में नहीं डालना चाहते और आन्ध्र के अन्य भागों के लोगों का भी ध्यान रखना चाहते हैं। दोनों को ही यह सब्न्ध लेना चाहिए कि हम यथा संभव संतोष-जनक हल निकालने का प्रयत्न करेंगे।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप तेलंगाना के लोग ही दुखी नहीं है वरन् आन्ध्र के लोग भी इससे भी कहीं अधिक सुखी हैं।

हम तेलंगाना अथवा अन्य किसी पिछडे भाग के लोगों को नौकरियों, राजस्व आदि में उनका उचित भाग देने से मना नहीं करते, वह उन्हें अवश्य मिलना चाहिए।

वास्तविकता यह है कि यह आन्दोलन किसी असमाजिक तत्व अथवा जमींदार के द्वारा नहीं उठाया गया है। यह तो एक वास्तविकता है जो अवश्य होती है और हर जगह और हर अवसर पर होती है। जब भी किसी के अधिकारों में कुछ परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जाता है। आन्ध्र राज्य का निर्माण ही इन समस्याओं को लेकर हुआ था पर उसे हल करने के लिए, लोगों में एकता की भावना पैदा करने के लिए उचित ढंग नहीं अपनाया गया है।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस ढंग में परिवर्तन किया जा सकता है। तेलंगाना में सभी कार्यों के लिए अलग निकाय, आयोग अथवा समितियां बनी हुई है। पर फिर भी उसे आन्ध्र का एक अंग माना जा रहा है। क्या यह विरोधाभास नहीं है। (व्यवधान). यही कारण है कि वहाँ एक के बाद एक आन्दोलन होते रहे हैं, प्रदर्शन होते रहे है। अत: मैं चाहता हूं कि २:१ के अनुपात से यदि वहां के सब कार्य किए जाये और प्रथकता की भावना वाली तेलंगाना क्षेत्रीय समिति आदि को समाप्त कर दिया जाये तो इस समस्या का संमाधान हो सकता है। कोई और समाधान हमें सन्तोष न दे सकता।

श्री राम निवास मिर्धा: माननीय सदस्य ने तेलंगाना को दी गई क्षेत्रीय सुरक्षाओं का जिक्र किया है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये उस क्षेत्र के पिछड़े पन और उसकी विशेष स्थिति के कारण दिए गये थे। और सदस्य उन्हें उसी भावना से लेंगे।

श्री के० लकप्पा (तूमकर) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा इस संबन्ध में व्यक्त किए गये विचारों से पूर्णत: सहमत हूं। आन्ध्र अथवा तेलंगाना अथवा अन्य किसी भाग के नागरिक को समान आदर और उन्नति के अवसर मिलने ही चाहिए, संविधान और गणतन्त्र की दृष्टि से भी।

भुल्की नियमों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालयों के निर्णय इस समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि असली समस्या मानवीय आर्थिक और समाजिक है क्योंकि आन्ध्र और तेलंगाना के कुछ भागों के लोग उन्नत नहीं है।

मैं प्रथक्कता नहीं चाहता। कुछ तन्व वहाँ प्रथक्कता की भावना फैला रहे हैं और आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना का अलग-अलग राज्य बनाते चाहते हैं। प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्र हैं, अत: इस प्रकार हर जगह अलग राज्य बनाए जाने चाहिएं। ये प्रतिक्रिया-वादी इस बात का लाभ उठा रहे हैं।

यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो यह बीमारी अन्य राज्यों में भी फैल जाएगी। अत: क्या वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार इसके समाधान के लिए शीघ्रता को कोई कदम उठायेगी और उसका कोई समाधान ढूढ़ेगी ।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है हम समस्या के समाधान के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अभी बैंलट में आए सदस्य ही बोल सके हैं। सबको बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सब ओर के मन पूरी तरह व्यक्त किए जा चुके हैं। चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए समय भी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसी विरोधी दल के सदस्य ने अपने विचार नहीं रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ समय प्रतीक्षा करें, मैं इस सम्बंध में बाद में बताऊंगा (व्यवधान)

बालयोगेश्वर के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में

Re. Statement about 'Balyogeshwar'

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : बालयोगेश्वर के बारे में मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इतने सारे सदस्य एक साथ न बोलें।

श्री बी० एन० रेड्डी : मेंने इस आशय का नोटिस दिया है कि मंत्री महोदय के वक्तव्य पर विकार किया जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : उसे गिरफ्तार किया जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सीमा शुल्क अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सरकार द्वारा वक्तव्य न देने का क्या कारण है ? क्या वे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए पूजा कर रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर इतने सारे सदस्य एक साथ बोलेंगे, तो कुछ भी रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा। मैंने मंत्री महोदय के पास सदस्यों का अनुरोध भेज दिया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, you might recall that the Minister of State in the Ministry of Home Affairs had promised that enquiry regarding Kingsway Camp incident, would be completed within four days. But according to my information, no enquiry has been made so far.

Mr. Speaker : You should give in writing.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I would give in writing.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उड़ीसा परिवहन कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदन और उनकी समीक्षा

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ:—

(१) कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६१८क की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम), का वर्ष १९७०–७१ के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर, (गंजम), का वर्ष १९७०–७१ सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन।

(तीन) उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर (गंजम) के वर्ष १९७०–७१ के सम्बन्ध में निदेशकों का प्रतिवेदन और लेखे का विवरण तथा उनपर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(२) उपर्युक्त पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी-३७३९/७२]

चीनी (मूलय अवधीकरण) दूसरा संशोधन आदेश

कृषी मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री० शेर सिहँ) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत चीनी (मूल्य अवधारण) दूसरा संशोधन आदेश, १९७२ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजयपत्र, दिनांक ११ सितम्बर, १९७२ में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० ४०७ (ड) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—३७४०/७२)

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

दुठार हवां प्रतिवेदन

संसदी कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के १८वें प्रतिवेदन से जो १७ नवम्बर, १९७२ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक मामले पर चर्चा के बारे में आपकी अनुमति के लिए पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक स्वीकृत प्रक्रिया है कि इस प्रकार के सुझाव तब देने चाहिए, जब मंत्री महोदय अगले सप्ताह के लिए कार्यवाही की घोषणा करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चिथडा काण्ड के बारे में आपने स्वयं सदन में कहा था कि इस विषय पर काफी आक्रोश है और इस पर बहस करने के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में यह प्रश्न उठा सकते है। प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के १८वें प्रतिवेदन से, जो १७ नवम्बर, १९७२ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

विमान वहन विधेयक

CARRIAGE BY AIR BILL

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० करण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन से सम्बन्धित कतिपय नियमों के एकीकरण के लिये वारसा में सन् 1929 के अक्तूबर के बारहवें दिन हस्ताक्षरित अभिसमय का तथा सन् 1955 के सितम्बर के अट्ठाईसवें दिन हेग प्रोटोकोल द्वारा तथा संशोधित उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिये और उक्त अभिसमय में, उसके मूल तथा संशोधित रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को (अपवादों, अनुकूलों और उपान्तरों के अधीन) एसे विमानवहन पर, जो अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन नहीं है, लागू करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन से सम्बन्धित कतिपय नियमों के एकीकरण के लिये वारसा में सन् 1929 के अक्तूबर के बारहवें दिन

हस्ताक्षरित अभिसमय कम तथा सन् 1955 के सितम्बर के अट्ठाईसवें दिन हेग प्रोटोकोल द्वारा यथा संशोधित उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिये और उक्त अभिसमय में, उसके मूल तथा संशोधित रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को (अपवादों, अनुकूलों और अपान्तरों के अधीन) ऐसे विमानवहन पर, जो अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन नहीं है, लागू करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

डा० कर्ण सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

(तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए ढाई बजे म० प० तक स्थागित हुई)

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Half past fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर पैंतीस मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Thirty-five Minutes Past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1969–70 सम्बन्धी 19 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव (जारी)

Motion Re. Nineteenth Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1969-70

श्री के० मारक (तुर) : योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री त्रिलोक सिंह ने कुछ वर्ष पूर्व कहा कि गारो हिल्स और असम के अन्य पहाड़ी जिलों में विकास कार्य बहुत ही कम हुआ है।

सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सराहनीय कार्यक्रम और नीतियाँ बनाई हैं, परन्तु नीतियों और उसके वास्तविक क्रियान्वयन में काफी अन्तर है।

कुछ परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सरकार व्यापारिक दृष्टिकोण से सोचती है लाभ पहले और जनता को फायदा बाद में। कुछ परियोजनायें अनुवती कार्यवाही न होने के कारण असफल हो जाती है।

काफी, काजू और काली मिर्च आदि की खेती के लिए सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता दे रही है। कुछ व्यक्तियों ने दो तीन हजार पेड़ लगाये हैं, परन्तु उनके उत्पादों के लिए कोई खरीदार नहीं मिलता। और कीमत मिलती भी है, पांच या छ: आने

किलो मिलती है, जिसमें मजदूरी और परिवहन व्यय भी नहीं निकल पाता। भूमिग खेती करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता है, जिससे जंगलों के मूल्यवान वृक्षों की बरबादी होती है। इस प्रकार की बरबादी को रोकने के लिए कोई विकल्प ढूंढ़ने के लिए सरकार को गम्भीर उपाय करना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से वहां पर्यटन सुविधाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पर्यटन बंगलों, विश्राम ग्रहों आदि की स्थापना की जानी चाहिए। ब्रहमत्र नदी के दक्षिणी ओर रेलवे लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे ग्वालपाड़ा, गारो हिल्स और कामरूप जिलों को लाभ होगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट में कई अच्छे सुझाव और सिफारिशें की गई हैं, परन्तु इनमें से अधिकांश को या तो क्रियान्वित ही नहीं किया गया है अथवा अशंत क्रियान्वित किया गया है। जनजातियों की जमीन पर कब्जा रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कानून बनाये हैं, परन्तु जनजातियों को अभिमुख विशेष लाभ नहीं पहुँचा है। वेधालय का सर्वेक्षण करने के लिए अधिक संख्या में आदिवासी ब्लाकों की स्थापना की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार किया जाना चाहिए। शिक्षा रोजगारोन्मुख होनी चाहिए। दुर्गम स्थानों में बच्चों को अधिक संख्या में भर्ती करने, प्रशिक्षित अध्यापकों, स्कूल की इमारत और होस्टलों की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

कुछ व्यक्ति यह प्रस्ताव देते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो सदस्य ईसाई धर्म को ग्रहण कर ले, उसे विशेष सुविधायें नहीं दी जानी चाहिए। क्या ईसाई धर्म को ग्रहण करने से गरीबी भी दूर हो जायेगी। धर्म निरपेक्ष राज्य में यह विचार घातक है।

पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था और विदेशों में अध्ययन के लिए अधिक संख्या में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : जाति प्रथा अब भी पूरी तरह से अपनी जड़ जमाए हुए है। संसद और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से हमें यह देखना है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को कितना लाभ पहुंचाया जा सकता है। संविधान के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है, परन्तु वह अब भी जारी है। यही नहीं, हरिजनों पर अत्याचार और शोषण किये जाने की असंख्य घटनायें हो रही है।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का संशोधन करने के लिए एक विधेयक इस सदन म पेश किया गया था। यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया गया था और उसका मैं सभापति था। इस समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया था। सभी राज्यों में पुलिस के महानिरीक्षक और ग्रह सचिव सहित सभी आधिकारियों ने यही कहा है कि उनके

राज्य में अस्पृश्यता नहीं है और इस प्रकार वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास किया गया है। हरिजनों के कल्याण-कार्य में संलग्न संगठनों ने छुआछुत को बड़ा चढ़ाकर बताया था।

सरकारी नीतियों के क्रियान्वय के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों का हरिजनों के प्रति दृस्टिकोण अभी भी पहले जैसा ही है। इसलिए जाति प्रथा को जब तक समूल नष्ट नहीं किया जाता, हरिजनों को कोई लाभ नहीं हो सकता है।

महुंगाई बढ़ती जा रही है, परन्तु छात्रवृत्ति की राशि स्थिर ही है। इसलिए मैं मॉग करता हूं कि हरिजन छात्रों की व्यवस्थाओं का समाधान करने के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर कम से कम 100 रु० होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट और अल्पसंख्याकों के बारे में सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए आयुक्त के पास अधिकार होने चाहिए। आयुक्त की स्थिति इस समय एक कलर्क की तरह ही है। मेरा अनुरोध है कि उसे फिर से सवैधनिक स्थिति के अनुसार महत्व और अधिकार प्रदान किये जाये।

संविधान के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय आयुक्तों के पदों और समाज कल्याण निदेशालय को समाप्त कर दिया गया है। समाज कल्याण निदेशालय से हरिजन वर्ग को कोई लाभ नहीं पहुंचा है; अतः क्षेत्रीय आयुक्तों की फिर से नियुक्ति की जानी चाहिए।

जब हम सदन में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज्य पर चर्चा कर रहे थे। तब यह कहा गया था कि इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की दशा सुधारने में सहायता मिलेगी। परन्तु यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों के साथ शिक्षा तथा अन्य मामलो में होने वाले व्यवहार की आलोचना की है, पैरा 34 में कहा गया है कि समाज के निर्बल वर्गों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए पंचायत समितियों ने अपेक्षित कारवाही नहीं की है, पैरा 39 में बताया गया है कि निर्हत स्वार्थ के व्यक्ति शिक्षा के मामले में रोड़ अटका रहे हैं।

पंचायतों, जिला परिषदों, गांव पंचायतों आदि में अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ भेद-भाव बढता जाता है, जिला परिषद का एक अध्यक्ष अनुसूचित जाति का नहीं है, इनकी सहायता के लिए जो धनराशि दी जाती है उसे अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, आयुक्त ने पैरा 41 में आलोचना की है कि जब तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम-जाति के सदस्यों के लिए अलग से सांविधिक रूप से धनराशि नियत नहीं की जाती है तब तक उनकी कई कारणों से, जैसे सामाजिक विषमताएं निम्न शिक्षा का स्तर आदि, उपेक्षा की जाएगी।

मेरा अनुभव रहा है कि लोकतंत्री विकेन्द्रीकरण प्रणाली ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया है, संसदीय प्रणाली लाने का उद्धेश्य इन निर्बल वर्ग को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय देना था परन्तु आज विधान मंडलों में स्थिति क्या है? आज भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों को केवल उनके लिए आरक्षित स्थानों से चुना जाता है, उनको गैर आरक्षित स्थानों से चुना जाना चाहिए ताकि उनको विभिन्न विधान मंडलों के लिए चुना जा सके।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यकारिणी सरकार, मंत्रालय आदि में इनको जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है? लोकतंत्र में सहमति आवश्यक होती है परन्तु क्या कार्यकारिणी और सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों के विचारों का प्रतिबिंब दिखाई देता है?

प्रशासनिक सेवाओं के मामलों में इनके लिए आरक्षित कोटे को नहीं भरा गया है। मेरे विचार में हमारी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों, की भावनाओं को समझती हैं इसलिए उन्हें समाज कल्याण विभाग को स्वयं अपने अधीन लेना चहिए।

सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों की आवश्यकताएं पहले से बढ़ गई है, उनमें यह भी भावना घर कर गयी है कि सरकार उनके लिए कुछ भी करने मे असमर्थ है, सरकार को इस दिशा में अवश्य कुछ करना चाहिए।

मेरी समूचे देशवासियों से अपील है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों को शेष समाज से कब तक अलग रखा जाएगा? सवर्ण हिंदुओं और इन लोगों के मध्य खड़ी दीवार को गिराने के लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए अन्यथा उनके मन में नौराश्य और विद्वेष की भावना जारी रहेगी।

अन्त में मेरा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों से अनुरोध है कि हमें अपनी शिकायतों को रखने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश में लोकतंत्री प्रणाली समाप्त हो जाए, हमें हर कीमत पर संसदीय लोकतंत्री प्रणाली को जीवित रखना चाहिए जिससे हम अपनी भावनाओं तथा । हच्छाओं की अभिव्यष कर सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपने संशोधन वापस ले ले।

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम): मैं प्रतिवेदन में उल्लिखित दो उद्धरणों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि मार्च 13 को राजस्थान के एक जिले से पुलिस चार हरिजन महिलाओं को उठाकर ले गई और उनके साथ उन्होंने बलात्कार किया, दूसरे उद्धरण के अनुसार 28 जुलाई, 1971 को टोंक जिले में पुलिस ने एक हरिजन को पीटा थी तथा उसके सामने उसकी पत्नी के साथ बलाकर किया गया, आज स्वतंत्रता के 25 वर्ष के बाद भी इनकी यह हालत है, यह स्थिति अन्य राज्यों की भी है जहां हरिजन

महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी सम्पत्ति लूटी जाती है तथा उनके मकान जलाये जाते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त अन्यान्य समितियों के प्रतिवेदन में भी यही बात परिलक्षित होती है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसका समाधान खोज सकती है? अन्यथा क्या आप हमें कानून अपने हाथों में लेने की अनुमति देंगे ताकि हम अपने ऊपर होने वाले अन्याय का प्रतिकार कर सके। हम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मैं सवर्ण हिंदुओं को चुनौती देता ह कि यदि वे हरिजनों के साथ दो-दो हाथ करना चाहें तो वे आ सकते हैं। हमें घर भोजन, वस्त्र आदि नही दिये जाते हैं ।परन्तु हमे भगवान पर विश्वास हैं, जो उम पर कुदृष्टि डालेगा, हम उसका नाशकर देंगे

श्री जगन्नाथ राव दिये जोशी : परन्तु सरकार तो भगवान पर विश्वास नहीं करती है।

श्री बी० एस० मूर्ति : माननीय सदस्य के दल ने हमारे लिए क्या किया है। वे गाय के लिए चिन्तित हैं परन्तु हरिजनों के लिए नहीं । हमारा साथ परमात्मा देगा और हम इसी के संहार अन्याय से लडेंगे यह एक आश्चर्य की बात है कि सवर्ण हिंदु ही हमारे धोरे शत्रु हैं। वे हमारा नाम लेकर भी बुलाना नहीं चाहते। यदि कोई हरिजन ईसाई धर्म अंगीकार करता है तो वे उससे अच्छी तरह से बात करेंगे परन्तु यदि मैं उनसे बात करना जाऊं तो वे मेरे साथ बात नहीं करना चाहेंगे धर्म परिवर्तन के साथ व्यवहार कैसे बदल जाते हैं उपनिषेद, वेद, पुराण के समय से हमे पंचमा अथवा पांचवी जाति के नाम से पुकारा जाता रहा है और आज भी यही सजा अपनायी जा रही है,। क्या इसमें कोई परिवर्तन आया है । यह सब जातिगत भेदभाव के कारण हुआ है ।

मेरा जाति से कोई झगडा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इसे समाप्त किया जाये परन्तु जाति के नाम पर अब निर्धनों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। प्रधान मंत्री ने हमको गरीबी हटाओ का नारा दिया है । भारत के 52 करोड़ लोग गरीब हैं। यदि ये लोग विद्रोह करते हैं तो विशेषाधिकार प्राप्त अमीर व्यक्तियों का क्या होगा, केनेडी ने कहाथा कि हमें निर्धन व्यकितयों की सहायता करनी चाहिए अन्यथा हमारे लिए सम्पन्न व्यक्तियों की रक्षा करना कठिन हो जाएगा। मैं इस बात के लिए उत्सुक हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित आदिमजाति के सदस्य भारतीथ जीवन धारा के अंग बन जाएं। परन्तु मेरी आशाएं असत्य सिद्ध हुई हैं। मुझे यह देखकर निराशा हुई है कि हिंदु अपने विचार नहीं बदल रहे है।

हम सब व्यक्तियों के रोटियों के टुकड़ों के भिखारी नही है। हम समान अधिकार चाहते हैं। राज्य सरकारें निर्बल वर्गों के उत्थान जैसे राष्ट्र निर्माण संबंध कार्यों की उपेक्षा कर रही है। मैं प्रधान मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने भूमि की अधिकतम सीमा तथा शहरी संपत्ती की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निश्चय कर लिया है। ऐसा करने से संपन्न व्यक्तियों द्वारा निर्धन व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने गत आम चुनावों में कांग्रेस हाई कमान को यह आदेश देकर बड़ा अच्छा कार्य किया है कि 60 अतिरिक्त कांग्रेस] उम्मीदवार बार पिछ डें तथा निर्बल समुदायों से लिये जाय, इस प्रकार एक संपन्न वर्ग से आर्थिक तथा राजनैतिक अस्त्र होने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसी के सहारे निर्बल वर्गो पर अत्याचार किये हैं।

मेरे सामने ऐसे उदाहरण आए हैं जिनसे पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिमजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित रोजगारों में नियुक्तियां नहीं की गई हैं। इसका कारण यह है कि नियुक्ति अधिकार सवर्ण हिन्दू होते हैं। और वे इन निर्बल वर्गों के लोगों को उनके अधिकारी से वंचित कर देते हैं। जब भी हमारी जाति का कोई युवक रोजगार के लिए जाता है तो उसे इसलिये अयोग्य करार कर दिया जाता है क्योंकि वह सवर्ण हिंदु है।

यह कहा जाता है कि धन की कमी के कारण अपेक्षित कार्य नहीं किया जा रहा है। पूर्वी पाकिस्तान, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका और अब युगांडा के शरणार्थियों पर व्यय किया जाने वाला धन कहां से आया है। हमने याहया खाँ के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए अपना धन-जन सब कुछ लगा दिया। क्या कभी हरिजनों और गिरिजनों के हितों की रक्षा करने के लिए पुलिस ने कभी कोई कार्यवाही की है ?

मुझे परमात्मा पर अटूट विश्वास है और मुझे यह भी विश्वास है कि हमारे देश में ऐसी लोकतंत्रात्मक संसदीय सरकार स्थापित होगी जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्य महत्व पूर्ण भूमिका अदा करेंगे, सरकार को जी सिध्दैय्या द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए ताकि पिछडे वर्गों की कठिनाइयों को हल किया जा सके अन्यथा देश की प्रगति तथा एकता खतरे में पड़ जाएगी।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा): यह एक रोजामर्ण की बात हो गई है कि हम प्रति वर्ष अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा करत है। संविधान निर्माताओं ने जो लक्ष्य निर्धारत किया था उसे हम दुर्भाग्यवश प्राप्त नहीं कर सके हैं। 25 वर्ष के बात भी हम उस बात को दोहरा रहे हैं परन्तु वस्तुत कुछ भी नहीं किया गया है।

जहां तक अखिल भारतीय सेवा श्रेणी I का संबंध है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत कोटी में से केवल 2 प्रतिशत 1 कोरे पर नियुक्त की जा सकी है और अनुसूचित आदिमजाति के लिए आरक्षित $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कोटे में से केवल 0.57 प्रतिशत कोटे पर नियुक्ति की जा सकी है। यह आंकड़े इस संबंध में हुई धीमी प्रगति को दर्शाते हैं। हम कहते है कि एक समय ऐसा आयेगा जब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के सदस्य प्रगति कर सकेंगे तथा राष्ट्रीय जीवन के साथ एकाकार हो जाएंगे। जब तक हम कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं तब तक उनके कल्याण के लिए किये जाने वाले प्रयास असफल ही सिद्ध होंगे।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

[Shri K.N. Tiwary in the chair]

इस सम्बन्ध में समूचा सरकारी तंत्र उदासीन लगता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें समाज के सभी वर्गों, अधिकारियों, मंत्रियों की रुचि होनी चाहिए। आशा है कि मंत्री महोदय श्री एम० एम० सिध्दैय्या द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्र-वृत्तियों को बढाये जाने की आवश्यकता है। जो कि २५ वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार सभी राज्यों में सहायक आयुक्तों की संख्या बढायी जानी चाहिए ताकि इस दिशा में संगठित रूप से प्रयास किया जा सके। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति कल्याण संबंधी समिति को देश के विभिन्न भागों में दौरों के समय यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उपयुक्त प्रत्याशियों का अभाव है, मुझे आशंका है कि उसका कारण अधिकारियों, मंत्रालय आदि की उदासीनता है। यदि आप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के लिए आयुक्त के कार्यालय को सुदृढ़ बताते हैं तब उपयुक्त प्रत्याशियों के मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस सम्बन्ध में क्रान्तिकारी विचार तथा कार्यवाही की आवश्यकता हैं। इस प्रकार की रोजमर्ण की चर्चाओं से कुछ लाभ नहीं होगा।

जहां तक अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों का संबंध है, उनका हर प्रकार से शोषण किया जा रहा है। संविधान निर्माताओं ने किसी को आदिमजाति का सदस्य मानने के लिए तीन मानदंड निर्धारित किये हैं यथा आदिम जाति मूल होना, आदिमकालीन सामाजिक दर्जा होना और दुर्गम स्थानों में निवास स्थान होना। परन्तु आज संबंधित अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लिखित मानदंड की अवहेलना कर रहे हैं। किसी आदिम जाति को अनुसूचित आदिमजाति न मानने या मानने के लिए अनुच्छेद 342 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी सार्वजनिक अधिसूचना देखनी चाहिए। इसके साथ ही इस अधिसूचना को संशोधित करने का अधिकार केवल संसद को ही होना चाहिए।

आज स्थिति यह हो गई है कि कोई भी व्यक्ति आदिमजाति प्रमाणपत्र दिखाकर अपने को आदिमजाति का सदस्य सिद्ध कर सकता है चाहे वह वस्तुत, आदिमजाति का सदस्य न हो। अनुसूचित जाति की सूची में यदि कभी भी कोई नई जाति को शामिल किया जाता है तब उसको संविधान में संशोधन करके शामिल किया जाना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद 342 (2) में बताया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हर कोई अपने को आदिमजाति का सदस्य बना लेता है। अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति के सदस्यों के कलयाणार्थ व्यय किया जानेवाला धन बहुत ही कम है।

सरकार अनुसूचित जाति और आदिमजाति के लिए आयुक्त तथा अन्यव्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करती है वह इन वर्गों के सदस्यों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर रही है, गृह मंत्रालय को इस प्रकार के मामलों पर तत्काल तथा तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। अनेक व्यक्तियों ने किसी प्रकार आदिमजाति प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर अपने को इस जाति का सदस्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। सरकार को इसका प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की कथनो और करनी मे बड़ा अन्तर है। यदि कोई सदस्य सरकार के समक्ष ऐसी धांधली के समाचार लाता है तो उसको सदस्यता की जांच तत्परता से की जानी चाहिए, परंतु सरकार दुलमुल गति से चलती है, ऐसे भी उदाहरण है जहां आंगल भारतीय आरक्षित स्थानों से चुन कर आये हैं। आज स्थिति यह है कि कई लोग अपने आपको आदिमजाति का सदस्य गलत ढंग से सिद्ध करके लाभ कमा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के विदर्भ में लगभग 12 लाख आदिमजातियों को अनुसूचित आदिमजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार आसाम में इनकी संख्या 20 लाख कर दी गयी है, अनुसूचित आदिमजातियों को प्राप्त सुविधाएं इनको उपलब्ध नहीं हैं, सरकार को कार्यकारी आदेश जारी करके अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य होने के लिए आदिमजाति मूल का होना अनिवार्य करना चाहिए। अन्यथा इसकी आड़ में कई व्यक्ति जाली प्रमाणपत्र बना कर अनुचित लाभ उठायेंगे।

आदिमजाति क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है, आसाम में आदिमजाति के सदस्यों को छठी अनुसूची के अन्तर्गत रखा गया है और उनके पास असीमित अधिकार हैं परन्तु भारत के अन्य भागों में रहने वाले आदिमजाति के सदस्यों को कोई कार्यकारी अधिकार प्राप्त नहीं है। अब सरकार ने आसाम में संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्यों का निर्माण कर दिया है। यदि सरकार आदिवासियों का हित चाहती है तो उसे सभी आदिवासियों को, जो आसाम के अन्य भागों में रहते हैं, छठी अनुसूचि में लाना चाहिये।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 संबंधी संयुक्त समिति ने एक संशोधन सुझाया था कि अनुसूचित जनजातियों की सूची में से ईसाईयों को निकाल दिया जाये, इस सुझाव में काफी सार है, गत 25 वर्षों में केवल 5 प्रतिशत शिक्षित और संयोग से ईसाई जनजातियों को ही ये लाभ प्राप्त हुए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 520 में से इसे 322 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि यह संशोधन लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। साथ ही इसे ईसाई-विरोधी नहीं कहा जा सकता बल्कि यह आदिवासियों के समान विकास में सहायक होगा।

Shri Ram Kanwar (Tonk) : It is regrettable that whenever a discussion takes place in the House regarding S.C. and S.T., the benches are empty as if M.Ps. are not at all interested in them. Whereas they profess great love for them on election planks.

I have toured Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu etc., in connection with the tour programme of Committee on Bill regarding removal of untouchability and I have seen the plight of their down-trodden people even after 25 years of Independence. They are not only treated as untouchables, then women are raped, houses are burnt and Children are sacrificed.

Today all credit is being given to Prime Minister for everything and anything. I therefore, feel that if she takes action sincerely their lot can be ameliorated.

Land has been allotted to Scheduled Castes during the last 15 years. Actually, poverty has been distributed to them, because this land is not productive. Instead revenue officials charge revenue from them regularly.

We do not mind petty facilities to our community, all we want is their development and progress.

All Government measures taken during the last fifteen years including nationalisation of Banks have brought no relief to poor and small farmers. Agricultural co-operative societies are full of nepotism and exploitation.

In Delhi, where a large number of labourers have come to settle from Rajasthan and they belong to Bewa Scheduled Caste, this caste has not be recognised as such. This recognition should be accorded to them who are as many as totalies in Delhi.

I would suggest creation of a separate Ministry for Harijan Welfare. Reservation in services may be withdrawn, but goodwill towards them much be created. Their difficulties can be removed only through sincere and hardwork by Ministers and Members of Parliament. I would again request for the creation of a separate Ministry for Harijan Welfare.

श्री एस० एम० सिद्दैय्या (चामराजनगर) : श्रीमन पहले जो की गई कार्यवाही प्रतिवेदन सभा में रखा गया था वह 1965–66 में रखा गया था। इसके दूसरे पृष्ठ पर सभा को आश्वासन दिया गया था कि सेवा संबंधी मामलों पर अब मंत्रिमंडल सचिवालय रिपोर्ट पेश करेगा परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। आशा है भविष्य में ऐसा अवश्य किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों की समस्याऐं इतनी जटिल हैं और समाज कल्याण विभाग इसके प्रति उतना उदासीन है कि मेरे विचार से यह विभाग एक राज्य मंत्री के अधीन न रखकर स्वयं प्रधान मंत्री को संभाल लेना चाहिये और इसी प्रकार राज्यों में भी मुख्य मंत्री यह कार्य संभालें।

मैंने एक स्थानापन्न प्रस्ताव दिया है और मैं उसी में उठाए गए मामलों तक ही अपना भाषण सीमित रखूंगा। पहली बात एक राष्ट्रीय सामाजिक नीति प्रस्ताव बनाने और लागू करने की है ताकि अस्पृश्यता दूर करके वर्ण-व्यवस्था का अन्त किया जा सके। हमारा विश्वास है कि वर्ण-व्यवस्था समाप्त किए बिना छूत छात को दूर नहीं किया जा सकता। जहां अनेक प्रकार के प्रस्ताव सरकार ने बना रख हैं वहां लगता है कि सरकार सामाजिक नीति के बारे में उदासीन बनी हुई है। अतः इसकी परम आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना समतावादी समाज की स्थापना असंभव है।

दूसरी बात मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दरों के बारे में है। ये दरें 1954–56 में निश्चित की गई थी परन्तु अब जबकि जीवन निर्वाह व्यय इतना बढ़ गया है ये दरें भी बढ़ाई जानी चाहियें। एलियापेरुमल समिति ने इस की जांच कर के 1969 में इसकी सिफारिश की थी। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण सबंधी संसदीय समिति ने भी यही सिफारिश की थी। 1969 में तत्कालीन प्रभारी मंत्री, श्री गोविन्द मेनन ने राज्य सभा में बताया कि उन्होंने वित्त मंत्रालय से इन दरों में काफी वृद्धि करने की सिफारिश की है। उस समय स्वयं प्रधान मंत्री वित्त मंत्री भी थीं परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने इसे नहीं माना और यह मामला अभी तक लटका हुआ है। अतः मेरा निवेदन है कि बिना विलम्ब के दरें बढ़ाई जाए क्योंकि छात्रों को बहुत कठिनाई हो रही है। इन छात्रवृत्तियों के बारे में सामर्थ्य की जो शर्त लगाई गई थी वह 1957 में वापस ले ली गई थी, परन्तु पता नहीं क्यों, उसे 1961–62 में पुनः लगा दिया गया। उक्त दोनों समितियों ने यह भेदभाव दूर करने की सिफारिश की थी। सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

मेरा यह भी निवेदन है कि अनुसूचित जाति/जनजाति आयुक्त के उतने ही प्रादेशिक कार्यालय हों जितने 1964-67 में थे। इस संस्था का विस्तार 1950 से 1967 तक हुआ था परन्तु समाज कल्याण विभाग ने बिना वित्त मंत्रालय या मंत्रीमंडल के परामर्श के इन सभी 17 कार्यालयों को बन्द कर दिया है। इन कार्यालयों के बदले पिछड़ी जातियों

के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए गए हैं। मेरी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं तो यह बताना चाहता हूं कि इस आयुक्त की इच्छा के विरुद्ध ये कार्यालय बन्द कर दिए गए। एलियपेरुमल समिति और संसदीय समिति ने शायद अपने प्रथम प्रतिवेदन में इस संबंध में कहा था कि ये कार्यालय बन्द करके आयुक्त को आंखों और कानों से वंचित कर दिया गया है और वह प्रभावहीन हो गया है।

1971 में श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने, जो उस समय संबंधित मंत्री थे, सभा को वचन दिया था कि आयुक्त की सलाह से इन्हें पुनः बनाया जा सकता है। परन्तु आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार वह अधिक स्टाफ की मांग करते रहे हैं।

मैं चाहता हूँ कि देश में बलपूर्वक और बन्धक मंजूरी की प्रथा बन्द करने के लिए वैधानिक और प्रशासकीय उपाय किए जाएं। संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार यह निषिद्ध है और अनुच्छेद 35 के, अनुसार संसद को इसके लिए कानून बनाने का अधिकार है। अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है और आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार आंध्र, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश में यह प्रथा जारी है।

अनुसूचित जाति/जनजाति आयुक्त का व्यक्तिगत शिकायतें सुनने और उनकी जांच करने का अधिकार भी हाल ही में छीन लिया गया है, जबकि समाज कल्याण विभाग और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने संसदीय समिति को बताया था कि इसपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और आयुक्त सम्बद्ध कार्यालयों से रिकार्ड आदि मंगाकर स्वयं जांच कर सकता है। परन्तु इसके बाद भी मुझे पता चला है कि उन्हें यह कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। न केवल यह प्रथम संसदीय समिति को भी गत लोक-सभा भंग किए जाने के बाद अध्यक्ष के आदेश से निष्प्रभावी बना दिया गया है और अब यह समिति अपना कार्य करने में कठिनाई अनुभव कर रही है, पता नहीं कार्मिक विभाग और अध्यक्ष ने क्यों हस्ताक्षर करके ऐसा किया है।

श्री आर० डी० भण्डारे: आप अध्यक्ष से यह अधिकार बहाल करने का अनुरोध कर सकते हैं।

सभापति महोदय: आपने जो कुछ कहा है उसका आधार क्या है?

श्री एस० एम० सिद्दैय्या: समिति के सदस्य के नाते मैं जानता हूं और पूरी जिम्मेदारी से ऐसा कह रहा हूं।

जैसा कि उनके सदस्यों ने सुझाव दिया है, राजदूतों, राज्यपालों आदि की नियुक्ति में हरिजनों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, सरकार के अनेक निगमों के चेयरमैनों में से एक भी इन जातियों का नहीं है, मेरा प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दें और आवश्यक कार्यवाही करें।

सभापति महोदय: आप 20 मिनट ले चुके हैं अब समाप्त करें।

श्री एस० एम० सिद्दैय्या : अन्त में मैं आयुक्त के भोपाल में दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करूंगा, जो प्रथम नवम्बर 1972 के 'नेशनल हेरल्ड' में प्रकाशित हुआ था। उनका कहना है कि देश में आदिवासियों और हरिजनों की दशा सुधारने का कोई ठोस प्रयत्न नहीं किया गया है और यह सरकारी उपेक्षा के कारण है। उन्होंने यह भी कहा है कि आदिवासियों और हरिजनों का आर्थिक शोषण जारी है और अस्पृश्यता उनमूलन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके लिये जहां एक ओर सरकार दोषी है वहां राजनीतिक दल, समाज सेवक और अन्य संस्थाएँ भी उतनी ही दोषी हैं।

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : Sir, the 19th Report of S.C., S. T. Commissioner has been presented two years late. I do not know why?

Many national and international issues have been solved under the distinguished leadership of Smt. Indira Gandhi during the last two years but it is regrettable that nothing is done to improve the lot of Harijans who are suffering for centuries. I am sure that Smt. Indira Gandhi's slogan of " Garibi Hatao " is aimed at bettering the lot of these people and now that She is bent on this, success will surely greet her.

Sir, this problem needs to be tackled not only at Government level but at religious and social levels as well.

There are people like Shankaracharya in the Country who believe and prefers that people are untouchable by birth and would remain so. Such talks create complication in the Social conditions.

I do not want to say much about atrocities being committed against Harijans. But still I must point and that various stories about these atrocities are published in Newspapers.

Then figures are given about the distribution of land to landless Harijans. I want to point out that such figures are incorrect and baseless. In fact only papers show such distribution and these people do not get such land.

Amounts sanctioned for the welfare of Harijans are not spent properly. Provision is made for digging of wells and repairs of old wells meant for Harijans. But in fact no wells are dug in the villages where Harijans live. Such things should be checked.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : It has correctly been mentioned in the Commissioners report that reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services is not filled.

There are about 15 crores Harijans in our Country and in additions there are about 7 crores of people belonging to Scheduled Tribes. And if we take into account people belonging to backward classes also there we find that this total may come to nearly half of the population of our Country. Figures mentioned in the report about increase in their representation in services during the period 1959-1968 indicate that there has been a negligible increase in the percentage. Reservation quota should be fulfilled and two-three years candidates from Scheduled Castes only should be fulfilled and two-three years candidates from Scheduled Castes only should be recruited. Then full justice has not been done to landless agricultural labourers among Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

I feel that unless outlook of Planning Commission charges, 'Garibi Hatao' slogan can not be achieved. Scheduled Castes and Scheduled Tribes members should be appointed in Planning Commission.

Government has done much for refugees from Bangla Desh and refugees for Pakistan. But no affection has been paid towards betterment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They should be given loans without interest for setting up small Industries.

It has been demanded many a times that amount of Scholarships being provided to students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be enhanced. But it has not been accepted so far. This amount is not enough in the present day circumstances. Hence this should be increased. I also request that a separate Ministry should be formed to look after the problem of Scheduled Castes/Tribes.

No scheme has so far been prepared about distribution of land to landless Harijans. This should be done at an early date. We are prescribing Ceiling on land. It is a correct step but we should prescribe some ceiling on property also. Unless this is done poor sections are not going to be benefitted.

We are daily hearing of atrocities on Harijans. There is feeling among them that if such atrocities continued how they would put up in such a Country. State Governments do not take any action in this regard. Central Government takes the plea that this is a state subject. In order to Create confidence among these people, belonging to Scheduled Castes/Tribes, Home Ministers in all States should belong to such Category.

Sometimes a plea of non-availability of funds is taken by the Government. I would suggest that Government should raise a Harijan Development fund and collect funds for the welfare of Scheduled Castes/Tribes. It should be the foremost duty of the Government to help poorer sections.

Caste system is the main Cause of untouchability. Unless Caste system is abolished Untouchability can not be eradicated. Government should ban the forces which propogate Caste system. But on the other hand the Government is encouraging such forces. Providing of funds for celeberating 'Tulsi Jayanti' is an encouragement to such forces, hence Government should denied from such things.

Our Prime Minister has pledged to the slogan of 'Garibi Hatao' and removing of poverty. If actions are taken seriously to fulfill these promises then most of the above difficulties could be removed.

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar) : I do not want to blame anybody but still I would like to pointout. There are a number of stories which can be narrated about this exploitation. We have been serving Hindu Society for ages and in the result what we have got is that we are considered untouchable. We should be ashamed of this. We want that we may be allowed to live with dignity. We should be helped to stand on our feet.

[**Mr. Deputy-Speaker in the Chair** / अध्यक्ष महोदय पीठासनि हुए]

Lands were allotted to Harijans but now notices have been issued to such people for depositing 5-6 thousand rupees and on non-payment of the said amount allotment has been cancelled. If you are serious about bringing Socialism and eradicate poverty agricultural land should be allotted free of Cost to us so that we could stand on our own feet. People belonging to Scheduled Castes/ Tribes are not in a position to pay for the land and cost of land is demanded from them and they fall prey to money-lenders.

Our children face difficulties in getting employment. Government provided enough facilities and assistance to the refugees at the time of partition. It also did much in order to help the refugees from East Pakistan but it is not doing enough to help Scheduled Castes/Tribes in order to make them stand on their own feet. Government has falied to solve the problems being faced by 18 crores Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. I feel that bureaucracy is not serious about solving our problems.

Due to wrong mentality on the part of Caste Hindus namely people belonging to Scheduled Castes and Tribes have started thinking in terms of Convension. It is, therefore high time that Hindu Society thinks about this State of affairs and take corrective actions.

Our Prime Minister has done much and she is bent upon for doing much more. I request that she may solve the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Our problems are blot on the Society and these blots be removed. It is need of the hour that a society based on human considerations is set up through economic, Social and religious revolution.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting, and Minister of Space (Smt. Indira Gandhi) : Hon. Members have expressed concern about the slow pace or programmes for the welfare of Scheduled Castes/Tribes. There is no doubt that much has been done in this regard but it cannot also be denied tnat the progress has rather been very slow.

Problem of Scheduled Castes/Tribes is an old and complicated problem. There is no doubt that Government can do much. But it should not be overlooked that Government cannot force people to change their views. This is being taken as a national problem. And this problem can be solved only taking it as a national problem. Right from the beginning the Congress Party has taken their Cause. But inspite of this much headway could not be made. It shows that our efforts were not sufficient. Hence we should make united efforts to change the present outlook of the people.

Daily we receive reports about the atrocities and Cruelties towards the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There are no sufficient words to condemn such things. I have written to the Chief Ministers to excercise vigilance to check recurrence of such incidents and requested them to take personal interest in this regard. I also intend to discuss this matter again with Chief Ministers.

It has been brought out in various reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes that poorer sections among the Harijans and Tribes are not benefited by the programmes meant for improving their lot. Government has taken note of this and intend to pay special attention towards solving this problem in the next plan.

There is no justification in compelling certain section of our people to do a particular job on the basis of caste considerations. All should get equal opportunities to adopt a profession of their own choice. But here again social and political education is needed to make people understand such views.

Harijans and Tribal people should be conscious of their rights. Construction methods should also be adopted to give them those rights so that conflicts could be avoided and they could move with speed. Responsibility in this regard has to be owned by all the section of the society. It is their duty to see that such things could be removed from the society. There may be justification for such an outlook in the society but now the fines have changed. We have to understand that there is no justification for such an outlook in the modern times. It should be clearly understood that problems of Harijans and Tribals could not be solved by enacting legislation only. But even then the Government would not, however, shirk its responsibility in enacting legislation, if it was needed.

We have also to see that weedy persons could get opportunities to the benefit of welfare programmes.

Certain suggestions have been given for providing facilities such as arrangements for drinking water, housing sites, education, extension of nutrition programme, improvement in Thugi-jhonpris, post matric scholarships etc. All the state Governments are also concerned with

these matters. Hence it would be better to attend to these with the co-operation of all the opposition parties.

Demand has been made to increase the quantum of Scholarships . This is a justified demand and government would raise the quantum.

I have stated several times that a mistake has been committed after independence that we have not changed the structure of our education. Had this been done at that time most of our difficulties and problems would not become much complicated.

We have full sympathies with these problems and as I have said, much should have been done for them during all these years. The greatest gain of these years is that these tribals have become conscious of their rights.

The M.Ps. should go to their constituencies and see what can be done for the welfare betterment of these people. They should also see that financial assistance given for the purpose is properly utilised and whether the welfare programmes are being implemented in time. If there are some obstacles in the way of implementation of the welfare programmes the matter should immediately be brought to the notice of concerned authorities so that corrective measures may be taken in time. Lot of assistance until be given for the welfare programmes for the Harijans and tribals.

Shri Hukam Chand Kachwari (Morena) : No much welfare programmes are implemented in the areas where candidates of opposition parties have been elected.

Shrimati Indira Gandhi : No. This is not correct. We all of us should see that these welfare programmes are implemented expeditiously and the obstacles that are in the way of these programmes should be removed.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : Is Government going to formulate such a model programme for the multifarious development of scheduled castes and backward classes people, so that this may be implemented in whole of India.

Shrimati Indira Gandhi : In such a vast country like ours it is very difficult to implement a particular thing at a particular place only.

Shrimati Ganga Devi (Mohanlalganj) : I want to know as to whether the reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled tribes is in every Government Department or in a few departments only ?

Shrimati Indira Gandhi : It is in every department of the Government.

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उन लोगों के कल्याण कार्यों की प्रगति बहुत कम हुई है। किन्तु अत्यन्त निराशाजनक बात यह है कि आयुक्त के पद को कम करके केवल मात्र एक क्लर्क का पद इस समय बना दिया गया है ? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा की गई अन्याय की सभी शिकायतों की जांच करने की उसे अब शक्ति प्राप्त नहीं है और उसे अधिकारियों अथवा सरकारी विभागों की रिपोर्ट पर ही निर्भर रहना पडता है। उसने अपने प्रतिवेदन के 19वें अध्याय में बताया है कि राज्य सरकारें, तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारी मांगे गए तथ्यों की जानकारी भेजने में बहुत विलम्ब करते हैं और वे उस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा होगा कि यदि इस पद को ही समाप्त कर दिया जाये। यदि उसे संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत कार्य करना है तो उसे सरकारी विभागों की

सम्बन्धित सभी फाईलों की जांच करने की सभी प्रकार की अनिवार्य शक्तियां दी जानी चाहिएं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने भी यह सुझाव दिया है कि इस आयुक्त को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिएं ताकि वह विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर सके और इन जातियों की कठिनाइयों की जांच कर सके। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग भी स्वयं यह अनुभव करते हैं कि स्वतंत्रता के इस रजत जयंती वर्ष में भी उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है।

हम इन लोगों के आर्थिक विकास तथा आदिवासी विकास खण्डों की बात तो बहुत करते हैं। परन्तु प्रतिवेदन की मूल्यांकन समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आदिवासी विकास खण्ड पूर्णरूप से असफल रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ है और आदिवासी विकास खण्डों के स्थान पर कुछ क्षेत्र विकास योजनाएं आरम्भ की गई हैं। यदि इन योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाए तो इन क्षेत्रों में कुछ आर्थिक विकास अवश्य होगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां दिए जाने के बारे में बहुत चर्चा की गई है। किन्तु इन छात्रवृत्तियों की दरें 20 या 25 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थीं। इन दरों को बढ़ाने के लिए प्रश्न यहां अनेक बार उठाया जा चुका है। परन्तु यह सच होने पर भी कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक बहुत बढ़ गया है; इन छात्रवृत्तियों की दरें वही 20 या 25 वर्ष पुरानी हैं और जब इन छात्रवृत्तियों की दरें बढ़ाने का प्रश्न सामने आता है तो सरकार कहती है कि उसके पास धन नहीं है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए जीवन निर्वाह लागत सूचकांक नहीं बढ़ा है मुझे आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी।

शिक्षा के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के केवल 5 प्रतिशत लोग ही इस शिक्षा पर होने वाले खर्च का लाभ उठा रहे हैं। इन लोगों की जनसंख्या में भी बहुत वृद्धि हुई हैं। यदि इन लोगों को लाभ पहुंचाना है तो इन जातियों के छात्रों को पुस्तक, भोजन आदि देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए धन की आवश्यकता है। अतः मुझे आशा है कि सरकार आगामी पंचवर्षीय योजना में उस कार्य के लिए और अधिक धन का आवंटन करेगी।

जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है, उनके लिए आरक्षण दिया गया है। यद्यपि सेवाओं में आरक्षण करने के लिए नीति निर्धारित की गई है और गृह मंत्रालय ने विभागों और विभिन्न मंत्रालयों को आदेश जारी किए हैं, किन्तु उन आदेशों का पालन अभी तक नहीं किया गया है और पूरा आरक्षण नहीं रखा जाता है। इससे अतिरिक्त इसमें सम्बन्धी लोग बहुत निष्क्रिय है। इसलिए यदि उन लोगों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति की जाती है तो सरकार को उस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। पदोन्नतियों के लिए भी सूचियां बनाई गई हैं किन्तु इनका पालन कौन करता है? ऐसे जारों मामले मेरे पास हैं, जिनके बारे में

विशेषकर रेलवेज़ में, इन तालिकाओं का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए हमें उस तालिका का तरीका बदलना चाहिए यदि यह नहीं किया गया तो अनुसूचित जातियों की जो सुविधाएं दी जानी चाहिए उन्हें ये कभी नहीं मिल पायेंगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन किए जाने से हजारों लोगों को इस सूची में से निकाल दिया गया है। कुछ प्रतिबन्ध भी लगा दिए गये हैं, जैसे क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिबंधन। अब प्रत्येक व्यक्ति आदिवासी बन गया है। कोई भी आदिवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत सरल हो गया है। सदन में यह जो विधेयक है उसे 1967 में प्रस्तुत किया गया था और इसपर यहां चर्चा भी हो चुकी है। किन्तु बाद में इसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था अतः इस विधेयक पर यहां चर्चा की जानी चाहिए। और समस्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक समान सूची तैयार की जानी चाहिए। उससे हजारों व्यक्तियों को लाभ होगा। यदि कोई आदिवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए तो उसे आदिवासी के रूप में ही मान्यता दी जानी चाहिए। इसलिए इस बारे में मंत्रालय द्वारा एक समान सूची तैयार की जानी चाहिए।

इन जातियों के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद थी जिसे सम्भवत: अब समाप्त कर दिया गया है। अतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी मामलों तथा समस्याओं पर चर्चा करने के लिए इस परिषद की पुनः गठित किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी एक विभाग भी है, जो अनाथ की तरह है। इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाना चाहिए।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाहय मनीपुर): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जो समस्याएं और कठिनाइयां 25 वर्ष पूर्व थी वे आज भी वैसी ही बनी हुई हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Deputy speaker, I want your ruling. There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय: कोरम की पंजी बनाई जाती है अब कोरम पुरा है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी करें।

श्री पाओकाई हाओकिप: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पददलित लोगों की ऐसी कोई जटिल समस्या नहीं है जो सरकार तथा हमारी प्रधान मंत्री जैसी सक्रिय नेता की शक्ति से बाहर हो। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि उस सम्बन्ध में जितना किया जाना चाहिए नहीं दिया गया है। उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए आरम्भ से ही एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाना चाहिए था जो उन दोनों सम्प्रदायों के लोगों की आये दिन की समस्याओं का निपटारा करती रहता। यदि ऐसा होता तो जो समस्या अब है वह बिल्कुल भिन्न होती किन्तु ऐसे नहीं किया गया है और यही कारण है कि आज उन समस्याओं का सामना केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ही नहीं अपितु समस्त राष्ट्र को भी करना पड़ रहा है।

इन कल्याण, समाजवाद, लोकतंत्र, आदि की बातें बहुत करते हैं। किन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विकास केवल अन्य जातियों के समान ही उनका आर्थिक उत्थान करने तक ही समिति नहीं है। केवल उतने से ही उन दोनों जातियों के लोगों को समाज के अन्य समृद्ध वर्गों से अलग रख कर उनका विकास करने से कोई लाभ नहीं होगा। उसमें अन्य अनेकों सामाजिक बाधायें हैं जैसे भाषा सम्बन्धी, भौगोलिक सामाजिक आदि समस्याएं आज एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच समुचित संचार व्यवस्था नहीं है और हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर नहीं मिलता। अतः इन सब बातों से उन सम्प्रदायों का पिछड़ापन और बढ़ता जाता है। इन जातियों का पिछड़ापन दूर करने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर इस समस्या का सामना करना चाहिए। यदि इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जाये तो इस समस्या को एक वर्ष में ही समाप्त किया सकता है। यहां उंची उंची बातें करने के बजाए यदि प्रत्येक सदस्य लोगों के साथ मिलकर उस समस्या का सामना करने के उपाय करें तो यह पिछड़ेपन की समस्या बहुत शीघ्र ही हल हो सकती है?

श्री पीलू मोदी (गोधरा): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की समस्या शताब्दियों से चली आ रही है। किन्तु 1947 के पश्चात यह आशा की गई थी कि शीघ्र ही उन लोगों को दूसरे लोगों के स्तर तक उठाया जा सकेगा। इन जातियों के लोगों के लिए बहुत कुछ कार्य करने पर भी, बहुत कम कार्य हो पाया हैं। यदि आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले 25 वर्षों से समाज के अन्य लोगों की तुलना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा जितनी तेजी से खराब हो रही है उतनी ही तेजी से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के नेताओं की दशा सुधरी है अर्थात जनजातियों के बीच ही गरीबी और अमीरी का अन्तर बढ़ रहा है। इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से पिछडा और दबाकर रखने में अनेक निहित स्वार्थ उत्पन्न हो गये हैं और सरकार इसका लाभ उठाकर यह खेल खेल रही है।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मद्य): सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण है और उन जातियों के लोगों को ऊपर उठना ही चाहिए। अतः यह तर्क ढीक नहीं है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों में भी अन्तर बढ़ रहा है।

श्री पीलू मोदी: हमें जो अभी बहुत कार्य करना है वह यह है कि एक विशिष्ट अवधि के लिए उन लोगों के लिए सुविधाओं के रूप में व्यापक संसाधन जुटाने है। उदाहरगार्थ हमें ऐसे क्षेत्रों में स्कूलों की प्रतिव्यक्ति संख्या को सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा दुगना करना चाहिए। उन क्षेत्रों में स्कूलों में जाने वाले प्रति छात्र को सन्तुलित आहार दिया जाना चाहिए ताकि शारीरिक रूप में उनकी स्थिति में सुधार आए और वे सामान्य स्तर पर पंहुच सकें। इन व्यक्तियों को सामान्य स्तर पर लाया जाना चाहिए और फिर स्थानों के सभी आरक्षण समाप्त किए जाने चाहिए। जब तक आरक्षण समाप्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम इस समस्या से, भेदभाव, और सामाजिक लांछन से कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे।

कुछ सामाजिक विधान बनाने भी बहुत आवश्यक है। उदाहरणार्थ, नौकरी आदि के लिए जब किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता है तो सरकारी अथवा गैर सरकारी अधिकारी द्वारा

किसी व्यक्ति को उसके समुदाय अथवा उसकी जाति अथवा उसके धर्म के बारे में पूछा जाना कानून के विरुद्ध होगा। साक्षात्कार संख्यात्मक प्रणाली के आधार पर, और यदि आवश्यकता पड़े तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिससे लोगों की पहचान न हो सके और नौकरियां योग्यता के आधार पर मिल सकें। जबतक सामाजिक व्यवहार के प्रति-बन्ध नहीं लगाये जायेंगे तब तक द्वि पक्षीय समाज की इस समस्या से छुटकारा पाना सम्भव नहीं है। इस द्विपक्षीय समाज में समाज के कुछ वर्ग विभिन्न स्तर पर हैं और विभिन्न स्तर सरकार को इन सभी भेद-भावों, धर्म, जाति, वंश तथा अन्य भेद भावों का उन्मूलन करने के प्रयास करने चाहिए जिससे किसी में कोई अन्तर न रह जाये। लोगों के मन में से भेद भाव की विचारधारा का उन्मूलन करना चाहिए हमें किसी व्यक्ति को उसकी जाति व धर्म के आधार पर सम्बोधित नहीं करना चाहिए और इस प्रथा को तुरन्त समाप्त करना चाहिए।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस सदन को इन कुरीतियों तथा समस्त सामाजिक लांछनों का उन्मूलन करने के लिए एक समयावधि निर्धारित करने के प्रयास करने चाहिए। केवल कानून बनाने से इन कुरीतियों का उन्मूलन नहीं हो सकता। हमें सदा ऐसी प्रकृति ऐसे परिवेश एवं वातावरण में रहना होगा जो उन सभी भेद भावों का उन्मूलन करने के लिए कृतसंकल्प हो। जब तक हम यह कार्य नहीं करेंगे तब तक हम कभी इस समस्या का हल नहीं कर सकते।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट): आदिवासियों को दलित किया जा रहा है। उनका बड़ी तेजी से शोषण किया जा रहा है। मेरे अपने लोगों सावरों, की भूमि छीन ली गई है। वे जंगलों में धूम धूम कर नारकीय जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे अधिकारों को लिखा भी नहीं गया है। आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि 1952 की बन नीति से आदिवासियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जंगल ही आदिवासियों के घर हैं। ब्रिटिश राज्य में भी आदिवासियों के हितों तथा आवश्यकताओं पर सब से पहले विचार किया जाता था। हमसे अब हमारी भूमि भी छीन ली गई है और मूआवजे के रूप में जो धन दिया गया है उसे दूसरे लोग छीन लेते हैं। साधनहीन होकर हमें जंगलों में भागना पड़ता है।

आदिवासियों को क्या मिलता है। उनके भूमि तथा बनों के लिखित अधिकार कब छीने गए और कब उनकी आजीविका के साधन छीने गए उनको यह भी पता नहीं। उद्योगों में उनके श्रमिकों की देखरेख होती है किन्तु उद्योगों द्वारा आदिवासियों को बेघर बनाया जाता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि वह निदेश दे कि उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए चाहे वे लिखित हों अथवा अलिखित। इन बेजबान लोगों को सांवैधानिक गारंटी दी जानी चाहिए।

हमें बताया गया है कि आदिवासियों के विकास के लिए काफी कार्य किया गया है। किन्तु कितना?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी करें।

उसके पश्चात लोकसभा बुधवार दिनांक 22 नवम्बर 1972/1 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तब के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday November 22, 1972/Agrahayana 1, 1894 (Saka)

MGIPCBE—S VI—1 LSS/ND/72—17-4-73—490.

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]